खण्ड-291, अंक-4
बुधवार, 27 श्रावण, शक संवत् 1893
(18 अगस्त, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 291 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४०३–४०७
पुस्तकालय में बिजली न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	४०७–४२९
प्रश्नोत्तर	
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने की घटना	४२९–४३९
उप-मंत्री व राज्य मंत्री द्वारा प्रश्नों के उत्तर उचित ढंग से न दिये जाने के संबंध में शिकायत	४३९
व्यवस्था का प्रश्न	४३९
अल्प सूचित प्रश्न में विलम्ब होने की शिकायत	४४०
लखनऊ नगर में टेम्पो स्टैंड को समाप्त करने तथा पुलिस द्वारा टेम्पो चालकों को परेशान किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	४४०–४४१
नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा के लिये दी गई सूचनाओं को विभाग द्वारा अकारण अस्वीकार किये जाने के संबंध में शिकायत	४४१
स्वशासन सचिव द्वारा मुख्य नगराधिकारी को अंग्रेजी में लिखे गये आदेशपत्र के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	४४१–४४२
मंत्रियों द्वारा सदन में दिये गये उत्तरों की प्रामाणिकता के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	४४२–४४३
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	४४३
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	४४३
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	४४३
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	४४३
उत्तर प्रवेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	४४४
श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में फेंके गये पर्चों के विषय को समाचारपत्रों में न छपने के निर्देश	४४४
'बेशर्मी' शब्द पर व्यवस्था का प्रश्न तथा बाढ़ के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	४४४–४४५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४४५–४४६
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिय् मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २५–उद्योग, अनुदान संख्या ४१–लेखन सामग्री और मुद्रण, तथा अनुदान संख्या ४७––औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४४६–४९४
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने के कारण सर्व श्री राम नरेश दुबे तथा गुलाब यादव को दंड का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४९५–५२०
नत्थियां	५२१–५२२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुद्धवार, दिनांक १८ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६३

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद शेरवानी, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद लूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम , श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेंद्रनाथ,दीक्षित श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राहस, श्री

ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप बैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
के० एस० मोहरिया, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशवराम, श्री (जिला बदायूं)
कोरी सुखलाल, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार,
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नरायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणि कांत सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल, चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जंगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेंद्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण, त्रिवेदी श्री
तेजपाल, सिंह 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर , श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार , श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम , श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातमप्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला सहारनपुर)
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेंद्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेंद्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल ,श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरन सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोरराय, श्री
रामपति, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा

श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र , श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट---श्री बलदेव सिंह आर्य, पंचायती राज मंत्री तथा श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, सूचना राज्य मंत्री भी उपस्थित थे ।

पुस्तकालय में बिजली न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं अभी लाइब्रेरी गया था । मुझे शुगर केन परचेंज ऐक्ट लेना था । वहां पर तीन दिन से बिजली नहीं है । अंधेरे में उसे निकालने में जो मुसीबत हुई वह मैं ही जानता हूं । इसलिये आपसे अनुरोध है कि वहां पर रोशनी तो कराइये । माननीय सदस्य अगर सवाल के जवाब से अंधेरे में रहेंगे और वहां भी अंधेरे में रहेंगे तो हमारा तो काम ही मुश्किल हो जायगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं हो सकता (श्री त्रिवेणी सहाय द्वारा बोलने का प्रयत्न करने पर ।) मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप प्रश्नों के समय दूसरों का वक्त लेते हैं ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ अगस्त, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

काश्तकारों के बकाये की मिल मालिकों से वसूली

****१--कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--**

"उत्तर प्रदेश गन्ना रेगुलेशन आफ सप्लाई ऐंड परचेज ऐक्ट, १९५३" में सेक्शन २(क) के अनुसार औक्यूपायर मिल का मैनेजर भी हो सकता है ? क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कारण काश्तकारों का बकाया मिल मालिकों से वसूल नहीं हो पाता है ? क्या सरकार इस ऐक्ट में संशोधन करने जा रही है जिससे "औक्यूपायर" केवल मिल मालिक ही हो सकता है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

जी हां । उक्त ऐक्ट की धारा २(ट) के अनुसार फैक्टरी का अध्यासी वही व्यक्ति हो सकता है जिसका फैक्टरी के मामलों पर अंतिम नियंत्रण हो और यह व्यक्ति मनेजर भी हो सकता है । इस कारण से काश्तकारों का बकाया मिल मालिकों से वसूल होने में अब तक कोई दिक्कत सामने नहीं आई है । फिलहाल इस धारा का संशोधन शासन नहीं करने जा रहा है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंग कि इस धारा के अन्तर्गत कितने मिल मैनेजरों का इस वर्ष चालान हुअ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, गन्ने की कीमत की वसूलयाबी से इसका कोई संबंध नहीं है । जिन मिलों पर पैसा बकाया होता है जिनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट्स इश्यू किये जाते हैं और जो भी अक्यूपायर होगा, मिल मालिक हो या कोई हो, उससे वसूल करने की सारी प्रक्रिया की जाती है । अक्यूपायर और मिल मालिकों से कोई फर्क नहीं पड़ता ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह--

मान्यवर, मैंने पूछा कि कितने मैनेजरों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है । इसका उत्तर नहीं आया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जिन मिलों पर गन्ने का पैसा बकाया है उन सबके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट्स इश्यू हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

उनका सीधा प्रश्न है । अगर आपको उत्तर न मालूम हो तो आप कह सकते हैं कि सूचना की जरूरत है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जिन मिलों पर गन्ने की कीमत बकाया है उन सब के खिलाफ कार्यवाही हुई है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

मैं पूछ रहा हूं कि कितने मैनेजरों के खिलाफ इस वर्ष कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

किस संबंध में कार्यवाही की गयी ?

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

गन्ने के पैसे के बकाये की वसूली के संबंध में ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मंत्री जी सवाल को इवेड कर रहे हैं और आपके बार-बार कहने पर भी उत्तर नहीं दे रहे हैं । तो आप जरा उनको डांट बताइये कि सीधा उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष---

आपको बताना चाहिये कि गन्ने की कीमत जिन्होंने नहीं दी उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की और अगर की तो कितनों के खिलाफ की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैंने निवेदन किया कि जिन मिल मालिकों पर गन्ने की कीमत का बकाया है उन सब मिल मालिकों के खिलाफ इस ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । उसमें मिल मालिक ही नहीं कोई भी औक्यूपायर हो सकता है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

अगर मंत्री जी यह कह दें कि मुझे नहीं मालूम तो मैं मान जाऊंगा । मैंने निश्चित यह सवाल किया कि इस वर्ष गन्ने की बकाया के सिलसिले में कितने मिल मैनेजरों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैंने निवेदन किया कि एक मिल मालिक हैं बिजनौर शुगर मिल के, उनको गिरफ्तार किया गया । बाकी और मिलों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष---

आप यह बतायें कि क्या मैनेजरों के खिलाफ कार्यवाही की गई ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैंनेजर ही नहीं मिल मालिक के खिलाफ भी कार्यवाही की गई । जिन पर बकाया था उन पर कार्यवाही की गई । गन्ने की कीमत के सिलसिले में रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये जाते हैं । सम्पत्ति को नीलाम भी किया जाता है और दूसरी तमाम कार्यवाही होती है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

मैंने पूछा है कि कितने मैनेजरों के खिलाफ कार्यवाही की गई । उसका जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

आप यह नहीं कह सकते हैं कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

सूचना की आवश्यकता है आप यह कहकर अपनी जान नहीं बचा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह आप जो उत्तर दे रहे हैं यह ठीक नहीं है । जो बात वह पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देते ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

किस मैनेजर के खिलाफ वह क्या कार्यवाही चाहते हैं यह वह बतला दें तो मैं उनको बतला दूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक उत्तर नहीं देते हैं । वह मैनेजर की बात पूछते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैंने निवेदन किया कि एक मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही की गई है और उसको गिरफ्तार किया गया है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

मैंने यह निश्चित सवाल किया कि कितने मैनेजरों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष---

आप सूचना क्यों नहीं मांग लेते ? आप यह ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैनेजर के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया ही नहीं लेकिन आपके बार-बार कहने पर भी उत्तर नहीं दिया गया। मैं आपके जरिये उनसे प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में वे तैयार होकर आया करें। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो यह कह दें कि सूचना की आवश्यकता है। बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि बिजनौर मिल के जो मालिक हैं गन्ने की कीमत अदा न करने पर उनको गिरफ्तार किया गया तो जिस बेसिस पर मिल मालिक बिजनौर को गिरफ्तार किया गया गन्ने की कीमत अदा न करने पर प्रदेश में और कितने मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

केवल ६ ऐसे मिल हैं जो प्राइवेट कंसर्न है उन ६ में से बिजनौर मिल को छोड़कर ५ सरकार के नियन्त्रण में थे। जो ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के लिमिटेड कन्सर्न हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस कारण उनकी गिरफ्तारी का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

क्या वह जो १२ मिल लिये हैं उनके सम्बन्ध में यह नहीं बताया कि आखिर उनके ऊपर भी बकाया था। अभी जो मन्त्री जी ने बताया वह गलत है । जो बकाया के सिलसिले में मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं आया लाखों काश्तकारों के बकाये को मिल मालिकों से वसूल होने में कोई तभी तक दिक्कत सामने नहीं आई। ....१९६३ से काश्तकारों के पैसे की बराबर

बकाया बढ़ रही है और यही कारण है कि अकूपायर जो मैनेजर होता है वह एक साधारण नौकर होता है और उसके खिलाफ यह कार्यवाही करते हैं तो क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जो आजतक किसानों की बकाया है उसके लिये उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट न देकर वह अकूपायर्स के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह शर्तिया सवाल है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या मंत्री जी का अनुभव यह है कि वर्तमान प्राविधान के कारण प्रश्नगत ऐक्ट की धारा १७(४) के अनुसार जब मिलमालिकों के खिलाफ व्यक्तिगत कार्यवाही की चेष्टा करते हैं तो सुविधा होती है और वह मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने में मजबूर होते हैं और केवल मैनेजर को ही वह बन्द कर पाते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अकूपायर्स का मामला प्रतिवर्ष हर सीजन से पहले जिलाधीश हर फैक्टरी के लिये तय करते हैं । जो मालिक होते हैं वह एक फार्म नं० ५ को भर कर देते हैं और उस पर जिलाधिकारी अकूपायर निश्चित करते हैं और अपनी सन्तुष्टि के बाद वह उसकी नियुक्ति करते हैं और वह हर साल बदलते रहते हैं ।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष जी, मंत्री जी पढ़कर नहीं आये हैं । मेरा सुझाव है कि इस सवाल को आप कल के लिये स्थगित कर दें । वह सवाल का उत्तर दे नहीं पाते हैं, किसी का उत्तर वह ठीक से नहीं दे सके हैं, ज्वाइंट स्टाक कम्पनी की कुछ चीजें हैं उन को वह समझ ही नहीं पा रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष---

आप सवाल कीजिये ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

श्रीमन्, आप उन की मदद न करें अगर वह हर एक प्रश्न पर समय मागेंगे तो ठीक न होगा । मंत्री जी इतना ही बता दें कि क्या उनको जानकारी है कि रिकवरी सर्टिफिकेट के बाद कुछ रुपया वसूल हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इस प्रश्न से यह सवाल नहीं उठता लेकिन रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद भी रुपया वसूल हुआ है, कितना हुआ है इसके लिये नोटिस चाहिये ।

एक सदस्य---

आप कल कह रहे थे कि ४ से ज्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिये लेकिन इस प्रश्न पर कितने सवाल पूछे जा चुके हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

किसी प्रश्न की अहमियत ज्यादा हो सकती है, किसी पर ज्यादा लोग दिलचस्पी लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

काफी लोग अभी जानना चाहते हैं.....

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)---

अगर किसानों के ऊपर बकाया होती है तो उसकी वसूली किसानों से सीधे की जा सकती है क्योंकि वह प्रापर्टी के मालिक होते हैं, इसी तरह से मिल के मालिक यह मालिकान होते है उसके ऊपर अगर बकाया है तो उनसे सीधे वसूली में आसानी होगी बजाय इसके कि यह जो अकूपायर या मैनेजर बना दिये जाते हैं । तो सरकार को क्या कानूनी दिक्कत है इसमें कि जिस तरह से किसानों की प्रापर्टी से लगान वसूल होता है उसी तरह से मिल मालिकान से भी बकाया धन वसूल किया जाय ? क्या अकूपायर बनाने के बारे में आवश्यक संशोधन सरकार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अकूपायर का काम गन्ने की कीमत देना ही नहीं होता उसके और बहुत से काम होते हैं जिनको मालिकान नहीं कर सकते । शासन ने बहुत जल्दी ही एक आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि अकूपायर बनाते वक्त जिलाधिकारी सोच-समझकर निर्णय लें ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि कितने केसेज मिल मालिकों ने जिलाधीश को रेफर किए थे और कितने उन्होंने एक्सैप्ट किए ?

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न में आपने केवल यह पूछा है कि क्या सरकार इस ऐक्ट में संशोधन करने जा रही है जिससे "अकूपायर" केवल मिल मालिक ही हो सकता है और अब आप डिटेल्स पूछना चाहते हैं ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रश्न को कल ले लें जबकि मुख्य मंत्री जी भी आ जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आप दूसरा प्रश्न दे दें ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नरायन सिंह---

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिलाधीश छानबीन करके अकूपायर नियुक्त करते हैं लेकिन देखा यह जाता है कि जिलाधीश उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं । मिल मालिक लिख देते हैं कि फलां को अकूपायर कर दिया, वे स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कितने अकूपायर जिलाधीश ने मिल मालिकों के खिलाफ बनाये ?

श्री ओम प्रकाशसिंह---

श्रीमन्, इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

इलाहाबाद के सिटी बस के ड्राइवरों की हड़ताल

**२---श्री राम गोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २७ जुलाई, १९७१ से इलाहाबाद सिटी बस के ड्राइवर हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ? सरकार उन्हें कब पूरा करेगी ?

परिवहन उप-मंत्री (श्री आबिद अली)—

राजकीय रोडवेज क्षेत्र, इलाहाबाद के नगर बस सेवा के चालक तथा परिचालक २० जुलाई, १९७१ को हड़ताल पर रहे। इन कर्मचारियों की यह मांग थी कि एक चालक को हिरासत में लिये जाने के संबंध में पुलिस के सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार और गलत तरीके से गिरफ्तारी के लिये कार्यवाही की जाय। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद ने चालक की गिरफ्तारी तथा कर्मचारियों की शिकायत के सम्बन्ध में जांच किये जाने के आदेश कर दिये ह।

श्री राम गोपाल संड—

श्रीमन्, पुलिस के लोग मारते-पीटते हैं, नगर की बस सेवा ठप्प हो गयी, दफ्तर के बाब लोग और अन्य कर्मचारी लोग अपने-अपने दफ्तर नहीं जा सके, यह दुर्व्यवहार जो पुलिस करती है, आपने भी देखा होगा श्रीमान्, विधान सभा के सामने टैम्पो खड़े हुए हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक ने यह जांच किसके सुपुर्द की है, क्या वे अपने विभाग के जरिए ही करा रहे हैं? क्या वे इसकी जांच जिलाधीश के माध्यम से कराने की कृपा करेंगे जिससे न्याय हो सके?

श्री आब्दि अली—

अभी पुलिस अधीक्षक ही जांच करवा रहे हैं, उसके बाद देखा जायगा कि अगर जरूरत हुयी तो जिलाधीश के जरिये जांच करवायी जायेगी।

श्री राम गोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-सा अधिकारी है जो इस मामले में जांच कर रहा है? क्या इस पुलिस इंसपेक्टर को सस्पेंड भी किया गया है अथवा नहीं?

श्री आबिद अली—

सस्पेन्शन का कोई सवाल नहीं उठता। जांच हो रही है।

श्री राम गोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन अधिकारी जांच कर रहा है, इन्सपेक्टर सस्पैड हुआ है या नहीं? मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री जी घबराये हुए हैं? क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि जिस पुलिस इंसपेक्टर ने चालक को इतनी बुरी तरह से मारा-पीटा है, उसको सस्पेंड किया गया है?

श्री आबिद अली—

मैंने कहा तो है। वह सस्पेंड नहीं किया गया है, चालक मारा पीटा नहीं गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच जो की जा रही है, वह किस अधिकारी के द्वारा की जा रही और उसके सामने कौन-कौन से तथ्य जांच के लिए दिए गए हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह अल्पसूचित में तो आयेगा नहीं। यह बतला दीजिये कि कौन से अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं?

श्री आबिद अली--

एस० एस० पी० अपने विभाग से इसकी जांच करवा रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया कि किस अधिकारी के जरिये से जांच हो रही है। यह निश्चित जवाब दें। (व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि थानेदार ने चांटा मारा है एक राजकीय कर्मचारी के तो क्या उसकी एस० पी० से इंक्वायरी करायेंगे जिससे सही-सही वाकया आ जाय ?

श्री आबिद अली---

मैं कहूंगा कि वे जांच करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मान्यवर, यह इत्तिला मंत्री जी को ३० जुलाई को थी तो क्या एक मामूली सी जांच के लिये इतना १८ दिन का समय लगेगा, इतने दिन बीत गये जांच नहीं हुई ?

श्री आबिद अली---

जांच होने में वक्त लगता है। जांच अभी मुकम्मिल नहीं हो पाई है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री रामगोपाल संड का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी को ३० जुलाई को इत्तला मिल गई थी फिर भी १८ तारीख तक जांच करने में देरी क्यों हो रही है ?

श्री आबिद अली---

श्रीमन्, जांच हो रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, सवाल यह किया गया कि देरी क्यों हो रही है और जवाब दिया गया कि जांच हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम यहां किस बात के लिये हैं। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यहां इतना शोर हो रहा है मुझे सुनाई नहीं देता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

जांच में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री आबिद अली--

श्रीमन्, अभी तीन हफ्ते हुए हैं। देर नहीं हुई है। इसको ज्यादा देर नहीं कहा जा सकता। फिर भी मैं कहूंगा कि जल्दी करें।

श्री रामगोपाल संड--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस पुलिस इंन्सपेक्टर को जिसने मारा पीटा अवैध रूप से, सस्पेन्ड करेंगे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जांच करायेंगे ?

श्री आबिद अली--

जब तक कि जांच न हो कैसे कहा जा सकता है कि कौन दोषी है। जांच होने के बाद जो नतीजा होगा वैसे ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस ड्राइवर को चोट लगी या मारा पीटा गया उसने थाने में रपट की है और किस दफा में रपट लिखाई है ? ३२३ या ३२५ में ?

श्री आबिद अली--

जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें यह है कि मारा पीटा गया है।

हल्द्वानी तथा कुसलखेड़ा क्षेत्र में विद्युतीकरण के समय सेफटीवायर न लगाना

**३--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल), श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या विद्युत मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शारदा हाइडिल के अधिशासी अभियन्ता के विभाग हल्द्वानी द्वारा अब तक हलद्वानी तथा कुसल खेड़ा क्षेत्रों पर जो विद्युतीकरण हुआ है यहां पर बिजली के तार, अमूमन टेलीफोन लाइन के तारों से मिलते जुलते लगे हैं और विद्युत विभाग में टेलीफोन तार को बिजली के तार के करेंट से बचाने के लिये बिजली के तारों पर सेफटी वायर नहीं लगाया गया है ? इस तरह की लापरवाही से आये दिनों बिजली के करेंट लगने की कितनी घटनायें हुई हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कुसुमखेड़ा व लोहरिया साल के पास ८ स्थानों पर पावर लाइन टेलीफोन के ऊपर से जाती है। इसमें १ क्रासिंग ६६ के० वी० लाइन की है जो कि बहुत पहले से बनी हुई है। १ क्रासिंग ११ के० वी० लाइन पर है जो कुछ दिन पूर्व बनाई गई है। इस पर टेलीफोन के तारों से दूरी करीब ७-८ फिट है इसलिये इन बिजली की लाइनों का टेलीफोन के तारों के सम्पर्क में आने की कोई सम्भावना नहीं है। इन लाइनों पर गार्डिग का प्रबन्ध करने के आदेश दे दिये गये हैं।

बाकी ६ लाइनें जो टेलीफोन की लाइनों को क्रास करती हैं वे एल०टी० सर्विस लाइनें हैं और एक को छोड़ कर सभी पर गार्डिग दिया हुआ है। इस एक लाइन पर गार्डिग करने के आदेश दे दिये गये हैं।

टेलीफोन लाइनों से बिजली का झटका लगने की केवल एक शिकायत राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त हुई थी। इसकी जांच से पता चला कि यह झटका बिजली की लाइन के टेलीफोन लाइन के सम्पर्क में आने के कारण नहीं हुआ यह तड़ित (लाइटनिंग) या किसी अन्य कारण वश हुआ प्रतीत होता है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मंत्री जी ने बताया कि इन लाइनों पर गार्डिंग का प्रबन्ध करने के आदेश दिए गए हैं। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी के द्वारा यह आदेश दिये गए हैं और कब दिए गए और अब तक उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ये आदेश हाल ही में दिये गए और जो कहां पर मुख्य अभियन्ता हैं उनके द्वारा दिये गए।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि एक आदमी को बिजली का धक्का लगा है, तो क्या उनको इस बात की जानकारी है कि जिस व्यक्ति को बिजली का धक्का लगा है उसकी मृत्यु हो गयी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं।

श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायक श्री इन्द्र मणी जी ने एक शिकायती पत्र ३ अगस्त, १९७१ को दिया था जिसमें लिखा था कि कुसलखेड़ा की टेलीफोन लाइन पर बिजली के तार मिलने से उनको परेशानी हुई है और टेलीफोन करने में भी दिक्कत हुई है, उस पर माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे इसकी सूचना सम्मानित सदस्य हल्द्वानी, श्री इन्द्र लाल जी, ने दी थी। मैंने जांच भी करायी और आदेश भी दिये कि इसकी गार्डिंग का प्रबन्ध किया जाय और इसकी पूरी जांच की जाय कि क्यों ऐसा हुआ। जो शिकायत का जिक्र है, यह उसी का है जिसका उत्तर के आखिरी पैराग्राफ में उल्लेख है।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं और मेरे सामने दो फर्लांग पर टेलीफोन की लाइन है, अगर यह साबित हो जाय कि ७–८ फीट की दूरी जो बतायी गयी है वह सही है तो मैं रिजाइन करने के लिये तैयार हूं। मेरी जानकारी के अनुसार एक फीट की भी दूरी नहीं है। तो दिनांक ३ अगस्त, १९७१ को माननीय मंत्री जी को जो मैंने वहां के अधिशासी अभियंता के खिलाफ गम्भीर शिकायती पत्र दिया है उसको सूचना मानकर उन्हें सस्पेंड करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं सम्मानित सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उनको त्याग-पत्र जैसे गम्भीर निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी पूरी जांच दुबारा करा लूंगा और आवश्यकता हुई तो उन अधिशासी अभियंता पर गम्भीर कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जो वर्तमान अधिशासी अभियंता वहां हैं जिनके लिये माननीय मंत्री जी ने बताया कि आदेश दे दिये गये हैं, तो क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि दिनांक २६ अक्तूबर, १९७०

को, १६–४–७१ को, २४–५–७१ को और २५–५–७१ को यहां से शासन द्वारा जो आदेश दिये गये थे कि जनता को जो कुछ भी तकलीफें हो रही हैं उन तकलीफों को ध्यान में रखकर इन लाइनों को लगा दिया जाय, उन आदेशों का उन्होंने पालन किया है ? और यदि नहीं किया है तो क्या मंत्री जी इस आधार पर उनको सस्पेंड कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

श्रीमन्, जिन लाइनों का उल्लेख सम्मानित सदस्य ने किया है उन लाइनों का सम्बन्ध इस टेलीफोन वाली शिकायत से नहीं है । वह दूसरी लाइन बनाने का प्रश्न है । इस संबंध में आदेश दे दिये गये हैं । बरसात होने के कारण उन्होंने बताया कि दिक्कत है, गाड़ियां वगैरह नहीं जा सकतीं । बरसात के बाद उनका निर्माण किया जायेगा । उसके आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)––

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जिस व्यक्ति को तार से धक्का लगा था उसकी मृत्यु नहीं हुयी है । मेरा निवेदन यह है कि उनकी यह जानकारी सही नहीं है । क्या मंत्री जी मेरी बात को आधार मानकर इस मामले की फिर से जांच करवायेंगे कि जिस आदमी को धक्का लगा था उसकी मृत्यु हो गयी है और अधिकारियों ने इस तथ्य को छिपाया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि जिस सम्मानित व्यक्ति को धक्का लगा था वह टेलीफोन करते हुए लगा था और उन्हीं की शिकायत पर यह जांच हुयी थी । उस व्यक्ति के मृत होने की शिकायत मेरे पास नहीं आयी है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा––

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्र लाल जी की ३–८–७१ की शिकायत में अधिशासी अभियंता के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं और उस लिखित शिकायत के संदर्भ में उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

वह शिकायत तो टेलीफोन और बिजली की लाइनों के मिले जुले होने की थी । इसके अलावा सम्मानित सदस्य पौड़ी गढ़वाल ने कुछ तारीखों का जिक्र किया है और कहा है कि लाइन नहीं बनायी गयी । ये मुख्य शिकायतें हैं ।

उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालय खोलने पर विचार

**४––श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल), श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)––

क्या मुख्य मंत्री उत्तराखंड विश्वविद्यालय खोलने के विषय में श्रीनगर गढ़वाल से वहां की संघर्ष समिति का कोई तार जुलाई में अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उपरोक्त मामले का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)––

जीं हां ।

विषय विचाराधीन है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, आप प्रश्न देखें और मंत्री जी का उत्तर देखें । प्रश्न यह है: यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उपरोक्त मामले का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? उन्होंने केवल यह कह दिया कि यह मामला विचाराधीन है । आप, श्रीमन्, इनसे यह कह दें कि ये पूरा विवरण बता दें कि कौन-कौन-सी बातें विचाराधीन हैं ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

प्रश्न है उत्तराखंड में विश्वविद्यालय खोलने के बारे में और वह मसला विचाराधीन है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या यह प्रश्न विचाराधीन है कि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में खोला जाये या नहीं या केवल यह प्रश्न विचाराधीन है कि विश्वविद्यालय गढ़वाल में खोला जाये या नैनीताल में खोला जाये ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

विश्वविद्यालय खोला जाये, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री इन्द्रमणि---

मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जिक्र किया था कि श्रीनगर में विश्वविद्यालय खोला जाये और इसके बारे में वहां पर हड़ताल चल रही है । परसों "पायनियर" में बहुत बड़े हेडिंग में निकला है और इसी तरह से "नव भारत" में आप देखें, तो उसमें भी निकला है । सरकार ने सन् १९६७ में, १९६८ में, १९६९ में, १९७० में और १९७१ के बजट भाषण में कहा है कि उत्तराखंड में यह यूनिवर्सिटी खुलेगी । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस यूनिवर्सिटी को खोल रही है या नहीं, और अगर खोल रही है तो किस स्थान पर खोल रही है ? क्या यह विश्वविद्यालय मध्यस्थ स्थान पर खुलेगा या एक तरफ खुलेगा ? इसका उत्तर मैं सरकार से चाहता हूं ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, यह निर्णय लिया जा चुका है कि एक विश्वविद्यालय पर्वतीय क्षेत्र में संचालित करना है । उसके विधान का प्रारूप बनाया जा रहा है । आलेख्य तैयार होने पर मंत्रि-परिषद् उस पर विचार करेगी । जब निर्णय हो जायेगा तब मैं बता सकूंगा कि यूनिवर्सिटी कहां पर खुलेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने पर्वतीय जिलों के कुछ एम० एल० एज० के समक्ष यह आश्वासन दिया था कि यह विश्वविद्यालय फेडरेटिंग यूनिवर्सिटी होगी जिसके कैम्पस अलग-अलग जिलों में बंट जायेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी हां, यह ठीक है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इस विश्वविद्यालय का विधेयक इसी सत्र में आ जायेगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, अभी तो इसका प्रारूप बन रहा है । जब प्रारूप बन कर आ जायेगा तभी कुछ कहा जा सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि पहाड़ी जिलों में गढ़वाल मंडल है, वहां गढ़वाल मंडल में यह यूनीवर्सिटी खोली जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यह श्रीनगर में खोली जाय ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, अभी नेगी जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि वह बात सही है । उन्होंने कहा भी कि मीटिंग हुई थी । विधायक मुख्य मंत्री जी और मुझसे मिले थे और यह हुआ था कि इसको कहां स्थापित करेंगे । वह बात अभी नहीं है । हम इसको इस तरह से बनायेंगे कि सभी जिलों की मांग पूरी हो सके ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि श्रीनगर में २४ जुलाई से क्रमिक अनशन पुरुषों और महिलाओं का चल रहा है, १९ और २० को गढ़वाल बन्द होने वाला है, तो क्या यह देखते हुये श्रीनगर में विश्वविद्यालय खोलने का आश्वासन देंगे ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

निर्णय की बात है, जब तक इसका प्रारूप मेरे सामने न आ जाय, यह नहीं हो सकता है ।

श्री इन्द्रमणि—

जो तार श्रीनगर संघर्ष समिति ने भेजा है, जिसके बारे में कहा गया है कि प्राप्त हुआ है, तो उसमें क्या लिखा है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, तार में यह है कि हड़ताल होगी । विश्वविद्यालय के संबंध में लिखा है कि विज्ञान की कक्षायें अविलम्ब खोली जायं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रतापगढ़ की मानिकपुर विद्युत् पम्प नहर परियोजना

*१—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ की १५ लाख रुपये परिव्यय की मानिकपुर विद्युत पम्प नहर परियोजना अभी तक केवल १० क्यूसेक की क्षमता रखता है और ५० क्यूसेक क्षमता पूरा करने में असफल रही है । यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मानिकपुर पम्प नहर ५० क्यूसेक्स क्षमता पर बनाई गई है ।

श्री जयराम यादव---

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मानिकपुर विद्युत पम्प नहर ५० क्यूसेक क्षमता से पानी नहीं दे रही है? यदि हां, तो कब से नहीं दे रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह---

अभी पूरी क्षमता से पानी नहीं दे रही है।

श्री जयराम यादव---

जो पम्प नहर की पाइप लाईन है उसमें टेकनिकल डिफेक्ट है, इस कारण पानी पूरी क्षमता से नहीं दे रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह ---

इसकी जांच की जा रही है।

श्री वीरेंद्र वर्मा---

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलायेंगे कि यह नगर जो ५० क्यूसेक क्षमता की है, कब से चालू हुई है और अब कितने क्यूसेक पानी दे रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)---

यह जून ७० में चालू की गई थी और उसके बाद डिफेक्ट मालूम हुआ कि १० क्यूसेक नहर चल रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

वह पाइप कब से लीक कर रहा है और जांच कब से हो रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह---

जब जांच शुरू की गई तो मालूम हुआ कि यह पाइप लीक कर रहा है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

पाइप लाइन कब से लीक कर रही है ?

श्री राम लखन---

जून, ७० को मालूम हुआ था ।

श्री जय राम यादव---

यह जो पाइप लाइन बनी है यह सीमेंट की है और विभाग ने यह मांग की है कि इसको बदलकर लोहे का पाइप कर दिया जाय, तो क्या सरकार लोहे का पाइप लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राम लखन---

लोहे के पाइप के कारण ही बिलम्ब हो रहा है क्योंकि शीट्स नहीं मिल रही हैं, जैसे ही मिलेंगे वह कर दी जावेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन् एक तो निवेदन यह करूंगा कि प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं मिला । प्रश्न यह था कि क्या मंत्री जी से भी प्रश्न कर्ता मिले । इसका उत्तर नहीं आया । दूसरे में यह पूछना चाहता हूं कि अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

आपका पत्र सार्वजनिक निर्माण मुख्य अभियंता को भेज दिया गया है और उस विषय में जांच हो रही है। अभी रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिन हरिजन बस्तियों को बाढ़ से बचाने के लिये प्रयत्न किये गये थे उन बस्तियों के अन्दर पिछले सप्ताह पानी भर गया और दो-तीन व्यक्ति डूब गये और बह गये ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इस वर्षा के दौरान ही इन बस्तियों के बचाव के लिये कोई ठोस कदम उठाने का आश्वासन देंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

माननीय सदस्य के पत्र के संबंध में विचार किया जा रहा है । मुख्य अभियंता की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई प्रश्न उठाया जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो हरिजन बस्तियां बाढ़ की लपेट में आ गयीं और दो तीन व्यक्ति भी बह गये, तो इसी वर्षा के दौरान कोई व्यवस्था करके उन बस्तियों को बचाया जायगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

हमने पहले बतलाया कि हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि आदमी बह गये हैं । जब ऐसी सूचना प्राप्त होगी तो उसकी जांच करायी जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे तब कार्यवाही करेंगे जब सारी हरिजन बस्ती बह जायेगी ?

(उत्तर न आने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवायें । यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारियों ने शासन को कोई इस तरह की सूचना दी है कि इन हरिजन बस्तियों में पानी भर गया है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं आयी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है । उसमें लिखा है कि हरिजन बस्तियों व अन्य बस्तियों को बाढ़ से बचाने के लिये उन्हें एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ८ जून, १९७१ को मिला और प्रश्नकर्ता ने इस संबंध में उनसे भेंट भी की है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि अगर लिख कर

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

देंगे तो जांच करायेंगे । उन्होंने ८ जून को लिखकर दिया और इस संबन्ध में उनसे मिले भी कि हरिजन बस्ती बाढ़ में इस तरह से बह गयी ?

श्री अध्यक्ष---

पानी भरा है, यह उसमें नहीं कहा है ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा---

उसमें लिखा है बाढ़ से बचाने के लिये । प्रश्नकर्ता ने प्रार्थना पत्र भी दिया और उनसे मिल भी । यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, फिर यह कहना कि सूचना देंगे तो जांच करा लेंगे कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष---

सूचना आपको (मंत्री जी को) मिल गयी है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

वे आश्वासन तो दें कि तुरन्त कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

आप सूचना मंगा लें । एक सदस्य यहां कहते हैं क वहां पानी भर गया है तो आपको मान लेना चाहिये ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पानी भरा हुआ है तो इसकी जांच बहुत शीघ्र करा लेंगे ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब ८ जून को प्रश्नकर्ता ने लिखित दिया और उसके बाद मुलाकात भी की, तो अब तक क्यों नहीं जांच करायी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

कभी-कभी ऐसा होता है कि जब ज्यादा पानी बरसता है तो २-४ दिन के लिये बाढ़ आ जाती है । माननीय सदस्य ने जो पत्र दिया है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं कही है कि तुरन्त इन्तजाम करने की जरूरत है । फिर भी हमने सर्वे वगैरह के लिये लिखा है, इमीडिएट डेंजर की कोई बात नहीं थी । उसके लांग टर्म मेजर्स लेने होंगे जिसके लिये मुख्य अभियंता को लिखा गया है । अब देखा जा रहा है कि क्या मेजर्स लिये जा सकते हैं । आबादी हटायी जाय या क्या किया जाय इस सब पर कार्यवाही हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अब तो सूचना मिल गयी, तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता है, जांच में तो ६ महीने लग जायेंगे . . . . (व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

देहरादून की हरिजन वस्ती व अन्य वस्तियों का बाढ़ से बचाना

*१---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून की हरिजन बस्ती व अन्य बस्तियों को बाढ़ से बचाने के लिये उन्हें प्रश्नकर्त्ता का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ८ जून, १९७१ को मिला है और प्रश्नकर्त्ता ने इस सम्बन्ध में उनसे भेंट भी की है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? इस सम्बन्ध में कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

उल्लिखित पत्र मुख्य मंत्री जी को मिला था। पत्र का विषय शासन के विचाराधीन है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मान्यवर, ऐसी बेशर्मी के साथ उत्तर दिया है जैसे कि कोई अंग्रेज देता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सबसे आखिर में यह परिवार पुस्तिकायें कब छपी थीं, और उस समय प्रदेश का काम काज किस भाषा में हो रहा था हिन्दी में या अंग्रेजी में ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है, क्या यह बेशर्मी शब्द संसदीय है...

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इसको संसदीय घोषित किया जाय क्योंकि... (व्यवधान)

*२—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

तारांकित प्रश्न

रोडवेज बसों की परिवाद पुस्तकों का हिन्दी में छपवाना

*१—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि रोडवेज की बसों की परिवाद पुस्तिकाएं अंग्रेजी में छपी हुई है जिससे अधिकांश यात्रियों को अंग्रेजी का ज्ञान न होने के कारण अपनी शिकायतें लिखने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो प्रत्येक बस में परिवाद पुस्तिका हिन्दी भाषा में छपाकर कब तक दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

पहले से छपी हुई आवशेष रोडवेज की बसों में रखी जाने वाली परिवाद पुस्तिकायें अभी अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। इनके समाप्त हो जाने पर इनको हिन्दी में छपी पुस्तिकाओं से प्रतिस्थापित किया जायगा।

(दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके गये और नारे लगाये गये।)

गोरखपुर जिले में फरेंदा आदि मार्गों पर बसों को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

*२—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर जिले में फरेंदा आदि मार्गों पर बसों को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

गोरखपुर में गोरखपुर-सुनौली वाया फरेन्दा एक राष्ट्रीयकृत मार्ग है जिस पर बसें बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। एक अंराष्ट्रीयकृत मार्ग महाराजगंज-फरेन्दा भी है जिस पर २ निजी बसें चलती है। आर०टी०ओ० द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर ४ कर दी गई है, किन्तु अभी इनके परमिट नहीं दिये गये है।

तारांकित प्रश्न संख्या १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कुमायूं रोडवेज नैनीताल की बस का दुर्घटना ग्रस्त होना

*३—श्री इन्द्रलाल—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक २८ जून, १९७१ की सुबह कुमाऊं रोडवेज नैनीताल की जो पैसेन्जर बस रामगढ़ से आगे जाते दुर्घटनाग्रस्त हुई है इस सम्बन्ध में अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की और मृतकों के परिवारों को क्या सहायता पहुंचाई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस दुर्घटना में ३ व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई तथा चालक व परिचालक को मिलाकर १७ व्यक्ति घायल हो गये ।

पुलिस अधीक्षक व जिला अधिकारी उसी दिन दुर्घटनास्थल पर पहुंच गये तथा आवश्यक सहायता कार्य की व्यवस्था की । घायलों को तुरन्त जिला चिकित्सालय, नैनीताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया । दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के परिवारों को एक हजार रुपए प्रति मृतक के हिसाब से ex-gratia सहायता प्रधान प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित जिलाधीशों को भुगतान हेतु भेज दिये गये है ।

दुर्घटना की मैजिस्ट्रीयल जांच के आदेश जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा दिये जा चुके हैं ।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुबारकपुर से बेरया सड़क का निर्माण

*४—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुबारकपुर से बेरया वाली सड़क का निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

इस मार्ग के निर्माण कार्य के शीघ्र आरम्भ किये जाने की आशा है ।

*५—श्री कल्पनाथ सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री कृष्णानन्द राय—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद में मनोरी से भरवारी सड़क का संरेखण (एलाइनमेंट)

*६—श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद में मनोरी से भरवारी तक जाने वाली स्वीकृत सड़क की जिस तरफ से पूर्व स्वीकृत थी उधर से बदल कर दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है ? यदि हां, तो पूर्व निश्चित बनी हुई सड़क को क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

श्री महमूद अली खां—

इस सड़क के संरेखण (एलाइनमेंन्ट) का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

*७—श्री राम लाल राही—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर, बस्ती तथा देवरिया जिलों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को बचाने की योजना

*९—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर बस्ती देवरिया जिलों में प्रतिवर्ष राप्ती, आमी, घाघरा आदि नदियों की बाढ़ से त्रस्त क्षेत्र को बचाने के लिये कोई बाढ़ नियन्त्रण योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)—

ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उत्तराखंड में रोडवेज की बसों का खड्ड में गिरना

*१०—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि गत जून और मई के महीने में कई रोडवेज की बसें उत्तराखंड में खड्ड में गिर चुकी है ? क्या यह सच है कि ये दुर्घटनायें इसलिये हुई हैं कि बसें बहुत पुरानी थीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। प्रश्नगत अवधि में उत्तराखंड में कोई बस दुर्घटना नहीं हुई जिसमें गाड़ी खड्डे में गिर गई हो ।

गण्डक नदी के विभिन्न बांधों का टूटना

*११—श्री बैजनाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक ११ जून, १९७१ से दिनांक २ जुलाई १९७१ तक जब बड़ी गन्डक नदी के विभिन्न बांध टूटे हैं ? इस नदी के कटाव को रोकने की क्या-क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई ?

श्री राम लखन—

गन्डक नदी के किनारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित नेपाल बान्ध व उसके सहायक बान्ध तथा छितौनी बांध टूटे नहीं है । बल्कि अब भी सुरक्षित है । छितौनी बांध पर दिनांक ११-६-७१ से २-७-७१ के बीच नदी की कटान रोकने के लिये विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार तार के जालों में पत्थर भर कर डाले गये । इस अवधि में नैपाल बान्ध व उसके सहायक बाधों पर नदी के कटाव की कोई प्रबृत्ति नहीं थी ।

बरेली रीजन में बदायूं सहसवान-बबराला मार्ग पर प्राइवेट बसों को स्थायी परमिट

*१२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ए०आर०टी०ओ० बरेली रीजन बरेली में जून १९७१ में बदायूं, सहसबान, बबराला मार्ग पर लगभग ११ प्राइवेट बस चलानेक लिये स्थाई परमिट दिये थे ? यदि हां तो किस आधार पर ? क्या यह सच है कि आर०टी०ए०, बरेली ने यह परमिट कुछ दिन बाद कैंसिल कर दिये किन्तु एस०टी०ए०, लखनऊ ने आर०टी०ए०, बरेली के आदेश को रद्द कर दिया । यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री बलरामसिंह यादव—

जी हां । बरेली रीजन के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने १४ जून, १९७१ को १० अस्थाई स्टेज कैरेज परमिट बदायूं-सहसवान-बबरौला मार्ग पर प्राइवेट बसें चलाने के लिये दिये थे । यह अस्थाई परमिट यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० के

[श्री बलराम सिंह यादव]

नियम ४४ ए के अंतर्गत डेलिगेटेड पावर्स के आधार पर सहायक संभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये। संभागीय परिवहन प्राधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा दिये गये अस्थाई परमिट नियमित नहीं पाये और इस प्रकार परमिट दिये जाने को अवैधानिक ठहराया तथा परमिट रद्द कर दिये। अस्थाई परमिट होलडरों ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेंट (ट्रिब्यूनल) के समक्ष (प्रत्यावेदन) देकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

बलिया जिले में सूरहाताल एवं नहर से सिंचाई

*१३---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि वर्ष १९७०-७१ में बलिया जिला ने नहर विभाग में सुरहाताल और नहर से कितने-कितने एकड़ की सिंचाई की गई है और उनकी माइनर तथा मेन की अलग-अलग क्षमता तथा सिंचाई फसलवार कितनी-कितनी है ?

श्री राम लखन---

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२१ पर।)

बलिया जिले में लिफ्ट नहर सिंचाई योजना

*१४---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बलिया जिला में लिफ्ट नहर सिंचाई योजना चालू की गई है ? यदि हां, तो कब से और इस योजना के अन्तर्गत आरम्भ से लेकर मार्च सन् १९७१ तक कौन-कौन स्कीमें कब-कब ली गई है और इन स्कीमों पर वर्षवार किस-किस कार्य पर कितना कितना व्यय किया गया है तथा किन तैयार स्कीमों से वर्ष १९७०-७१ में कितनी-कितनी फसलवार सिंचाई हुई है ?

श्री राम लखन---

प्रथम भाग--- जी हां।
द्वितीय भाग---सूचना संलग्न है।

विभिन्न स्कीमोंके किस-किस कार्य पर कितना-कितना धन 'व्यय' हुआ यह सूचना संकलित करनें में जो श्रम समय व धन व्यय होगा वह उसके उत्तर से होने वाले लाभ के अनुरूप न होगा।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५२२ पर।)

तहसील नौगढ़,जिला बस्ती में बानगंगा नदी के फालतू पानी के भराव की योजना

*१५---श्री सुखपाल पांडेय एवं श्री रामकरन सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील नौगढ़ जिला बस्ती के अन्तर्गत बानगंगा बाजार के ऊपर दाहिनी तरफ बानगंगा नदी तीव्र गति से काट रही है ? यदि हां, तो बानगंगा नदी के फाजिल पानी की बजहा सागर, महलीसाग, मोती सागर, बदुआ सागर में भरकर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने की योजना बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री राम लखन---

जी नहीं, कोई कटाव नहीं हो रहा है। बाढ़ के दिनों में बजहा, मोती, महली तथा बदुआ सागरों में निर्धारित पानी उपलब्ध रहता है। इसलिये बानगंगा का अतिरिक्त पानी इन सागरों में भरे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*१६-१७---श्री कृष्ण कान्त अवस्थी---

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१८--श्री गिरजा शंकर तिवारी--

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खन्ड जिला गोरखपुर के अन्तर्गत ओवरसीयरों की पदोन्नति

श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

*१९--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १मई, १९७०से ३१जुलाई, १९७० के बीच में सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रान्तीय खन्ड जिला गोरखपुर के अन्तर्गत कितने ओवरसियरों की पदोन्नति सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के पद पर इसी जिले में की गई है तथा किस आधार पर ?

श्री महमूद अली खां--

किसी की नहीं।

राज्य सम्पत्ति विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी न किया जाना

*२०--श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९७० में राज्य सम्पत्ति विभाग में सन् १९५५-५६ से कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो उन्हें स्थायी कब तक किया जायगा ?

श्री मह्मूद अली खां--

वर्ष १९७० में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन १९५५-५६ से कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, जिनका कार्य व आचरण सन्तोषजनक था, स्थायी कर दिया गया है।

*२१-२२--श्री सूरज लाल गुप्त--

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२३--श्री हरनारायण--

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२४-२५--श्री विजय बहादुर सिंह--

[२१-७-७१ को नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य हो चुकने के कारण निरस्त]

मिर्जापुर के घाटों का जीर्णोद्धार

*९६--श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर के घाटों के जीर्णोद्धार हेतु सरकार के पास कोई प्रस्तावित योजना है तथा उक्त योजना के कार्यान्वित होने में कितना समय लगेगा ?

श्री महमूद अली खां--

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

कानपुर जिले में मंगलपुर निवादा माइनर के टूटे साइफन का निर्माण

*२७--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में मंगलपुर-निवादा माइनर का मंगलपुर ग्राम के पास का साइफन टूट गया है जिसके कारण उक्त गांव में पानी भरा रहता है। यदि हां, तो उक्त टूटी हुई साइफन बनवाने के सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की गई और उक्त साइफन कब तक बन जायेगी ?

श्री राम लखन--

जी हां।

वैकल्पिक प्रस्ताव बना लिये गये हैं। इनमें से जो ठीक पाया जायेगा वह वर्षा ऋतु के बाद कार्यान्वित कर दिया जायगा।

अतारांकित प्रश्न

जिला मेरठ में कादराबाद नाले पर पुलिया का निर्माण

१--श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्रजनाथपुर डाकखाना भटियाना जिला मेरठ में कादराबाद नाले पर एक पुलिया निर्माण हेतु ग्रामवासियों के १९५७ से १९६५ तक के पत्र व्यवहार पर सरकारी पत्र सं० १६५ एम०आई० दिनांक ११ जनवरी, १९६५ के सन्दर्भ में क्या किया तथा पुलिया का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री राम लखन--

मामले की जांच की गई थी। कदराबाद नाले के मील १-७-६३३ पर पक्का पुल मौजूद होने के कारण नाले के मील २-५ पर पैदल पुलिया को बनाना आवश्यक नहीं समझा गया परन्तु अब फिर इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बस्ती जिल में बीसी से पनघटिया घाट तक सड़क का निर्माण

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

२--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी के पूर्वी क्षेत्र में बीसी से पनघटिया घाट तक बैलगाड़ी मोटर तथा आदमियों के आने-जाने के लिए कोई सड़क है कि नहीं ? यदि नहीं, तो इस सड़क विहीन क्षेत्र में सड़क बनाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री महमूद अली खां--

यह सही है कि बांसी से पनघटियाघाट तक कोई सड़क नहीं है। परन्तु इस समय इस मार्ग के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

इलाहाबाद खण्ड में सहायक परिवहन निरीक्षकों को यात्रिक भत्ता

३--श्री राम चरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद खण्ड के सहायक परिवहन निरीक्षकों को कब से यात्रिक भत्ता नहीं मिला ? यदि नहीं मिला तो क्यों और वह कब तक मिल जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सहायक यातायात निरीक्षकों के यात्रा भत्ते के बिलों का, जो कि प्रधान प्रबन्धक कार्यालय में जून १९७१ तक प्राप्त हुए और जो यात्रा भत्ता के नियमों के अनुसार देय थे, भुगतान किया जा चुका है।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने की घटना

(प्रश्नोत्तर काल के मध्य दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके गये तथा कुछ नारे लगाये गये)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

चूंकि यह पर्चे सदन में फेंके गये हैं और इसमें एक माननीय सदस्य के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं, यह सदन के नोटिस में भी आ गये हैं, लिहाजा इसको पढ़कर कृपया सुना दें। इससे पता चल जायेगा कि प्रीविलेज का मामला है या नहीं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, पर्चे फेंकना अपराध है और यह सदन का अवमान है। उनको तो पहले हटा देंगे, वहां से ले जायंगे।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था चाहता हूं।

(कई माननीय सदस्य खड़े थे और सदन में शोर और कोलाहल हो रहा था। श्री राम कुमार शास्त्री एवं श्री बांकेलाल साथ-साथ शोर और कोलाहल के बीच कुछ कहने लगे जो सुनायी नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष--

आप बाहर जाते हैं क्या ?

श्री रामगोपाल संड--

आप माननीय राम कृष्ण द्विवेदी को बुलाइये और उनसे पूछिये। बड़े गम्भीर आरोप लगाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह परचे से इतना घबड़ा जाते हैं। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्य डरने वाले नहीं होने चाहिये। उनको बैठ जाना चाहिये। मैं कार्यवाही करूंगा उस पर।

(कई माननीय सदस्य खड़े रहे और शोर होता रहा)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो परचे फेंके गये हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए .... (शोर)

श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आपने कहा है कार्यवाही करेंगे यह केवल प्रश्न नहीं है जिन्होंने परचा फेंका उस पर कार्यवाही करेंगे। पहले परचे की जांच करवाएं कि इस परचे पर लिखी हुई बातें सत्य है या नहीं है क्योंकि यदि ऐसी परिस्थिति मिनिस्टर लोग पैदा करेंगे कि असेम्ली में परचा फेंकना पड़े तो मिनिस्टरों का भी दोष है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। सदन का जो अवमान हुआ है यह तरीका अच्छा नहीं है। मैं इसकी इजाजात नहीं दे रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस परचे में इतने गम्भीर आरोप हैं कि उनको आसानी से हजम नहीं किया जा सकता है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये है। मनीराम की जनता परचा फेंक रही है। इसमें लिखा हुआ है "क्रान्ति की चिनगारी"

मानीराम क्षेत्र की जनता के चन्द सवाल

क्या श्री रामकृष्ण द्विवेदी उपमंत्री, गृह, सफाई देने का साहस करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री बांके लाल--

मान्यवर, मैं पढ़ रहा हूं। इसको सुन लीजिये। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो मैं पढ़ रहा हूं। श्री चन्द्रिका प्रसाद श्रीवास्तवा परगनाधिकारी.....

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं आपको (शोर एवं कोलाहल जारी रहा) आप अगर चाहते हैं तो मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूं।

(शोर एवं कोलाहल के मध्य श्री बांकेलाल परचा पढ़ते रहे जो सुनायी नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष--

सदन को ऐडजर्न करता हूं दस मिनट के लिये।

(इस समय ११ बजकर ५५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष ने मार्शल द्वारा सदन को सूचना दी कि सदन की कार्यवाही अभी १० मिनट तक और स्थगित रहेगी। १२ बजकर १५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको सूचना दिये देता हूं कि यहां पर जो घटना घटी है और परचे फेंके गये थे उसी प्रकार की घटनायें दो एक दफे और हो चुकी है। मैं इसे बहुत ही अशोभनीय समझता हूं और इनसे सदन का अवमान होता है। जिन्होंने परचे फेंके हैं वे अभी हमारी कस्टडी में हैं जब हम सदन से उठेंगे तो उस समय मैं उस सम्बन्ध में अपना फैसला दे दूंगा। मैं पहले उनको समझाने

की कोशिश करूंगा कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिये और उसके बाद जो उचित समझा जायेगा उनको दन्ड भी देंगे। (घोर व्यवधान)

दलों के नेताओं ने कह दिया है कि यहां पर परचे नहीं पढ़े जायगे। अतः हम आगे की कार्यवाही शुरू करें। (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं यह निवेदन कर रहा हुं कि आप इस पर डिबेट के लिये एंक दिन निश्चित कर लें।

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

माननीय अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

यदि कोई सदस्य इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो चीजें इस परचे में लिखी गई है वह सही है तो वे लिख कर मुझे दें। मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। इस तरह से इस पर कार्यवाही नहीं होगी....(व्यवधान)।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, जो व्यवस्था आपने दी है वह ठीक है क्योंकि जो परचे यहां पर फेंके गये हैं उसमें न तो किसी प्रेस का नाम ही है और न फेकने वालों का नाम हीं है। किसी भी व्यक्ति या प्रेस का नाम उसमें नहीं है। इसलिये जो दुर्व्यवस्था आपने दी है वह सदन की गरिमा के अनुकूल है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो किसी भी माननीय सदस्य या किसी भी माननीय मंत्री जी के खिलाफ यहां पर रोजाना बगैर नाम के परचे फेंके जायेंगे और उस पर बहस शुरू हो जायेगी। तो इस प्रकार न तो सदन ही चल सकता है और न ही उसकी गरिमा रह सकती है। जो आपने व्यवस्था दी है उसमें आपने सभी विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श कर लिया है अतः मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार ही उस पर अग्रिम कार्यवाही हो।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था आपने दी है वह अव्यवस्थित हुई है और इस घटना के घटने पर आपको जो कष्ट हुआ है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे लिखकर भेजिये।

श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, यह घटना मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है। मैं उन किसानों का नाम भी दे सकता हूं (शोरगुल के कारण सुनाई नहीं दिया)

*श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं और ऊपर से परचे फेंके जाते हैं और सदन में गड़बड़ी हो जाती है जिससे सदन के माननीय सदस्यों के आधिकारों का हनन भी होता है। अगर किसी माननीय सदस्य को किसी विषय पर शिकायत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी राय]

हो तो वह असेम्बली में प्रश्न भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन उठा सकते हैं। हर बार यही होता है कि ऊपर से जो लोग परचे फेंकते है उनके ऊपर कड़ी सजा नहीं होती है। आप उन्हें छोड़ देते है जो गिरफ्तार होते हैं। अगर कड़ी सजा उनको न दी जाय तो सदन की गरिमा कायम नहीं रहेगी। और हमेशा उसी तरह से घटनाएं घटेंगी। यह मैं आप निवेदन करता हूं कि जो भी व्यक्ति पकड़े गये है विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे ताकि कोई आदमी हिम्मत न करे कि बाहर से पर्चे फेंके।

श्री रामकुमार शास्त्री--

यह व्यवस्था जो हुई है वह यहां के इन्तजाम की गलती की वजह से है, तो उनको दण्ड दीजिये यह तो जुदागाना बात हो जाती है, लेकिन यहां की व्यवस्था में जो खराबी है उसको आपको दूर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

सदन के सदस्यों की सिफारिश से लोग ऊपर आते हैं और उन सदस्यों को जो पर्चे फेंकने वाले लोगों की सिफारिश करते हैं मालूम तो थोड़ा बहुत जरूर रहता है, इशारा रहता है। तो मैं समझता हूं जरा जिम्मेदारी के साथ यह काम किया करें--पहली चीज तो यह कहना चाहता हूं। लेकिन उनको सजा देना तो सदन के सामने ही होगा, यह नहीं हो सकता कि मैं उनको अपने कमरे में सजा दे दूं, लेकिन जिन लोगों ने ऊपर वालों ने पर्चे फेंक हैं ऐसे लोगों को पहले तो मैं छोड़ता रहा, लेकिन यह गम्भीर मसला है, अब इस बात पर विचार करना होगा और अगर कोई मुझे सुझाव या सूचना देना चाहें तो मेरे कमरे में दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपने बड़ा अच्छा किया, उनको कठोर से कठोर सजा दीजिय, लेकिन इन सब बातों को लेकर जो पर्चे में छपी हैं, एक माननीय विधान सभा के सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री जी क खिलाफ शिकायतें लिखकर भेजी हुई हैं और आज तक वह दबी पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूं कि जब यह सरकार भ्रष्टाचारी है, आप मंत्री भ्रष्टाचारी है तो फिर मैं यह कहता हूं क्या.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जिम्मेदारी से कहें, कायरों की तरह नहीं, मुझे लिख कर भेज दें कि यें यह सत्य समझता हूं बहादुर की तरह, इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह से ऊपर से पर्चे फेंकना यह अच्छा नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं तो सदन में कह रहा हूं कि आधे मंत्री भ्रष्टाचारी हैं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि इस किस्म की घटनाएं इस सदन में बार-बार हो चुकी हैं और आप बार-बार यह बात सारे सदस्यों को बतला चुके हैं कि जो भी गैलरी के अन्दर आता है, जिस किसी मेम्बर से उसका दाखिला होता है आज्ञा से, उसके जारी किये हुए पत्र से, वह उसका जिम्मेदार होता है। तो श्रीमन् बार-बार यह होता है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि उस शख्स को जिसने पर्चे फेंक हैं वह आपकी कस्टडी में है। उससे आप अपने कक्ष में बातचीत करेंगे। उस वक्त पर आप उस आनरबिल मेम्बर को भी बुलावें जिसके द्वारा वह गैलरी के अन्दर आता है और उसकी मौजूदगी में अगर पनिशमेंट या गैर-पनिशमेंट जो भी आप तजवीज करें वह उसकी मौजूदगी में ही होना चाहिए, उसको साथ लेकर होनी चाहिए ताकि आयन्दा इस किस्म की प्रथा इस सदन में रोकी जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

बहुत अच्छा है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इस संबंध में दो रायें नहीं हो सकतीं कि जिस घटना से निश्चित रूप से सदन का अवमान हुआ है, जैसा आपने खुद फरमाया, यह घटना बड़ी अशोभनीय है। इस घटना के सम्बन्ध में यह भी निश्चित है कि यह सदन के दृश्य में हुई। नियमावली के नियम ६३ के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अब किसी शिकायत की आवश्यकता नहीं है। सदन सक्षम है कि आपकी आज्ञा से इस पर तुरन्त कार्यवाही कर सकता है। मेरी आपत्ति यह है कि आपकी नियमावली में आपको कहीं अधिकार नहीं है कि जब कभी सदन का अवमान हो तो आप सजा दें। आपकी आज्ञा से, श्रीमन्, सदन को सजा के निश्चित करने का अधिकार है। घटना चूंकि सदन के दृश्य में हुई है और गम्भीर है तो मेरा प्रस्ताव है कि इस प्रश्न पर सदन तुरन्त, अविलम्ब कार्यवाही करने का निश्चय करें और निश्चय करें कि उनको क्या सजा दी जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हम लोगों को कक्ष में बुलाया था वहां पर इस मामले पर विचार करन के लिये तो मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे इत्तफाक करेगा कि यह किसी दल विशेष का मामला नहीं है बल्कि पूरे सदन का है। यहां पर किसी बात के लिये सदन का ध्यान खींचा जाय या कोई कार्यवाही करें तो उसके लिये निश्चित नियम हैं। अगर किसी आदमी को शिकायत लानी थी तो याचिका द्वारा ला सकते थे या किसी माननीय सदस्य को सब बातें बता कर उनको मुतमइयन करा कर सवाल करा सकत थे, इस पर बहस करा सकते थे, यह चीज हो सकती थी। मेरे एक साथी ने कहा कि इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पर्चा सदन में फेंका गया उस पर न तो प्रेस का नाम है और न छापने वाले का नाम है। इसलिये इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिये या इस तरह से इसको न लेना चाहिये कि इसको सच मान लें। पर्चा बांटने वाले तक को यकीन नहीं है कि वह सच है। इसलिय इसका नोटिस नहीं लेना चाहिये। अगर कोई इसके बहुत कायल हों तो वे लिख कर दे सकते हैं। इसलिये इस पर्चे पर बहस नहीं होनी चाहिये। जिसने यह काम किया है उसक खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये। आपन रास्ता बताया है कि किस तरह के काम किया जाय। आप उसको बुलायेंगे उसको समझायेंगे और अगर वह मांफी मांगे लेता है तो उसका जुर्म खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर माननीय शिवराज सिंह जी इसके लिये तैयार नहीं हैं और चाहते हैं कि सदन में कीचड़ उछालें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, आपने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों ने इस मामले में जो अपने विचार प्रकट किये उनको आपने स्वीकार किया। पहली चीज तो यह है कि आये दिन इस तरह की घटना होती हैं वह ठीक नहीं है और अनुचित हैं। आज मंत्री जी के खिलाफ सदन में पर्चे फेंके गये हैं, कल मेरे खिलाफ फेंके जा सकते हैं और अगर वह विवाद का विषय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माथव प्रसाद त्रिपाठी]

बन जाय तो हमारे खिलाफ विवाद का विषय बन जायेगा और ऐसे तरीके से वह सदन के सामने जायेगा जो अनुचित है। चाहे मामला बिल्कुल निराधार हो फिर भी, तब भी वह इस तरह से सामने आयेगा जो अनुचित है।

हमने यह भी कहा था कि जिसने यह काम किया है उसको दण्ड दिया जाय ताकि भविष्य में ऐसा न हो और उसको कड़ा दण्ड देना चाहिये। लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य ने किसी को लिख कर दे दिया कि इनको परमीशन दे दी जाय। अगर किसी व्यक्ति को पास देने के लिये यदि हम दस्तखत कर देते हैं तो हम उसके हृदय का फोटो नहीं लेते हैं और हम नहीं जान सकते कि वह कैसा आदमी है। इसलिये इस चीज को मस्तिक से निकाल दें और यह अव्यवहारिक है। लेकिन मुझे कष्ट हुआ।

माननीया डाक्टर राजेन्द्र कुमारी जी वहां पर मौजूद थीं और माननीय शिवराज सिंह जी मौजूद नहीं थे। इस बात को सोचा गया था कि अगर इस पर सदन में बहस छिड़ेगी तो किसी की जुबान पर ताला नहीं लगा सकते हैं और जैसा कि माननीय जायसवाल जी ने भी कहा था कि यह मामला निराधार मालूम होता है क्योंकि शिकायतकर्ता ने अपना नाम नहीं दिया है। इसलिये इसका प्रचार करना उचित नहीं है। इसलिये इस चीज को बचाने के लिये हम यहां पर डिसकशन न करें। सदन के सामने जो चीज हुई उसका नोटिस ले लें और कह दें कि उचित कार्यवाही करेंगे। आपने बड़ा सुन्दर रास्ता निकाला था। अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो मुझे दुःख है कि जो स्थिति हम एवाइड करना चाहते थे वही न आ जाय। जो निर्णय आपने लिया है उसी के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये ताकि सदन की गरिमा बनी रहे वरना यहां पर कीचड़ उछलेगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब मैं आपके कमरे में गई थी तो उसके पहले विरोधी दल के माननीय सदस्य बैठे हुये थे। हमारी तरफ से किसी को बुलाया या नहीं, मैं नहीं जानती। जब मैंने प्रश्न उठाया कि यह घटना सदन में हुई है तो इसका निस्तारण भी सदन में ही होना चाहिये तो आपने कहा कि इस पर बातचीत हो चुकी है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि इस पर बातचीत हो गई है कि आप निर्णय कर लेंगे। मैं केवल इतना ही आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी चिन्ता हमें नहीं है और न इस बात का हमें डर है कि हमारे कौन से मंत्री के खिलाफ किस तरह से कैसे प्रश्न उठाये जाते हैं, उनके ऊपर क्या दोषारोपण किये जाते हैं। अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार करता है या कोई गलत काम करता है तो हमारी पार्टी, हमारे दल के नेता इस बात को देखेंगे कि ऐसा मंत्री मंत्रिपरिषद् में न रहने पाये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हाउस का और विरोधी पक्ष का भी यह काम है कि वह गलती को सामन ला सकता है।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि व साधारण कर्टसी का तो निर्वहन करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं तो स्पष्टीकरण दे रहा था।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जब तक मैं बैठ न जाऊं, नियमों के अनुसार स्पष्टीकरण की बात ही नहीं उठती । आप तो पुराने सदस्य हैं आपसे तो ऐसी आशा की ही जा सकती है ।

मैं यह निवेदन कर रही थी कि पर्चे में क्या लिखा है, यह दूसरा सवाल है और सदन में बाहर से पर्चे फेंके गये, यह दूसरी चीज है । सदन की नियमावली में दंड देने के लिये जो विधान रखा गया है उसके बारे में नियम ७३ में यह लिखा हुआ है "यदि विशेषाधिकार समिति की यह राय हो कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या अवमान हुआ है तो समिति सिफारिश कर सकेगी और सदन को निम्नलिखित दंड देने की शक्ति होगी । यह हुआ विशेषाधिकार समिति में और जो कोई सवाल जाता है तो वह भी सदन में आता है । लेकिन अगर सदन के सामने ही कोई घटना हुई है तो सदन का ही कोई माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा सकता है कि इसमें सदन का अवमान हुआ है अतः इस तरह की घटना पर अविलम्ब विचार हो जाना चाहिये । इसमें किसी दल की कोई बात नहीं है न शासक दल की ओर न विरोधी दल की । यह तो सदन की गरिमा की बात है । इसलिये हम चाहते हैं कि इस प्रश्न के ऊपर, बार-बार इस प्रकार की घटनाएं न हों कोई निश्चित परम्परा कायम हो जानी चाहिये क्योंकि इस सदन के सामने यह घटना हुई है इसलिये हमारा निश्चित प्रस्ताव यह है कि इसमें सदन का अवमान हुआ है और इसके लिये दंड की व्यवस्था यह सदन इसी वक्त निश्चित करें ।

अब बहस केवल इस बात पर होनी चाहिये कि वह पर्चा गिराने से सदन का अवमान हुआ है । पर्चे में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, यह बिल्कुल दूसरी बात है । बाहर से कोई व्यक्ति आकर हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करे, पर्चा फेंके और उस प्वाइंट को लेकर इस सदन मे बहस शुरू हो जाय, मैं समझती हूं कि यह किसी नियम के अन्दर नहीं है । इसलिये इस बारे में सदन में प्रस्ताव पास होना चाहिये कि इसमें सदन का अवमान हुआ है । जिस व्यक्ति ने अवमान किया है, उसके लिये दंड की व्यवस्था सदन में इसी समय की जाय ।

***श्री कृष्णानन्द राय--**

(माननीय अध्यक्ष द्वारा लक्ष्मीरमण आचार्य का नाम पुकारने पर) अध्यक्ष जी, पहले आप हमारी बात सुन लें । आचार्य जी को भी उससे मदद मिलेगी । मैं केवल तना निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपकी बातें विरोधीदल के सदस्यों से हुई थीं तो आप ने यह बात रखी थी कि इस समय इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये और यह भी कहा था कि यह सदन के नियमों के विरुद्ध है कि कोई व्यक्ति गैलरी से पर्चा फेंककर सदन के कार्य में अवरोध उत्पन्न करे । सदन में पर्चे फेंकना एक अशोभनीय कार्य है । यह सदन का अवमान है । यह आपने फैसला दिया था और उसको हम मान गये थे । अगर आपका प्रस्ताव सरकारी बेंच के लोग नहीं मानते और माननीय वाजपेयी जी की राय है कि सदन के सम्मुख यह कार्य हुआ है लिहाजा सदन को अधिकार है कि इस पर पूर्ण रूप से अभी विचार किया जाय । जहां तक हम लोगों का संबंध है, हम लोग आपके विचारों को भी मानते हैं और माननीया वाजपेयी जी के विचारों को भी मानने को तैयार हैं । तो हम लोग चाहते हैं कि चूंकि सरकारी बेंच की ओर से यह आया है कि सदनके सम्मुख यह कार्यवाही हुई है और सदन स्वयं इस पर विचार करे, लेकिन इस संबंध में एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि भावावेश में आकर यह सदन कोई ऐसा काम कर दे जिसका उत्तर प्रदेश की जनता तथा जो लीगल कांसेंशस है उसके विपरीत हों ।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रेस गैलरी से एक अमेरिकन ने सदन का फोटो खींचा था और यह बिलकुल निश्चित चीज थी कि यह मान्य परम्परा के अनुकूल नहीं है कि सदन की फोटो खींची जाय । प्रेस गैलरी से सदन की फोटो खींचना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

सदन का अवमान होता है लेकिन आपने उस विदेशी को भी मौका दिया था कि वह सदन के समक्ष आकर, सदन की बार में आकर अपना स्पष्टीकरण दे । उसने अपना स्पष्टीकरण दिया कि मुझे यहां का नियम नहीं मालूम था और आपने उसको छोड़ दिया या जो कुछ किया । ऐसी परिस्थिति में जब सदन इस पर विचार करना चाहता है तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह न्याय की मान्य परम्परा के अनुसार है कि उस व्यक्ति को इस बात का अवसर दिया जाय कि वह सदन के सम्मुख आवे और उससे श्रीमन्, आप यह पूछें कि तुमने जो यह पर्चा फेंका है वह क्यों फेंका ? तुम सदन में पर्चा फेंकने के अपराधी हो । उसका स्पष्टीकरण आप सुनें और उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद सदन विचार करे और फिर आप चाहे उसे फांसी दे दीजिये या जो कुछ कीजिये । लेकिन भावावेश में आकर जो हमारी सारी परम्परायें हैं, जो जस्टिस का मूल सिद्धांत है उसका हनन करके, बहुमत के जोर पर किसी को भी सजा देने की कोशिश की जायेगी तो सभी विरोधी दल के लोग उसका जम कर विरोध करेंगे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा था कि हमारे मित्र माननीय बीरेंद्र वर्मा ने जिस सवाल को उठाया है..... (व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय वीरेंद्र वर्मा ने जिस सवाल को उठाया है, मैं नहीं जानता कि आपके और कुछ माननीय सदस्यों के बीच में क्या बात हुई लेकिन एक बात निश्चित है, मैं इस माननीय सदन को आज आमंत्रित करना चाहता हूं कि कृपा करके इस घटना का जरा सा विश्लेषण कर लें और विश्लेषण करके यदि माननीय सदस्य इस निर्णय पर पहुंचें कि हमको इस सम्बन्ध में क्या करना है, तो मैं इस ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग उसके लिये तैयार हो जायेंगे । लेकिन कृपा करके इस घटना के विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ेगी । घटना तो केवल इतनी सी है कि गैलरी से कुछ पर्चे फेके गये । यदि यह स्वयं इस सदन का अवमान है तो इसके ऊपर कुछ सोचने विचारने के लिये नहीं रहता । यदि इसके अतिरिक्त कुछ और है---मान्यवर, मैं बहन राजेन्द्र कुमारी जी और दूसरे मित्रों की बस बातों से सहमत हूं कि यदि किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई लांछन, आरोप है तो नियमित रूप से उसे सदन के सामने रखें और उस पर चर्चा हो सकती है । मैं केवल यह कहना चाहता था जैसा कि हमारे माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा --यह नहीं है कि इस पर्चे में जिस प्रकार के आरोप हैं--- मैं अपने मित्र जायसवाल जी और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि इसमें प्रेस के नाम नहीं हैं, यह सही है कि उस व्यक्ति नाम नहीं है जिसने पर्चा छापा है लेकिन यह पब्लिकेशन डिफेमेटरी मैटर है । यदि यह पर्चा पब्लिक में बाजार में बंटे तो बांटने वाले को पनिशमेंट हो जायगा । चाहे इसमें प्रेस का नाम न हो, चाहे इसमें उस व्यक्ति का नाम न हो लेकिन इस पर्चे के बांटने पर बांटने वाले को सजा हो सकेगी । यदि ये आरोप गलत हैं तब तो पर्चा फेंकना गैलरी से और भी बड़ा अपराध है ।

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि मै और मेरे सभी मित्र माननीय वीरेन्द्र वर्मा की बात से बहुत सहमत हैं । आखिर श्रीमन् को मालूम है कि यह सब एक बड़े सवाल का एक हिस्सा है । जब से हम लोग अबकी बार यहां बैठे हैं और उससे पहले भी,आरोप और प्रत्यारोप किसी न किसी रूप में चलते रहे हैं और उन सब आरोपों और प्रत्यारोपों के संबध में हम सब लोगों ने अपने तौर पर कहने की चेष्टा की है । यदि वह आरोप सच हैं तो उन चीजों को उठाना चाहिये और उठा कर एक निर्णय लेना चाहिये। लेकिन इसके बिलकुल विपरीत यदि हम इस प्रकार की बातें करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के विरुद्ध आरो लगा सकता है और

उसका उत्तर भी दिया जा सकता है । आपके पास पुराने विशेषाधिकार के प्रश्न भी रखे हुये हैं और यदि आप उचित समझें तो किसी दिन उनके संबंध में यहां चर्चा करा लें। एक मेरा निवेदन और है कि यहां पर कोई पर्चा फेंका जाय तो यह स्वयं में ही एक अपराध है और यदि वह स्वयं में अपराध है तो हम में से शायद कोई भी उस अपराधी को बचाना नहीं चाहता मैं अपने मित्र माधव प्रसाद जी से सहमत हूं कि म से जो कोई व्यक्ति यां आने के लिये पास लेता है हम नहीं जानते कि उसकी जेब में क्या रखा है। इसी प्रकार यहां का कोई भी व्यक्ति जो किसी को पास देता है वह नहीं जानता कि उसकी जेब में क्या है? मुझे केवल एक बात कहनी है, आप उससे कुछ भी पूछें लेकिन क्या स्वयं में यह एक अवमान नहीं है? यदि यह अवमान है है तो कृपया करके उसे यहां बुला कर दंडित कर दें।

अपने मित्र कृष्णानन्द रा जी से एक निवेदन करूंगा कि यदि किसी के विरुद्ध कोई लांछन हो तो कृपा करके उसे सदन में रखिये। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे। लेकिन यह जो तरीका है कि सदन में वहां से पर्चे फेंके जायं यह उचित नहीं है।

एक अन्तिम निवेदन और करना चाहता हूं कि आप जब उनको यहां बुलावें तो कृपा करके इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिये गैलरीज को साफ करवा दें क्योंकि यह अनुचित है कि कोई भी व्यक्ति गैलरीज का दुरुपयोग करके इस प्रकार का कार्य करे। इसलिये कम से कम आज के लिये तो गैलरीज को आवश्य साफ करवा दें।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन् मुझे बड़ा दुख है कि हमन और माननीय जायसवाल जी ने जो विचार व्यक्त किये मुझे लगता है कि आचार्य जी ने उसको गलत समझा। हम लोगों ने तो उनके समर्थन में नहीं बल्कि इस सदन की गरिमा रखने के संबंध में कहा था कि जिसमें प्रेस का नाम नहीं है शिकायतकर्ता का नाम नही, जिसके बारे में शिकायतकर्ता स्वयं निश्चित नहीं है कि सही है या गलत है उसके बारे में यहां डिस्कशन क्यों किया जाय। आप कहते हैं कि हम अपील करते हैं इसके बारे में ऐसा-ऐसा किया जाय। हमने ऐसा नहीं कहा। मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि आज निर्णय हुआ यदि आपके कहने के मुताबिक तुरन्त उनको यहां बुलाया गया तो मुमकिन है कि उसके बारे में फिर से डिस्कशन शुरू की जाय। हो सकता है कि वह डिस्कशन हमारे बारे में या अन्य माननीय सदस्यों के बारे में हो जाय और एक परम्परा पड़ जाय ओर कीचड़ उछले, अखबारों में आये क्योंकि यहां पर सबके प्रोडक्टेड राइट्स हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ न किया जाय जिससे यह नौबत आये।

दूसरी चीज एक और है। माननीया बाजपेयी जी ने एक बात कही कि अगर हमारा कोई मंत्री भ्रष्ट है तो हमारा यह कर्तव्य है, हमारे दल का यह कर्तव्य है कि उसके खिलाफ कार्यवाही करें, सदन में इस प्रकार की चीज नहीं उठानी चाहिये। यह चीज अनचैलेंज्ड नहीं जानी चाहिये। यह तो वही सरकार कह सकती है जिसके १२ आने मंत्री भ्रष्ट हों। और अगर उन्हीं की पार्टी के खिलाफ ऐक्शन लेगी तो फिर विरोधी पक्ष का क्या कर्त्तव्य रह जाता है? आपकी गलतियों को सदन के सामने न लायें। मुख्य मंत्री के मस्तिष्क में न लायें तो फिर विरोधी पक्ष और क्या करे? मैं फिर अपील करता हूं कि आज के संदर्भ में जो हमने कहा, जायसवाल जी ने कहा, अन्य नेताओं ने कहा कि आपने उसकी नोटिस ले ली और वह सदन के सामने आ गया, अब क्यों कीचड़ उछले इसलिये आप उसे पोस्टपोन करना चाहते हैं, यह ठीक ही है। हमने तो इसके समर्थन में ही कहा है।

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

क्या आज आप बजट का काम नहीं करना चाहते हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेणी राय---

बजट तो समाप्त करना ही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

(शोर)

श्री बांकेलाल---

यह पर्चा कांग्रेस के लोगों ने ही यहां पर फिंकवाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये। आपके नेता बोल चुके हैं। अब मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। बात यह ह कि जब मैंने इस बात को देखा कि कृष्णानन्द राय जी ने इस बात का प्रश्न उठाया कि इस पर्चे को पढ़ दिया जाय और इस पर चर्चा हो तो मैंने कहा कि यह तत्काल करना उचित नहीं होगा। उस समय मैंने सदन को १० मिनट के लिये स्थगित कर दिया। इसके बाद १० मिनट के लिये और स्थगित करना पड़ा क्योंकि वहां पर बहस चल रही थी। श्रीमती बाजपेयी जी बाद को वहां आईं। उनको पहले मालूम नहीं था। मैंने सब को बुलाया नहीं था। अभी तक यह प्रथा रही है कि यहां पर पर्चा कोई गिराता है तो उसको पकड़ कर मैं सजा दे दूं यदि वह पकड़ में आ जाय लेकिन उसकी जांच यहां पर नहीं होती है और न अभी तक हुई है। यह प्रथा स्वीकृत थी। उस पर्चे के गिराने से सदन का अवमान हुआ है। वह पर्चा इल्लिगल है उस पर किसी का नाम भी नहीं है तो उसकी चर्चा यहां पर करना उचित नहीं है। यह सब लोगों ने एकदम तो नहीं माना था लेकिन बहस करने के बाद सब लोगों ने यह तय किया कि इसकी चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये। पहले जो मैं सजा देता रहा उसमें इस बात का ख्याल नहीं था कि कोई कड़ाई की जाय लेकिन अब कहा गया कि जब तक कड़ी सजा नहीं होगी तब तक यह नहीं रुकेगा। यह अवमान तो है ही लेकिन इस तरह की चीजों में आज तक मैंने लीनियेन्ट व्यू लिया। लेकिन आज यह सब की इच्छा मालूम हुई कि थोड़ा लीनियन्सी को कम कर दिया जाय और थोड़ी सी इतनी सजा मिलनी चाहिये। जिससे अवमान जो इस तरह से होता है वह आइन्दा न हो सके। तो उसकी कोशिश की जायगी। उसके लिये मैंने आपके विचार सुन लिये। सचिव कार्यवाही करेंगे।

यहां पर अब हमारे सामने दूसरा काम है। आज बजट है। शासक पार्टी ने अपना बजट पेश किया है और उसके एक हिस्से को आज समाप्त करना है। वह काम महत्व का है। अब ऐसे वक्त में एक पर्चा जिसके ऊपर दस्तखत भी नहीं है उसकी इन्क्वायरी करनी पड़ेगी। बगैर इन्क्वायरी किये सजा नहीं होगी। यहां पर किसी के मुंह को रोकना कठिन है यदि कोई खड़ा होकर उसकी डिटेल में जाने लगे। ऐसी अवस्था में यह उचित होगा कि जो रूलिंग आपने पढ़कर सुनाई कि अध्यक्ष की इजाजत से सदन में यह विषय तत्काल उठ सकता है। वैसे नहीं उठ सकता है। तो मैं अब इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस तरह की चीज को यहां पर उठाना अनुचित होगा। इस तरह की चीजों को प्रामिनेन्स दी जाय यह उचित नहीं है। मैं सजा दे सकता हूं और सख्त सजा भी दे सकता हूं। ऐसी हालत में जिन्होंने पर्चा फेंका है उनको पकड़ लिया गया है और वह मेरी कस्टडी में हैं और उनके विषय में विचार करके आगे सजा दी जायगी। इसलिये अब मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, कल भी एक प्रश्न उठा था। केसा में हड़ताल चल रही है। उस हड़ताल के बारे में माननीय मंत्री जी को एक वक्तव्य देना था। वह वक्तव्य पीजियन होल में नहीं रखा गया। मैंने एक प्रार्थना की है कि उस पर आज ढाई घंटे की चर्चा करा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं नहीं कराऊंगा।

उप मंत्री व राज्य मंत्री द्वारा प्रश्नों के उत्तर उचित ढंग से न दिये जाने के संबंध में शिकायत

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष जी, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था चाहता हूं। आज जितने भी प्रश्नों के सम्बन्ध में मंत्रियों की ओर से उत्तर दिये गये उनके विषय में आप भी सहमत होंगे कि न तो मुख्य मंत्री की ओर से जो उत्तर दिये गये वह ठीक से दिये गये और न ही परिवहन मंत्री की ओर से ही ठीक उत्तर दिये गये और कोई भी माननीय सदस्य उनके उत्तरों से संतुष्ट न होंगे और आप भी शायद उनसे स्वयं सन्तुष्ट न होंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर माननीय मुख्य मंत्री या कोई और कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है तो उधर से कोई दूसरे मंत्री उत्तर दें ताकि हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष—

हम तो नियमों से ही चलेंगे, आप नियम ४९ में सूचना दे दें तो म चर्चा की इजाजत दे सकता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अगर कोई केबिनेट स्तर के मंत्री न हों तो कोई दूसरे मंत्री उत्तर दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आधा अव्यवस्था का कारण यह है कि मंत्री लोग अपूर्ण उत्तर देते हैं और जो विभाग उत्तर भेज देते हैं या वहां से जो गोलमोल उत्तर आते हैं, उन्हीं सरकारी अधिकारियों की सूचना के आधार पर और सफेद गलतियां भी वहां से आती हैं तो उन्हीं के आधार पर यहां उत्तर दे दिये जाते हैं। अगर आप ने इस चीज को नियंत्रित न किया तो सदन पर भी नियंत्रण करना कठिन होगा और यही अनुशासनहीनता का कारण है। इस को चेयर को कंट्रोल करना आवश्यक है, माननीय वर्मा जी ने ठीक ही कहा। इसका आपको हल निकलना चाहिये।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रभाषा की हत्या हुई है। मुझे आज मालम हुआ है कि जिलाधीश बनारस ने एक समन आन्ध्र सरकार को हिन्दी में भेजा। वहां के एक आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था जिनका नाम बी० श्याम सुन्दर है, वह समन उनके पास सर्विस के लिये भेजा गया था। लेकिन जब यह वहां पहुंचा तो उसको यह कह कर वापस कर दिया गया कि यह हिन्दी में है, इसे अंग्रेजी में भेजा जाय और जिलाधीश बनारस ने उस को फिर अंग्रेजी में भेजा। इस तरह से हिन्दी राष्ट्रभाषा की हत्या हुई है। आप कृपया व्यवस्था दें कि यह कहां तक उचित है और क्या अंग्रजी में भेजा जाना ठीक हुआ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं हबीब अहमद साहब की हिन्दी के प्रति आत्मीयता के लिये बधाई देता हूं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अल्पसूचित प्रश्न में विलम्ब होने की शिकायत

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में मैंने एक अल्पसूचित प्रश्न दिया था कि सीतापुर में परिवहन मंत्री जी ने २ लाख रुपये की जमीन अपने रिश्तेदार को ५०० रु० में दिला दी। वह इंडस्ट्रीयल स्टेट के पास थी। उसके लिये १४ दिन का नोटिस होता है लेकिन मुझे अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं फाइल देख कर बता सकता हूं, अभी यहां नहीं बता सकता।

(व्यवधान)

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आप की प्रक्रिया नियमावली में सारे नियम दिये हैं, नियम ३०७ अजनबियों के बारे में है और ३१३ में अध्यक्ष को विशेषाधिकार दिये हुये हैं ....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

वह विषय तो खत्म हो गया, वह बोल रहे हैं उस पर इसके माने है कि आप व्यवस्था नहीं चाहते। उनको बन्द कीजिये।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आपने जो निर्णय दिया है, एक बात जो यहां पर घटित हुयी, यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। श्रीमन् प्रक्रिया के नियम ३०७ में आप को अधिकार है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारा अलग मत है इसलिए आप इसके लिये कोई समय निश्चित कर दें ताकि इस पर बहस हो जाय।

लखनऊ नगर में टेम्पो स्टैण्ड को समाप्त करने तथा पुलिस द्वारा टेम्पो चालकों को परेशान किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—**

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। कल लखनऊ शहर में टैम्पो चल रहे थे। पहले चारबाग के स्टेशन पर उनके खड़े होने की जगह थी, रेलवे के अधिकारियों ने इनके लिए स्थान एलाट कर दिया था और एक बोर्ड लगा दिया था कि यहां पर टैम्पो स्टैन्ड है लेकिन कल रात में वह स्टैन्ड पुलिस वालों ने उखाड़ दिया, बोर्ड हटा दिया और यह कहा कि यहां पर स्टैन्ड नहीं रहेगा। तो इसके कारण १५० टैम्पो वाले इस शहर के अन्दर मजबूर कर दिये गये हैं कि वे शहर में कहीं खड़े न हों, इनके लिए कोई जगह नहीं दी जा रही है। हजरतगंज में भी हनुमान के मंदिर के सामने से खड़े होने पर हटा दिया गया है और यह कहा गया है कि यहां पर भी टैम्पो खड़े नहीं होंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि १५० टैम्पो शहर में चलने बिल्कुल बन्द हो गये हैं और विधान सभा के सामने भी आपने देखा होगा कि वे खड़े हुए हैं और कल दोपहर से वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको खड़े होने के लिए कोई स्थान दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैं उप-मंत्री जी से बात करने के लिए घंटों खड़ा रहा कि इस सम्बन्ध मे वे कोई हल निकालें। विधान सभा के सामने इनको खड़ा होने के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या आप मजबूर नहीं कर रहे हैं ? श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप इन टेम्पोज को यहां से हटाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जरूर कराऊंगा। आप लिख कर भेज दें तो मैं इन्क्वायरी करा लूंगा कि किस के आर्डर से होना चाहिए। इन्क्वायरी कराने के बाद ही मैं फैसला कर सकता हूं।

नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा के लिये दी गई सूचनाओं को विभाग द्वारा अकारण अस्वीकार किये जाने के संबंध में शिकायत

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अभी कुछ देर पहले माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने प्रश्नों के उत्तर जो सरकार की ओर से आते हैं, की ओर आपका ध्यान दिलाया। आपने कहा कि नियम ४९ के अन्तर्गत हम प्रश्नकर्ता विवाद की मांग कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उस दिन के कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। कोटा वगैरह में जो गड़बड़ी हुयी, उसके बारे में माननीय विभव, उद्योग मंत्री ने सदन का २० मिनट समय लिया लेकिन वह सदन को संतुष्ट नहीं कर पाये। मैंने और रामकरन सिंह जी ने प्रश्न उठाया लेकिन आपका सचिवालय नियम ४९ के अन्तर्गत जो प्रश्न चर्चा के बारे में किये जाते हैं, उनको महत्व नहीं देता है और वे सब अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। ३१ अगस्त तारीख तक का कार्यक्रम हमारे सामने आया है उससे यह प्रश्न होता है कि ३१ के बाद सदन बैठेगा या नहीं। यह बैठे या न बैठे लेकिन हम तो सरकार की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए नियम ४९ का उपयोग करते हैं लेकिन आप का सचिवालय इसकी इजाजत नहीं देता है, बल्कि उपेक्षा करता है। जहां तक मुझे याद है नियम ४९ के अन्तर्गत आज तक किसी प्रश्न की इजाजत नहीं मिली है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि नियम ४९ के अन्तर्गत जो सूचना दी जाय उसको स्वीकार करें। सचिवालय बिना किसी कारण के ही इन्हें अस्वीकार कर देता है। इस ओर मुझे आपका ध्यान दिलाना है।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आप कमरे में आकर मुझ से बात कर लें।

स्वशासन सचिव द्वारा मुख्य नगर अधिकारी को अंग्रेजी में लिखे गये आदेश-पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पहली व्यवस्था यह चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत में खबर है, हबीब साहब ने ठीक नहीं बताया। इसकी असलियत यह है कि इसमें सचिव महोदय, स्वायत्त शासन का पत्र छपा है अंग्रेजी में। मान्यवर, स्वायत्त शासन के सचिव महोदय ने मुख्य नगर अधिकारी को अंग्रेजी में चिट्ठी भेजी है जिसमें मुख्य नगर अधिकारी ने हिन्दी में लिखा है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो माननीय मुख्य मत्री महोदय ने यह कह रक्खा है सदन में कि अंग्रजी में सरकारी काम करना अनुशासनहीनता समझी जायगी। तो मान्यवर, यह स्पष्ट अनुशासनहीनता है। मैं चाहूंगा कि आप मुख्य मंत्री से इस पर वक्तव्य दिला दें कि क्या वे इसको अनुशासनहीनता मान कर इस पर कोई कार्यवाही करेंगे। यह अपनी जगह साफ है। २३ सालों से बराबर सरकारी काम काज अंग्रेजी में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी]

होता चला जा रहा है और सरकारी पक्ष में बैठे लोग कई सालों से बराबर यह कहते आ रहे हैं कि सरकारी काम-काज हिन्दी में होगा। संविधान में भी सरकारी काम काज की भाषा हिन्दी बताई गई थी। लेकिन सरकारी काम काज हिन्दी में नहीं हो रहा है। यह तो देश के साथ और प्रदेश के साथ, देश की गरीब जनता के साथ में विश्वासघात है। आज-भी २४ सालों के बाद सरकारी काम-काज अंग्रेजी में हो रहा है। इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं होना चाहिये। इस पर मैं बातचीत कर लूंगा।

मंत्रियों द्वारा सदन में दिये गये उत्तरों की प्रामाणिकता के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने प्रश्न उठाया कि जो माननीय सदस्य अपनी-अपनी सूचनाओं के अनुसार अपने क्षेत्र के मुताल्लिक या दूसरा कोई प्रश्न प्रदेश के मुताल्लिक पूछते हैं तो उसका उत्तर माननीय मंत्री या मुख्य मंत्री देते हैं। जो उत्तर माननीय मंत्री देते हैं उसकी सूचना कहां से आती है? अगर आप उसकी गहराई में जायं तो ज्ञात होगा कि उस विभाग के सब से नीचे के कर्मचारी से वह सूचना चलती है। अगर गृह विभाग का सवाल है तो एक कांस्टेबुल या थानेदार उस सवाल के जवाब के बारे में सूचना भेजेगा। अगर राजस्व विभाग का सवाल है तो एक पटवारी उसका जवाब बना कर भेजेगा। यानी नीचे से नीचे का कर्मचारी उस सवाल का जवाब बना कर भेजता है और उसी के ऊपर कलेक्टर और उसके बाद सेक्रेटरी इत्यादि से होकर उस सवाल का जबाब इस माननीय सदन में माननीय सदस्यों को, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया जाता है। अब इसमें सवाल यह खड़ा होता है कि जो आनरेबुल मेम्बर की अपनी सूचना है जो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रश्न पूछता है और उसके बाद उसी जिम्मेदारी के साथ उसमें सप्लीमेन्टरी क्वैश्चन करता है और माननीय मंत्री छोटे से छोटे कर्मचारी की दी हुई सूचना को सही समझकर उसको डिफेन्ड करने की बात सदन में करते हैं। तो मैं आपसे इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस सदन के अन्दर, इस प्रजातन्त्र के अन्दर उस माननीय सदस्य की सूचना जो माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने क्षेत्र के लिये या पूरे प्रदेश के बारे में देते हैं वह सही होगी या वह सूचना सही होगी जिसको उस विभाग का जो सबसे छोटा कर्मचारी देता है और वही माननीय मंत्री द्वारा सदन में रक्खी जाती है? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, वह नीचे वाला आदमी उत्तर बनाता है यह इत्तला दी गई है। पर मैं कहना चाहता हूं कि यह बीच वाला बनाता है। नीचे वाला केवल सामग्री इकट्ठा करता है। वह उत्तर मंत्री जी के पास जाता है। मंत्री जी उसको काट दें या संशोधित कर दें या नये सिरे से लिख दें। यह होता है।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि जानकारी नीचे से तो आती ही है। मंत्री जी का यह कर्तव्य है कि अगर कोई सदस्य यह कहे कि यह मेरी जानकारी है तो उसकी पुनः जांच करा लेनी चाहिए। कभी-कभी मंत्री जी कह देते हैं कि हम तो समझते हैं जांच की जरूरत नहीं है, लिख कर दीजिए। हमारे यहां लिखा तो जाता ही है। तो जब कोई माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहते हैं और हमारे यहां वह लिखा ही जाता है तो मंत्री जी को यह नहीं कहना चाहिए कि लिख कर दो। मंत्री जी को उसे नोट कर लेना चाहिए और उसके बाद सूचना दे देना चाहिये दुबारा जांच करा के।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मुख्य मंत्री जी आज कल बीमार हैं। श्रीमन्, आप ही दो-चार दिन मंत्रियों की क्लास होल्ड कर लीजिए ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, प्रश्नों की बैछार के कारण इन लोगों का मस्तिष्क अस्तव्यस्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१, जो विधान सभा द्वारा ११ अगस्त, १९७१ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन क १२ अगस्त, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१

सचिव विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ जो विधान सभा द्वारा ११ अगस्त, १९७१ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १७ अगस्त, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१, जो विधान सभा द्वारा ११ अगस्त, १९७१ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १७ अगस्त, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१, जो विधान सभा द्वारा ११ अगस्त, १९७१ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १७ अगस्त, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१, जो विधान सभा द्वारा ११ अगस्त, १९७१ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १७ अगस्त, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में फेंके गये पर्चों के विषय को समाचार-पत्रों में न छापने के निर्देश

श्री अध्यक्ष---

मैं प्रेस को एक सूचना देना चाहता हूं कि जो अभी पर्चे यहां पड़े हैं उनको कोई न छापे कि सदन में ऐसे पर्चे पड़े, उसके कंटेन्ट्स नहीं छापने चाहिए।

'बेशर्मी' शब्द पर व्यवस्था का प्रश्न तथा बाढ़ के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

श्रीमन्, श्री रामपाल यादव ने एक मंत्री महोदय के जवाब पर कहा कि मंत्री महोदय ने बड़ी बेशर्मी के साथ जवाब दिया। तो "बेशर्मी" शब्द क्या संसदीय है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैंने अनेक अवसरों पर बेशर्मी शब्द कहा है और आपने टोका नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि बेशर्मी शब्द बेईमानी शब्द से, जो कि यहां कहा गया है, उससे नर्म है। अगर यह भी अधिकार आप छीन लेंगे तो जिस प्रकार से ये लोग जवाब देना चाहेंगे, देंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, आपने यह परम्परा बना रखी है कि कार्यस्थगन का जो प्रस्ताव हम देते हैं वह उसकी सीमा के अन्दर है या नहीं उसे आप सुन लेते हैं और अगर उसको स्वीकार करते हैं तो साढ़े चार बजे वह लिया जाता है। आज मैंने बहुत आवश्यक विषय पर भेजा है। श्रीमन्, दैवी आपदाओं के कारण तो बहुत बाढ़ आती ही है, लेकिन वाराणसी की चन्दौली और चकिया तहसील जो कमलापति जी का क्षेत्र है और जमनिया जो हमारा...

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास अभी आया नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैंने साढ़े नौ बजे भेजा है।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

य धमकी दे रह हैं। क्या यह सदन का अवमान नहीं है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

वे दोस्ती में आये हैं। इरीगेशन विभाग के इंजीनियरों द्वारा यह गड़बड़ी की गयी है। जरा सुन लें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न है। उस पर मैं जवाब दे दूं। उन्होंने भी कहा और मैं यह समझा कि आप उस पर बोलेंगे। बेशर्मी शब्द का सवाल आया। कन्टेक्स्ट से सब चीज चलती है। कन्टेक्स्ट के अनुसार अर्थ निकलना चाहिए। किस कन्टेक्स्ट में क्या शब्द कहा गया, यह देखना जरूरी है। अगर यह चर्चा होती है कि सरकार बड़ी बेशर्मी से बात कर रही है या सरकार ने बड़ी बेशर्मी से काम किया तो उसमें, मैं समझता हूं, कोई अनपार्लियामेन्टरी चीज नहीं होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को सम्बोधित करते हैं और बेशर्मी शब्द का प्रयोग करते हैं या यह कहते हैं किसी मत्री से कि आपने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, तो वह अनुचित हो जाता है। मैं समझता हूं उसको अवायड करना चाहिए। लड़ाई इसी में होती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह कहा जाये कि बेशर्मी का जवाब है?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

अगर यह कहा जाये कि जवाब बेशर्म है तो क्या यह ठीक रहेगा?

श्री कृष्णानन्द राय--

मान्यवर, आपको मेरा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव, जो मैंने साढ़े नौ बजे भेजा है, मिला है या नहीं?

श्री अध्यक्ष--

वह डिप्टी स्पीकर साहब के पास है।

श्री कृष्णानन्द राय--

मिर्जापुर में कर्मनासा नदी के किनारे बन्धे बने हैं। वहां पर पानी ज्यादा हो गया और इन्जीनियरों ने बिना सूचना दिये हुए बन्धों को तोड़ दिया जिसके कारण बनारस जिले की चकिया व चन्दौली तहसीलों में, जो कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का क्षेत्र है, और गाजीपुर जिले की जमनिया तहसील में, जो कि हमारा क्षेत्र है, सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये हैं और लाखों रुपये की फसल खराब हो गयी है। यह दैविक विपदा नहीं है, बल्कि इंजीनियरों की गलती के कारण ऐसा हुआ है। अगर बाढ़ आ गयी होती तो आप रिपोर्ट मंगा लेते, मगर यह तो इंजीनियरों की गलती के कारण हुआ है और बनारस और गाजीपुर जिलों की मांग है कि इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाये। आप को याद होगा पार साल कालागढ़ में गांध के टूटने के कारण ६०० गांव बह गये थे। इन्जीनियरों की गलती के कारण जनता को बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए मैंने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मूव किया है। आप इसे स्वीकार कर लें।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय विभव जी के विरुद्ध दिया था।

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं आयेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इस पर कुछ कहिये तो, मान्यवर। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा कर दी कि इलेक्ट्रोनिक एस्टेट, कानपुर और आगरा में स्थापित होंगी।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

विशेषाधिकार की परिधि में इसलिए आता है कि आगरे का मंत्री अपने जिले में इलेक्ट्रोनिक एस्टेट कायम करेगा, झांसी के मंत्री ने बयान दिया कि झांसी की उपेक्षा सहन नहीं होगी और इसी प्रकार जिस जिले का जो मंत्री होगा अपने जिले में विकास करेगा तो क्या यह नीति सम्बन्धी प्रश्न नहीं हुआ? क्या ये प्रदेश की उन्नति करना चाहते हैं या अपने-अपने जिलों की उन्नति करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष--

उस परिधि में नहीं आता है, मैंने कह दिया।

(एक सदस्य द्वारा कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठिये, काम करने दीजिये।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या २५--उद्योग, अनुदान संख्या ४१--लेखन-सामग्री और मुद्रण तथा अनुदान संख्या ४७--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

*उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उद्योग सम्बन्धी तीनों अनुदानों को एक साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

करिये, करिये आप।

श्री देवकी नन्दन विभव--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५--उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,२२,८३,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होन वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१–लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६०,०५,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७––औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ११,०४,२८,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदन के इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले महानुभावों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं प्रदेश के उद्योग का एक चित्र जो आपके सामने रखना चाहता हूं उसको आप सुनें और उसके बाद मैं आपके सुझाव आमंत्रित करता हूं ताकि हमारा मार्ग प्रदर्शन हो सके । श्रीमन्, यह तो निर्विवाद है कि हमारे प्रदेश की आबादी बढ़ रही है। हमारी भूमि जो है उस पर भार बढ़ रहा है और आप जानते हैं कि ज्यों-ज्यों भूमि पर भार बढ़ेगा हमारे प्रदेश की गरीबी बढ़ती जायगी। यही कारण है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ना चाहिये थी उस तीव्र गति से नहीं बढ़ रही है। अब हमें भूमि से अधिक लोगों को दूसरे कामों में लगाना है । हमको लोगों को आल्टरनेटिव इम्प्लायमेंट देना है ताकि लोग खेती के अलावा दूसरे कार्य कर सकें। श्रीमन्, हमारे सामने यह एक बड़ी समस्या है कि देश की गरीबी दूर की जाय और देश की गरीबी कैसे दूर हो सकती है। देश की गरीबी नारों से दूर नहीं हो सकती है, यह सिद्धान्त की बातों से भी दूर नहीं हो सकती है। यह दूर हो सकती है सम्पत्ति के उत्पादन से। श्रीमन्, आप जानते हैं कि जो अमेरिका की अर्थ नीति है उसका कारण यह है कि वहां पर लोगों के पास साधन ज्यादा हैं, लेकिन जनशक्ति कम है। हमारे देश में इसका उल्टा है। हमारे पास धन कम है, हमारे पास साधन कम हैं लेकिन हमारे पास जन शक्ति अधिक है, तो आज हमें इस जनशक्ति का उपयोग करके देश में सम्पत्ति का उत्पादन करना है। और सम्पत्ति का जो उत्पादन हो उसका नियोजित वितरण करना है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)––

सरकार के पास इंडस्ट्रीज का कोई नया प्रोग्राम हो तो वह बतलायें । यह तो आप जनरल भाषण दे रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)––

मान्यवर, विभव जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। राय साहब उन्हें सुनिये तो ।

श्री देवकीनन्दन विभव––

प्रगति के सम्बन्ध में एक पुस्तिका आपके पास भेजी है और कई पैम्फलेट्स भी भेजे हैं। मैं उन आंकड़ों को देकर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको भी अपनी बात कहने का अवसर मिले।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

यह पागलखाना भी आपके विभाग में है ?

श्री देवकीनन्दन विभव––

जी हां, उसमें बहुत से बाहर के पागल भी रक्खे जाते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं इससे सहमत नहीं हूं कि पागलखाना आपके डिपार्टमेंट में है। आपने जी हां क्यों कह दिया?

(इस समय १ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

श्री देवकीनन्दन विभव--

हमारा प्रदेश उद्योग धंधों में पिछड़ गया है। मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता कि आया उसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है, या हमसे पहली सरकार जिम्मेदार है या उद्योग-पति जिम्मेदार हैं। एक बात निश्चित है कि उद्योग धन्धों में हमारा प्रदेश पिछड़ गया है। अब हम द्रुतगति से उस पिछड़ेपन को दूर करना चाहते ह और उसमें आप सभी का सह-योग चाहते हैं। हमने एक क्रांतिकारी परिवर्तन आरम्भ कर दिया है चाहे वह इंडस्ट्रियल डायरेक्टोरेट के लेवुल पर हो या जिला स्तर पर हो जिससे कि इस प्रदेश की औद्योगिक उन्नति हो सके।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

इस बजट में कौन से क्रांतिकारी कदम आपने रखे हैं वह बतलायें।

श्री देवकीनन्दन विभव--

हम एक वायु मंडल पैदा करना चाहते हैं इस प्रदेश में...

श्री कृष्णानन्द राय-

२२--२३ साल बाद भी वायु मण्डल ही पैदा करेंगे तो हम तो मर जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

चांद के ऊपर वायु मंडल पैदा कर दें तो अच्छा होगा।

श्री इन्द्रमणि--

अब आप मन्त्री हैं। मन्त्री की हैसियत से क्या कदम उठाने जा रहे हैं वह बतलायें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, यह असली बात कब शुरू करेंगे?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

पढ़ने की बात है। बजट साहित्य में पढ़ लीजिये।

श्री देवकीनन्दन विभव--

पहला काम हमने यह शुरू किया है कि जो यह शिकायत होती है कि लोन एप्लीकेशन्स में काफी समय लग जाता है और रा-मैटिरियल या और दूसरी चीजों के मिलने में विलम्ब होता है तो वह न हो। लोन एप्लीकेशन्स या रा-मैटीरियल के मामले में जो अर्जियां आयेंगी उनको हम जल्दी से जल्दी तय करेंगे। लोन के लिए जो भी एप्लीकेशन्स आयें उनके ऊपर अधिक से अधिक ६ सप्ताह में निर्णय हो जाय, ऐसा हमारा प्रयास है। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर उद्योग आफिसर्स नहीं हैं। (व्यवधान) यह मैं दावा नहीं करता कि सभी एप्लीकेशन्स पर लोन मिल जायेगा (व्यवधान)।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

बिना रिश्वत के लोन मिल जायगा?

श्री देवकीनन्दन विभव––

मेरा यह प्रयास है कि हमारे यहां जो थोड़ी सी गन्दगी है उसे हम छान कर फेंक दें। मैं यह दावा तो नहीं करता कि मेरे विभाग में कोई भ्रष्ट रहेगा ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी––

यह बता दें कि कितने भ्रष्ट रहेंगे और आज तक कितने हैं ?

(हंसी)

श्री देवकीनन्दन विभव––

जो भी शिकायतें मेरी सूचना में आयेंगी उन पर पूरा ध्यान दिया जायगा।

(व्यवधान)

हमारे यहां बड़े उद्योग धन्धे हैं, मध्यम उद्योग धन्धे हैं और स्माल स्केल तथा रूरल उद्योग धन्धे हैं। हमारा यह प्रयास है कि केन्द्र से जो भी प्रोजेक्ट्स हमें मिलने हैं वे शीघ्र मिल जायें... (व्यवधान) हमारी यह भी कोशिश है कि जिन लोगों को लेटर आफ इन्टेंट्स या लाइसेन्स मिले उनका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाय। जिनको लाइसेन्स मिले हैं उनकी मीटिंग भी अभी हमने बुलाई थी और हमारी कोशिश यह है कि हमारे उद्योग जल्दी-जल्दी शुरू हो जायं। हमने दिल्ली में एक लियाजां आफिसर की भी नियुक्ति कर दी है जो यह प्रयत्न कर रहा है कि जो प्रोजेक्ट हमें मिलने हैं वे जल्दी मिलें।

साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि हर जिले में प्राइवेट सेक्टर का कारखाना खोल देना सम्भव नहीं है। हर माननीय सदस्य चाहता है कि उसके जिले में पब्लिक सेक्टर का कारखाना हो। यह निश्चय है कि केन्द्र हमें इतने प्रोजेक्ट नहीं दे सकता कि हम हर जिले में उसे दे सकें।

किसी भी इकोनामी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की एकोनामी में एम्प्लाएमेंट को केवल बड़े उद्योग धन्धों से विकसित नहीं किया जा सकता है। मैंने पंजाब की बड़ी चर्चा सुनी थीं, इसलिए पंजाब गया था। बिहार में पंजाब की तुलना में बड़े-बड़े कारखाने खुले हुए हैं, लेकिन जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है पंजाब की आर्थिक स्थिति और प्रति व्यक्ति आय बिहार की अपेक्षा ज्यादा है। यह भी प्रयत्न होना चाहिए कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हर जिले में लगाए जायें। इसके लिए हम हर तरह की सहायता––लोन, मशीनरी आदि उनको दे रहे हैं। हम उनको जमीन केवल १० परसेंट लेकर १० साल की किश्तों पर दे देते हैं। मशीनें हायर परचेज सिस्टम पर उन्हें देते हैं।

इसके अलावा हम उन्हें १५ परसेंट का प्राइज प्रिफरेंस देते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि गवर्नमेंट उनका बना हुआ माल खरीदेगी तो जिसके लिए दूसरे प्रदेश के माल पर १०० रुपये देगी, उतने ही माल पर यहां पर उत्पादित माल का ११५ रुपये देगी। जरूरत होने पर बराबर प्रायरिटी देकर प्रदेश की सरकार अपने यहां स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का ही बना हुआ माल खरीदेगी। इसके अलावा जो नई यूनिट्स लगेंगी, उन्हें तीन साल तक कोई सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं वे जो बिल्डिंग मैटेरियल और मशीनें लगाएंगी, उसके आयात पर कोई चुंगी नहीं ली जायगी। हमने उनको टैक्निकल नो-हाऊ भी प्रदान किए हैं। उद्योग निदेशालय के बारे में लोगों की यह शिकायत रही है कि जब हम वहां

[श्री देवकी नन्दन विभव]
घर जाते हैं तो हमें कोई अच्छी तरह अटेंड नहीं करता है। इसको दूर करने के लिए अब वहां पर दो नए कक्ष खुलवाने की व्यवस्था की गई है। एक 'स्वागत कक्ष' होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति जायगा आराम से बैठकर अपनी बात बताएगा और जिस अधिकारी से जिस सम्बन्ध में मिलना चाहेगा वह बताएगा, वहां का अधिकारी सम्बन्धित अधिकारी से समय लेकर उससे मिलने का समय बता देगा और उसे प्रवेश-पत्र दे देगा, जिससे वह व्यक्ति उस अधिकारी से मिलकर उसके सामने अपनी कठिनाई रख सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय--
इतनी कठिनाई तो गवर्नर से मिलने में भी नहीं होती है, जितनी आपके अफसर से मिलने में किसी को होगी।

श्री देवकी नन्दन विभव--
दूसरा परामर्श कक्ष या एडवाएजरी सेल बना है, जहां पर उद्योगपति की क्या-क्या समस्याएं हैं उनको सुना जायगा और उद्योग लगाने के लिए सरकार क्या सहायता दे सकती है या उसे कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए, इसकी जानकारी उसको वहां से मिलेगी।

एक सदस्य--
इस समय तो दलबदल उद्योग से बढ़कर कोई उद्योग नहीं है, इस पर भी मंत्री जी प्रकाश डाल दें।

श्री देवकी नन्दन विभव--
वह तो आपको प्रिय हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--
टेक्निकल सहायता के लिए जो इंजीनियर रखे जाते हैं, वे क्या परामर्श देते हैं क्या काम करते हैं जो यह परामर्श कक्ष और अधिकारी अलग से स्थापित किये गये हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव--
आप जानते हैं, प्रदेश में हमारी जो टेक्निकल जनशक्ति है, उसमें धीरे-धीरे बेकारी बढ़ती जा रही है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--
मन्त्री जी कितना समय लेंगे ? इस समय समय लेंगे और बाद में जवाब देंगे तो माननीय सदस्यों के लिए कितना समय रह जायगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--
माननीय कमलापति जी का बहुत अहसान है कि विभव जी को मन्त्रि परिषद् में ले आये और आप यह अहसान कीजिये कि विभव जी को पांच मिनट का कोई न कोई कार्यक्रम कार्यसूची में लगा दिया करें।

श्री उपाध्यक्ष--
आप की तरफ से प्रारम्भ से ही पांच मिनट की मांग थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--
मान्यवर, हमने रोज के लिए कहा।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--
इसीलिए चाहता हूं चूंकि पांच मिनट ही बोलना है अब तक डाइरेक्टर से मिलने का तरीका बताया है। हम पूर्वी जिले के रहने वाले हैं। वहां उद्योग के नाम पर ईंट के

भट्ठे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका समाजवादी कदम बल रहा है उसमें कितनी इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं पूर्व में यह बताइये ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

हम जो नया पैटर्न इंडस्ट्री का प्रदेश में डेवलप करना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

हम लोग हिन्दुस्तानियों की औलाद हैं तो जरा हिन्दी में बोलें।

श्री देवकीनन्दन विभव—

सम्पत्ति का बटवारा अधिक से अधिक लोगों में पहुंच सके इसलिए जहां हम बड़े उद्योग धन्धे स्थापित करना चाहते हैं उसके साथ हम चाहते हैं कि बहुत सी छोटी-छोटी इकाइयां बनें। उनमें विभाजित होकर जैसे कोई चीज है उसके अलग-अलग पुरजे बनें फिर एक जगह संकलित कर लें। उनको स्टैंडर्डाइज किया जाय और उनकी मार्केटिंग की जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ऐसी स्थापना किस स्थान पर की है जरा बतला दें।

श्री देवकीनन्दन विभव—

मुझे खुशी है कि इस प्रदेश में उषा इंजीनियरिंग यूनिट आई। उससे बात की। उसने बताया कि पांच करोड़ रुपये के पुरजे अलहदा-अलहदा छोटी-छोटी इकाइयों से खरीदेंगे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आपने नवयुवकों का आह्वान किया है कि वे उद्योग लगाएं। लेकिन आपकी परिभाषा में नवयुवक कितने वर्ष के हैं, ६० वर्ष के ऊपर के लोग अथवा.....

श्री देवकी नन्दन विभव—

एक शिकायत होती है कि रा-मैटीरियल जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है। हमने इसमें सबसे पहले यह कदम उठाया है कि कोम्बिंग अभियान शुरू किया है। जिसमें इस तरह की यूनिट जो काम नहीं करती है उनको वीड आउट करने का कदम उठायेंगे।

श्री महीलाल—

माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि मुरादाबाद में ब्रासवेअर का कोटा एक्सपोर्टर्स को मिलता है और ऐक्चुअल यूजर्स को नहीं दिया जाता है ? समाजवादी नीति के आधार पर जो परिवर्तन लाये हैं वह बताइये। आपने तो जो विभाग में चल रहा है वह बताया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं महीलाल जी से दरख्वास्त करूंगा कि कभी-कभी अच्छा भाषण सुनने का मौका मिलता है तो उसमें इतनी गम्भीरता का समावेश न करें।

श्री देवकीनन्दन विभव—

हमने यह भी जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया है कि ३१ अगस्त तक ऐसी कोई भी यूनिट हों तो उसकी सूचना हमको दें और ३१ अगस्त के बाद अगर ऐसी कोई यूनिट पाई जायगी तो उसके लिए डायरेक्टली अफसरों की जिम्मेदारी होगी।

श्री महीलाल---

उनका को कारखाना नहीं है। वे एक्सपोर्टर्स हैं लेकिन उनको प्रदेश की तथा भारत सरकार कोटा दे रही है।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

व्यवस्था का सवाल है। माननीय मन्त्री जी भाषण कर रहे हैं तो क्या यह शोभनीय है कि विरोधी दल के सदस्य उनको बोलने न दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मन्त्री जी एतराज नहीं कर रहे हैं तो माननीय सदस्य को क्या एतराज है ?

श्री राजबहादुर चन्द---

मुझे इस सदन में सदस्य होने के नाते व्यवस्था का सवाल उठाने का हक है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मन्त्री जी का भाषण हो चुका है?

श्री उपाध्यक्ष---

अभी नहीं।

श्री राम विलास पांडेय---

मन्त्री जी जब बुरा नहीं मान रहे हैं तो माननीय सदस्य खामख्वाह बुरा मान रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मन्त्री जी तो अब अपना भाषण समाप्त करने वाले हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव---

मैं आपके माध्यम से श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि मेरी बात वह समझ लें और उनकी बात मैं समझूं तो फिर हम एक रास्ता निकाल सकेंगे। सदन की गरिमा रखने के लिए एक दूसरे की बात का समझना आवश्यक है। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक उद्योग धन्धों का सम्बन्ध है कोई ऐसा जादू हमारे पास नहीं है जिससे कि जो कार्य आरम्भ किया जाय उसका नतीजा उसी वक्त निकल आये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो कोई नहीं कर सकेगा।

श्री देवकीनन्दन विभव---

वर्मा जी उद्योग मन्त्री रह चुके हैं। वे ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी जब कुछ नहीं कर सकते तो मैं उतना शक्तिशाली हूं भी नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

आप जरूर कर सकेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

विभव जी से लोगों को बहुत उम्मीदें भी हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—

इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप मुझे अपना परामर्श दें। हम जो कर रहे हैं उसको आप देखें और समझें। अगर हम कोई सही काम कर रहे हैं तो आप उसमें दाद दें और अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो आप कड़ी से कड़ी आलोचना करें। इससे प्रगति होगी। लेकिन उद्योग धन्धे का विषय राजनीति में नहीं डालना चाहिए। इस प्रदेश का विकास अगर उद्योग धन्धे के जरिए से करना है तो उसमें राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिये। मैं जब कभी उद्योग धन्धों को देखने जाता हूं तो मेरे सामने राजनीति नहीं होती। मेरा निवेदन है कि मैं किसी पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डालता कि प्रदेश किस वजह से पिछड़ गया है। मैं जब बाहर जाता हूं तो यह देख कर दुख होता है कि प्रदेश पिछड़ गया है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मुझे यह सूचना चाहिये कि संजय गांधी का मोटर वाला कारखाना उत्तर प्रदेश में ही कहीं लग रहा है या नहीं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

मैं इस बात को ज्यादा पसन्द करूंगा कि अब अपना भाषण समाप्त करूं और माननीय सदस्यों के सुझाव सुनूं। और उसके बाद फिर मैं आपके सामने जितना भी समय मिलेगा निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उत्तर देते समय आप यह जरूर बता दें कि बरेली और आगरे के जो पागलखाने हैं उनमें आप क्या सुधार करने जा रहे हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

इन शब्दों के साथ मैं इन तीनों अनुदानों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य मांग में अन्तर्निहित नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मैं यह प्रस्ताव और इसी तरह के प्रस्ताव अनुदान संख्या ४१ और ४७ में भी देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सरकार खेती से सम्बन्धित व छोटे बड़े उद्योगों के बारे में विचार करके यह नीति अपनायें कि वह इन तीनों में क्या सम्बन्ध जोड़ना चाहती है। जब सरकार यह निर्धारित कर लें कि वह किस काम को किस दृष्टि से करना चाहती है तभी किसी देश का विकास हो सकता है। अगर काम अनियत ढंग से किया जाय और कभी खेती की दिशा के बारे में कभी छोटे उद्योगों के बारे में और कभी बड़े उद्योगों के बारे में सरकार की दृष्टि रही तो उससे देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है और यही कारण है कि हमारे देश और प्रदेश में अभी तक उद्योग धन्धों का विकास नहीं हो पाया है।

२४ वर्ष आजादी के व्यतीत हो जाने के बाद यही परिणाम हुआ है कि हमारे देश और दुनियां के अन्य उन्नत देशों के बीच में जो खाई थी वह और चौड़ी हो गई। कहां यह देश

[श्री जयराम वर्मा]

पिछड़ा हुआ था, उसके आगे बढ़ने की गति तेज होनी चाहिए थी और उन्नत देश थे उनके आगे बढ़ने की रफ्तार कम होनी चाहिये थी किन्तु आज हालत यह है कि उनके और हमारे बीच खाई और बढ़ गई और उसके विपरीत ही हुआ। वे देश बराबर आगे बढ़ते ही गये। किसी भी देश के विकास और उसकी समृद्धि के लिये उसका औद्योगीकरण अति-आवश्यक है। जिस देश में जितने ही उद्योग धन्धे फैलेंगे जैसे-जैसे उनका जाल देश में बिछता जायगा वैसे-वैसे उस देश की समृद्धि बढ़ती जायगी और जिस देश में जितनी अधिक निर्भरता खेती के ऊपर रहेगी उस देश की उतनी ही गरीबी बढ़ेगी और उसका उतना ही कम विकास होगा। क्योंकि खेती की आमदनी दूसरे किसी भी पेशे की आमदनी के मुकाबले में बहुत कम होती है। खेती का कितना ही विकास कर दिया जाय लेकिन वह आमदनी के मामले में और देशों का मुकाबला नहीं कर सकती, यहां तक कि अमेरिका में भी जहां बहुत बड़े-बड़े किसान हैं जिनका हमारे देश से कोई मुकाबला नहीं हो सकता है किसानी आमदनी के मामले में दूसरे पेशे की आमदनी का मुकाबला नहीं कर सकती।

आज जो यह हमारे देश की दुर्गति है, उसकी उन्नति और विकास कम हुआ है उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या खेती के ऊपर निर्भर करती हैऔर हमारे देश में प्रदेश में जो खेती के ऊपर जितना ही ज्यादा निर्भर करता है जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य-प्रदेश है जहां कि खेती के ऊपर ज्यादा निर्भारता है उतनी ही अधिक गरीबी है, उसकी समृद्धि और विकास कम हुआ है। इसलिये यदि हमको अपने प्रदेश को उठाना है तो इस बात को सोचना होगा कि हमारी दृष्टि खेती और उद्योगों के बारे में क्या हो। कभी-कभी यह बात भी एडवाइज कर दी जाती है कि किसानों के बच्चों को अपनी खेती पर रहना चाहिये और उनको दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा अहित और किसी बात में देश का नहीं हो सकता है क्योंकि जबतक यह निर्भरता खेती के ऊपर बनी रहेगी, देश की समृद्धि कभी संभव नहीं है। हम अगर चाहते हैं कि यह प्रदेश ऊपर उठे तो हमें खेती पर ही सर्वप्रथम ध्यान देना पड़ेगा जो देश की समृद्धि में सबसे बड़ा बाधक है। सबसे पहले उसी का विकास करना पड़ेगा।

खेती में यह जरूरी है कि सारी सुविधायें किसान को पहुंच जायं, उसको पूरी व्यवस्था सिंचाई की, अच्छे बीज की जिनसे ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके और जिन में बीमारियां कम लगें, खेती के लिये रासायनिक और कम्पोस्ट खाद का प्रबन्ध, खेत की मेड़-बन्दी ये सब व्यवस्थायें होनी चाहिये। जो किसान गरीब हैं जिनके पास पैसे की कमी है, जो खेती की तरक्की के लिये काम करना चाहते हैं उनको कम सूद पर बिला भ्रष्टाचार के कहीं से पैसा मिलने की व्यवस्था हो जाय तो फिर खेती में उतनी पैदावार हो सकेगी जितनी हम उससे आशा करते हैं और फिर यह स्थिति बदलेगी कि हम अपने देश के रहने वालों का पेट भरने के लिये दूसरे देशों की तरफ मुंह मोड़ें। अब करीब करीब कुछ वर्षों में उधर ध्यान गया है और वह स्थिति आ रही है और जब यह स्थिति बन जाय कि किसी दूसरे देश से अन्न लेने की जरूरत नहीं है, अपने देश में काफी अन्न पैदा होता है तो जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं उनको यह निश्चिन्तता हो जायगी कि उनको भर-पेट भोजन मिल सकेगा और अब वह अपने पेशे में निश्चिन्तता से लग सकेंगे। अगर आज खेती की अच्छी उन्नति होती, विकास होता तो किसानों की आज के मुकाबले में हालत अच्छी हो जाती और उनको विश्वास हो जाता कि उनके पास कुछ ज्यादा पैसा हो जायगा जिसके द्वारा वह अपनी तकलीफ दूर करने के लिये अपनी आराम की चीजें खरीदने की व्यवस्था कर सकेंगे।

आज जो बहुत बड़ी संख्या में गांव के लोग जूते नहीं पहिन सकते हैं वह पहिनेंगे, घड़ी खरीदेंगे साइकिल खरीदेंगे और दूसरे आराम का सामान खरीदेंगे। फिर आवश्यकता तो अविष्कार की जननी होती है, अगर इस आवश्यकता का पता लग जाय तो इन चीजों का व्यापार करने वाले इनको तैयार करने वाले अपने आप पैदा हो जायेंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी और

लोगों के लिये बहुत से काम अपने आप निकल आयेंगे और जो उद्योग धन्धों में सामान बनता है अगर किसान के पास जिसकी जनसंख्या ७५ फीसदी है, अगर पैसा हो जाता है उसकी परचेजिंग शक्ति बढ़ जाती है तो वह उस सामान को खरीद भी सकेगा। उसको खरीदने के लिये हमको दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और देश के छोटे-बड़े उद्योग-धन्धों को शिकायत का मौका नहीं रह जायगा कि हमारा सामान नहीं बिकता है, जैसे कि छोटे उद्योग-धन्धे के सामान की हालत है। किसानों के लिये सुविधायें आवश्यक हैं उनको पूरा करने के अलावा अगर सड़कें अच्छी हो जातीं, बिजली की पूरी व्यवस्था होती तो किसान के पास पैसा हो जाने पर छोटे छोटे उद्योग-धंधे वह अपने आप लगायेगा बिना किसी के कहे हुए। खेती की आमदनी उन उद्योग-धंधों के मुकाबले में कम होती है तो वह उधर की तरफ झुकेगा। और इसके साथ-साथ सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है अगर वह इस बात का निश्चय कर ले कि खेती के मामले में इस समय जो नीति अपनाई जा रही है वह एक टैम्पोरेरी फेज है, जिस तरह से सोचा जा रहा है कि इतने आदमी खेती पर लगे रहे तो कोई हर्ज नहीं है अगर इसके अलावा और लोग आ जायं और खेती का बंटवारा हो जाय और जो लोग खेती नहीं करते हैं वह भी खेती करने लगें और साथ ही साथ यह सोच लिया जाय कि यह परमानेंटली होगा तो फिर बड़ा नुक्सान होने वाला है।

जब तक दूसरे काम न हों, छोटे उद्योग धन्धों के द्वारा दूसरे काम पैदा नहीं किये जाते हैं तब तक के लिए जरूरी है कि जो लोग खेती पर निर्भर करते हैं उनके लिए खेती की व्यवस्था की जाय। सीलिंग कम करके और जमीन निकाल कर उनको दी जाय। इस समय यह आवश्यक है और उचित है। जब दूसरे काम हों जायं तब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है, दूसरे काम हो जाते हैं, सारी सुविधायें खेती में मिल जाती हैं और उसकी हालत अच्छी हो जाती है और निश्चिन्तता हो जाती है तो जो लोग दूसरे कामों में लगे हैं वे वहीं पर लगे रहेंगे और किसान भी जब आप छोटे-छोटे उद्योग-धंधों का जाल बिछा देंगे तो खेती के लिए कोशिश नहीं करेंगे।

हमारे भूमिहीन भाई आज खेती के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, वह इस लिए कि उनके लिये आज और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब यह स्थिति हो जायगी, उद्योग धंधे खुल जायेंगे तो वे फिर खेती के लिए कोशिश नहीं करेंगे बल्कि लोग खेती छोड़ कर उद्योग धन्धों में जाना पसन्द करेंगे। छोटे किसान भी खेती में रहना पसन्द नहीं करेंगे। क्योंकि खेती के मुकाबले में छोटे उद्योग धन्धों में उनकी आमदनी ज्यादा होगी। इसलिए ऐसे लोग खेती छोड़ना पसन्द करेंगे। ऐसे लोग जो खेती करना पसन्द नहीं करते हैं जो धूल मिट्टी में रहना पसन्द नहीं करते हैं, खेती के लिए जितना श्रम करना चाहिए उतना नहीं कर सकते हैं, जो खेती के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, ऐसे लोग खेती छोड़ देंगे। वे लोग उद्योग धन्धों की तरफ जायेंगे जो उनको गांव गांव में मिलेंगे और उनकी आमदनी खेती के मुकाबले ज्यादा हो सकेगी। परिणाम यह होगा कि खेती पर वही लोग रह जायेंगे जिनको खेती में रस आता है। जो खेतों में अपना पूरा बाहुबल लगा कर खेती की उन्नति करना चाहते हैं। और पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं और खेती में अगर धूलमिट्टी में रहने की जरूरत पड़े तो जिनको उसमें रहना पसन्द होगा, ऐसे ही लोग वहां रह जायेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि जो लोग खेती में रह जायेंगे उनके पास खेती ज्यादा हो जायगी और बहुत से ऐसे लोग जो छोटे-छोटे खेतों वाले हैं, वे खेती को छोड़कर दूसरे पेशों में लग जावेंगे। उसका परिणाम यह होगा कि जो लोग खेती में रह जावेंगे, उनके पास खेती बढ़ जायगी, वे उसका अच्छा प्रबन्ध कर सकेंगे, उनकी हालत आज के मुकाबले में अच्छी हो जायगी और दूसरे देशों के किसानों के मुकाबले में कुछ खड़े हों सकेंगे। लेकिन आज उनकी हालत ऐसी नहीं

[श्री जय राम वर्मा]

है । अगर ऐसा हुआ तो खेती के ऊपर जो भार है वह कम हो जायगा। जैसे जैसे खेती के ऊपर भार कम होता जायगा, वैसे वैसे देश की समद्धि बढ़ेगी, देश की गरीबी दूर होगी।

लेकिन खेती से लोगों को हटाकर जो दूसरी जगह ले जाना है वह आखिर कहां ले जाना है? बड़े उद्योग धन्धों में अथवा छोटे उद्योग धन्धों में। हमारे देश की और प्रदेश की अपार जनसंख्या इस काम में लगी हुई है। अपार जनशक्ति इस देश में है। इसका मुकाबला अमेरिका और इंगलैन्ड से नहीं हो सकता। लेकिन महज उनकी परिस्थिति को देखकर बड़े उद्योग धन्धों और बड़े कारखानों की तरफ हमारा ध्यान गया। किन्तु हमारी परिस्थिति और इंगलैन्ड और अमेरिका की परिस्थितियां बिलकुल भिन्न हैं। अमेरिका में ५ फीसदी किसान हैं और ९५ फीसदी लोग दूसरा कारबार करते हैं। इसी प्रकार से इंगलैन्ड में ४ फीसदी किसान हैं और ९६ फीसदी दूसरा पेशा करतहैं। वहां पर आदमियों की बहुत कमी है। आदमी वहां बहुत महंगा है। इसलिए उनको यह सोचना पड़ता है और वे इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि बड़ी मिल लगायें, बड़े कारखाने स्थापति करें, जिनमें थोड़े आदमियों की जरूरत हो। लेकिन हमारे देश की स्थिति बिलकुल उसके विपरीत है। फिर भी हमने उसी प्रकार की बात की, जैसा कि होती चली आई है---यानी बड़े-बड़े उद्योगों को स्थापति किया जाता रहा। उसका परिणाम यह होगा कि जो लोग आज काम में लगे हुए हैं वे भी बेकार हो जायेंगे। चूंकि इस काम में शुरू से ही गलती हुई है उसका परिणाम यह हुआ है कि बेकारों की संख्या में रोजाना वृद्धि ही होती रही है। ४७ के मुकाबले में बेकारों की संख्या आज ५–६ गुनी हो गई है। उसका कारण यही है कि बड़े उद्योगों में सरकारी धन गया है। केन्द्रीय सरकार का और प्रदेशीय सरकार का धन बहुत उद्योगों में गया है। उसका परिणाम यह हुआ कि बेकारी दूर नहीं की जा सकी और दिन पर दिन वह विकराल रूप ही धारण करती गई। उसका परिणाम यही होना था। जिस बात को महत्व दिया जाना था उसको नहीं दिया गया और जिसको महत्व नहीं दिया जाना था, उसको महत्व दिया गया। इससे तो देश और प्रदेश की हालत यही होनी थी।

इसलिए हमारे देश में बड़े उद्योग धन्धे की कोई विशेष जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो बहुत रुपये में थोड़े अदमियों को काम दे सकते हैं। छोटे उद्योग धन्धों में थोड़े पसे लगते हैं और उनमें काम ज्यादा आदमियों को मिलता है। टेक्सटाइल इनक्वायरी कमीशन ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि जितना कपड़ा आज मिलों में बनता है अगर उतना ही कपड़ा हैंडलूम इंडस्ट्री या हाथकरघे द्वारा बनवाया जाय तो जितने आदमी आज काम में लगे हुए हैं उससे बीस गुने आदमी उस काम में लग जायेंगे। इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ९ लाख आदमी लगे हुए हैं। उनके कहने का मतलब है कि अगर उतना ही कपड़ा हैन्ड लूम इंडस्ट्री द्वारा बनाया जाय तो बीस गुने आदमी यानी एक करोड़ ८० लाख आदमियों को काम मिल जायगा और बेकारी दूर करने में हमको आसानी हो जायगी। उनकी यह भी राय है कि अगर हैन्डलूम इंडस्ट्री के द्वारा कपड़ा न बनवा कर पावर लूम के द्वारा ही कपड़ा बनवाया जाय तो भी ५ गुने आदमियों को काम मिल सकेगा। यानी ९ लाख की जगह ४५ लाख आदिमयिों को काम मिल सकेगा।

महात्मा गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। लोग समझते हैं कि वे बड़ी इंडस्ट्रीज के बड़े मुखालिफ थे। वे बड़ी इंडस्ट्रीज के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि उनको तो अपने देश और प्रदेश का ख्याल था कि इस देश की अपार जनशक्ति को कैसे काम में लगाया जा सकता है। इसीलिए वे चाहते थे कि बड़े उद्योग धन्धों की तरफ विशेष ध्यान न दिया जाय बल्कि छोटे उद्योग धन्धों ग्रामीण उद्योगों, हस्त कला और लघु उद्योग धन्धों को पनपाया जाय। इनको पनपाने के सम्बन्ध में टेक्सटाइल इनक्वायरी कमीशन ने अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दी है

कि बहुत ज्यादा आदमी काम में लग सकते हैं। इसलिए वे चाहते थे कि छोटे उद्योग धन्धे पनपाये जायं, बड़े उद्योग धन्धों को बिना सोचे समझे पनपाना ठीक नहीं है क्योंकि इससे देश का अकल्याण होगा, अहित होगा। वे तो यहां तक कहते थे कि स्वदेशी प्रचार के लिए, खादी प्रचार के लिए यह बात यदि लोग निश्चय कर लें कि अब खादी पहननी है, तो वे लोग अपने पुराने कपड़ों का मोह छोड़ दें और इसलिए वह विदेशी कपड़ों की होली जलवाते थे इतना कपड़ा हमारा बेकार हो जायगा इसमें लगा हुआ इतना धन बेकार चला जायगा, यह सवाल नहीं था।

सवाल यह था कि महात्मा गांधी चाहते थे कि लोगों को जो विदेशी कपड़ों से मोह हो गया है उस मोह को वे छोड़ दें। देश के आजाद होने के बाद गांधी जी ने राय दी कि जो कपड़े की मिलें हैं उन सबको तोड़ दिया जाय क्योंकि इनकी इस देश में जरूरत नहीं है। और सब काम खादी और हैन्डलूम के कपड़े से लिया जाय। लेकिन लोगों को यह पसन्द नहीं था। उनका कहना था कि इससे इस देश का नुकसान हो जायगा। अगर उनकी बात मान ली गई होती और सारी मिलें खतम हो गयी होतीं तो सारे देश का ध्यान इधर गया होता और बेकारी का जो विकराल रूप है वह आज नहीं होता। लेकिन लोगों ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि इससे देश का बड़ा नुक्सान हो जायगा। गांधी जी ने फिर कहा कि हमारी कम से कम इतनी बात मान लें कि जो कपड़े मिलें बनाती हैं वे कपड़े इस देश में नहीं बिक सकेंगे, वे बाहर भेजे जायेंगे और इस देश के रहने वाले खादी और हथकरघे के बने हुए कपड़े ही इस्तेमाल करेंगे। अगर यह बात भी मान ली गई होती तो कपड़ा उद्योग में इससे कहीं ज्यादा आदमी लग गए होते और जो बेकारी की समस्या है वह बहुत कुछ हल हो गई होती। लोगों ने जबानी वह बात मानी, उसको सही रूप में किसी ने नहीं माना और उसके अनुसार आचरण नहीं किया और परिणाम यह हुआ है कि आज बेकारी रोज बरोज बढ़ती जा रही है।

मैं कहता हूं कि आज भी उस बात को मान लें। अगर आज भी उस चीज को मान लिया जाय तो कल्याण हो जायगा क्योंकि आधे दिल से यह काम नहीं होने वाला है, बहुत डरने से भी नहीं होने वाला है। एक निश्चित नीति बनाने से ही होने वाला है। एक निश्चित दिशा अख्तियार करने से ही कुछ होगा। आधे दिल से काम नहीं लेगा। अगर आज हिम्मत के साथ यह कदम उठा लिया जाय और केन्द्रीय सरकार यह माना जाय कि इस देश की सूती मिलों से बना हुआ कपड़ा यहां नहीं बिकेगा, वह विदेशों में जायगा, विदेशों को एक्सपोर्ट करने के लिए जितनी सहूलियत की जरूरत हो वह दी जाय यह बात अलग है, और यहां के लोग खादी और हथकर्घा से बना हुआ कपड़ा पहनेंगे तो बेकारी को दूर करने में बहुत कुछ मदद मिल सकती है नहीं तो यह मसला जल्दी हल होने वाला नहीं है। मैं कह रहा था कि जिस दृष्टि से गांधी जी ने छोटे उद्योग धन्धो पर जोर दिया हमने भूल से उस दृष्टि से जोर नहीं दिया और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। इसलिए अगर हम इस प्रदेश को समृद्ध करना चाहते हैं, इसकी गरीबी और बेकारी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित कदम उठाने होंगे जिसके लिए इतना बड़ा नारा दिया गया है और लोगों को उस नारे से इतना मोहित किया गया है, अगर वह चीज नहीं की गई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

इतना बड़ा दल, जो इतनी बड़ी शक्ति का दावा करता है, इतना बड़ा बहुमत मिल जाने के बाद भी और अधिकतर प्रदेशों में उसकी सरकारें हो जाने के बाद भी अगर नेकनीयती से गरीबी और बेकारी को दूर करने का प्रयास नहीं करता है तो फिर जनता का विश्वास खत्म हो जायगा और उससे बहुत बड़ा अकल्याण होने वाला है। इसलिए इस बात को बहुत

[श्री जयराम वर्मा]

जरूरत है कि छोटे उद्योग धन्धे पनपें जिससे लोगों की खेती पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो और ऐसे पेशे हमारे देश और प्रदेश में हो जायं जिनसे अधिक आमदनी हो सके। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, गांधी जी की यह बात स्वीकार नहीं की गई और उसके खिलाफ कार्य किया गया। अब देखना यह है कि जो उसके खिलाफ विचार कर के कार्य किया गया, यानी बड़े उद्योग धन्धों को पनपाने की कोशिश की गई उसका भी क्या परिणाम निकला। अगर उस मामले में भी हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया होता तो सन्तोष हो गया होता। लेकिन उस मामले में भी हम इस देश के और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। यह दिखाने के लिए कि यद्यपि हमारा ध्यान बड़े उद्योग धन्धों की तरफ था फिर भी उसमें हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पाये मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। सन् ६०-६१ में इस प्रदेश में उद्योग धन्धों से जो आय हुई वह कुल आय का १०.२ परसेंट था और सारे भारत का २०.१ परसेंट था। फिर ६८-६९ में इस प्रदेश में उद्योग खण्ड से आय कुल आमदनी की ११.६ परसेंट थी जबकि सारे भारत के उद्योग खन्ड से आमदनी १२.७ परसेंट थी। जरा सा फर्क पड़ा। ६८-६९ में यहां उद्योग खन्ड से आय ११.६ परसेंट थी वहां एक साल में अर्थात् ६९-७० में वह महज ११.७ परसेंट हुई। ७०-७१ में वह केवल ११.८ परसेंट हुई। तो इतनी धीमी गति से चल रहे हैं कि उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं पड़ता।

यह तो आमदनी का मामला है। अगर मैं थोड़े से खास उद्योग धन्धों जो इस प्रदेश में चल रहे हैं उनकी तरफ से सदन का ध्यान आकर्षित करूं तो और भी आश्चर्य होग। सीमेंट का कारखाना हमारे प्रदेश में है और उन कारखानों से आप यह समझते होंगे कि बहुत हम पैदावार कर रहे हैं। १९६० में सीमेंट की पैदावार सारे मुल्क की पदावार का इस प्रदेश में केवल ३ परसेंट हुई। १९६५ में वह ३.९ परसेंट हो गई। १९६८ में वह घटकर २.९ परसेंट हो गई। १९६९ में वह घटकर २.९ परसेंट ही रही। इसी तरह से सूती कपड़ा, है जिसकी तरफ बड़ा ध्यान दिया गया है। उसका भी यही हाल रहा है। ६० में यहां जो हमारा कपड़ा बना वह सारे देश का केवल ७.४ परसेंट था। ६१ में वह घट गया, ६.३ परसेंट हो गया। ६५ में वह ७.२ हो गया और फिर ६९ में ६.४ परसेंट हो गया। इसी प्रकार से सूत का भी हाल है। सूत जहां इस प्रदेश में १९६० में ७.४ परसेंट पैदा होता था वह ६५ में जाकर ७.६ परसेंट हो गया। ६८ में वह ७ परसेंट हुआ। ६९ में वह ७.४ परसेंट रहा। इसी तरह से और उद्योग धन्धों का भी हाल है।

चीनी का उद्योग हमारे प्रदेश का सबसे प्रमुख उद्योग है। सारे देश की आधे से ज्यादा चीनी हम पैदा करते थे। १९६० में सारे देश की चीनी की पैदावार का अपने प्रदेश में ४९.९ परसेंट था। वह ६५ में ३८.४ परसेंट हो गया और ६८ में ३६.८ परसेंट हो गया और ६९ में वह ३३ परसेंट हो गया। जो सब से बड़ा हमारा उद्योग था हमारे इस प्रदेश में उसका यह हाल है। हमारे प्रदेश ने एक बात में खासतौर से तरक्की की है। पता नहीं उसका बड़ा ध्यान था या नहीं लेकिन उसमें बहुत आगे बढ़े हैं। वह है परिशोधित मद्यसार यानी रेक्टिफाइड स्प्रिट। उसमें जहां ६० में सारे देश की पैदावार का ३८.८ परसेंट था। ६५ में वह ५० परसेंट हो गया। ६८ में वह ४७.२ परसेंट हुआ। और ६९ में आ कर वह ४५.८ परसेंट रहा। इस तरह सब से अधिक तरक्की हमारे पदेश में इस परिशोधित मद्यसार के विषय में हुई। दूसरे हमारे जो और उद्योग हैं उनमें हम बहुत पीछे हैं। हमारी जो सारी दृष्टि और हमारा सारा जोर बड़े उद्योग धन्धों की तरफ था वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। और उसका जब यह हाल है और परिणाम है तो छोटे उद्योग धन्धों का जहां कि हमारी दृष्टि ऐसी नहीं थी क्या नतीजा निकलेगा यह समझा जा सकता है। जो सबसे ज्यादा आवश्यक उद्योग धन्धों के लिए बिजली है और उपयुक्त मात्रा में हमारे उद्योग धन्धों को मिलनी चाहिए उसके विषय में भी हम सारे देश से पीछे हैं। उसके सम्बन्ध में २, ४ वर्षों के उत्पादन के फिगर्स सदन के सामने रखना चाहता हूं।

हमारे इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन किलो वाट घटा। आप देखें कि ६०–६१ में १७ था जब कि सारे भारत का ३८.७ था। वह ६५–६६ में ३६.५ हुआ जब कि सारे भारत का ७७.२ परसेंट हुआ। ६७–६८ में हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति किलो-वाट घंटा उत्पादन ४३.५ हुआ जबकि सारे भारत का ८० प्रति व्यक्ति कि० वा० घटा हुआ। ६९ में हमारा ६०.९ हुआ जब कि सारे भारत का ९० हो गया। यही हाल इस बिजली के कन्जम्पशन का है। यह सबसे जरूरी चीजें हैं उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिये और इनकी तरफ भी उचित ध्यान नहीं दिया गया और हम पीछे रह गये और हम अपने पूरे देश के मुकाबले में जो प्रगति कर सकते थे वह भी सम्भव नहीं हुई। केवल परिशोधित मद्यसार में सन् ६० के मुकाबले में हमने ५७० प्रतिशत की तरक्की है। अगर उसकी पैदावार सन् ६० में १०० मानी जाय तो वह सन् ६९ में ५७२ हो गई। बाकी चीजों में हम नीचे ही गये हैं। जूट में 100 के मुकाबले में ८५, सूती कपड़े में १०० के मुकाबले में ७८ और इसी तरह से चीनी में हमारा उत्पादन ९५ रह गया है। कुछ थोड़ी सी चीजों में मामूली सी तरक्की हुई है और वह केवल रेक्टीफाइड स्प्रिट में हुई है। अधिकतर उद्योगों में हम ६०–६१ के मुकाबले में पीछे ही गये हैं। मैं नहीं समझता कि बड़े उद्योग धंधों पर जो जोर दिया गया था उसका क्या परिणाम निकला।

छोटे उद्योग धंधे भी प्रदेश में कुछ चलाये गये लेकिन वे किस दृष्टि से चलाये गये इस बात का भी बहुत महत्व है। दृष्टि दूसरी ही रही। मैंने अभी आपके सामने रखा कि छोटे उद्योग धंधों को पनपाने का ध्येय यह होना चाहिये कि लोगों को ज्यादा काम मिल सके। प्रति यूनिट कैपिटल का हम ऐसा उपयोग करें, ऐसी व्यवस्था करें कि प्रति यूनिट केपिटल पर ज्यादा काम मिले और ज्यादा पैदावार हो सके। लेकिन हमने इसमें जो दृष्टि रखी वह यह रखी कि छोटे उद्योग धंधे हम कायम कर रहे हैं वह इस प्रदेश में केवल औद्योगीकरण को बढ़ावेंगे और समाज के गरीब वर्ग को सहायता पहुंचायेंगे। बेकारी को दूर करने की दृष्टि नहीं रही। जब यह दृष्टि थी, जो उस की जान है वह तो है नहीं और बिना जान के अगर चलेंगे तो छोटे धंधे नहीं पनपेंगे और ऐसा नहीं होगा तो जिन के पास काम नहीं है उनको कैसे काम मिलेगा और लोगों की खेती पर से निर्भरता कैसे दूर हो सकती है। नतीजा यह होगा कि जनता को मजबूर हो कर खेती पर ही रहना पड़ेगा और प्रदेश गरीब ही बना रहेगा।

हस्तकर्घा उद्योग हमारे प्रदेश की और देश की अर्थ व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और जितने उद्योग धंधे हमारे प्रदेश में चलते हैं उनमें उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं मानता हूं कि उसकी सहायता के लिये भी कुछ थोड़े से कदम उठाये गये हैं जैसेकि बुनकारों के लिये ऋण की व्यवस्था की गई है, उन को अनुदान दिया जाता है, उनको नई सहकारी समितियों में शामिल होने के लिये हिस्सा पूंजी के लिये ऋण मिल जाता है, जो सहकारी समितियां हथ कर्घे की है उनको अपनी पूंजी बढ़ाने के लिये भी कुछ ऋण मिल जाता है, यह सब ठीक है लेकिन मंत्री जी ने जैसा कहा है छोटे उद्योग धंधों से माल खरीदने में भी १५ प्रतिशत अधिक कीमत सरकार द्वारा दी जाती है। हथकर्घा उद्योग से जो सामान बनता है, उसकी बिक्री में ५ प्रतिशत का रिबेट देते हैं। इस प्रकार से छोटी मोटी सुविधायें हम उन को देते हैं और जो शक्ति चालित हथ कर्घे हैं, उनको भवन निर्माण के लिये, भूमि खरीदने के लिए और नये नये औजार खरीदने के लिये कुछ ऋण दिया जाता है और अनुदान दिया जाता है, ये सब सुविधायें हैं लेकिन इन सब के पीछे कोई जान नहीं है। दृष्टि तो यह है कि हमारा जो गरीब तबका है, उसको कुछ सहायता मिल सके। यह दृष्टि नहीं है कि देश और प्रदेश की बेकारी दूर हो जाय। जो खेती करने वाले लोग हैं, जिनको सबसे कम आमदनी है, उनको इससे कोई काम मिल जाय हालांकि इसमें ११ लाख आदमी लगे हुए हैं और २ लाख ८८ हजार ४३१ हथकघ उद्योग हैं। कितने आदमी प्रति हथ कर्घे में

[श्री जयराम वर्मा]

लगे हुए हैं ? इसमें कोई खास प्रोत्साहन और तरक्की नहीं हुयी है और यही कारण है कि लोग इस उद्योग धंधे में आना नहीं चाहते क्योंकि इसमें कोई जान नहीं है।

कच्चे माल के बारे में उनको सुविधा दी जाती है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि कच्चा माल मिलने में या परिमिट मिलने में जो उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें हटा देने का प्रयत्न करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह ऋण या अनुदान उन लोगों को भी मिलता है जिनको नहीं मिलना चाहिए या जिनको उसकी जरूरत नहीं है, जो जाली सोसाइटीजहैं, वे कानपुर में उद्योग विभाग को ऐप्रोच कर लेती है और अनुदान प्राप्त कर लेती है, उसमें जो सरकारी रुपया खर्च होता है, उसका ठीक उपयोग नहीं हो पाता है। जो अनुदान या ऋण इन सोसाइटीज को दिया जाता है और जो बुनकरों की सहकारी सोसाइटीज हैं, उनको मिलता है, वे उन को ले जाकर अपने मेम्बरों को देती हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो जाली सोसाइटीज कानपुर में एप्रोच करके ऋण या अनुदान ले लेती हैं, माननीय मंत्री जी इसकी जांच करावें कि क्या यह सही है कि विभाग वालों को रिश्वत देकर उनको अनुदान मिल जाता है। बुनकर सोसाइटीज के पदाधिकारी, इस काम के लिए वहां जाते हैं और रिश्वत देकर ऋण या अनुदान ले आते हैं, सरकार को सोचना होगा कि इसका क्या परिणाम होगा। वे कैसे दे सकेंगे अपने बुनकरों को, इसलिए वे गलत आंकड़े तैयार कर के विभाग को दे देते हैं और चूंकि विभाग वालों को पैसा मिल गया है वे इसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि जांच पड़ताल करें और सारे जाली कागज तैयार करके दाखिल कर जाते हैं।

अनुदान सही आदमियों को नहीं मिलता और दूसरी जगहों पर चला जाता है। आज उसी का नतीजा है कि बुनकर इस मामले में बड़ी परेशानी में है। अगर सचमुच में उनकी सहायता करने की नीयत है जो थोड़ी बहुत सुविधायें हैं, हालांकि वे भी काफी नहीं हैं, उनको देना है तो इस बात को देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार बन्द हो। कानपुर में ये जो पदाधिकारी आते हैं और उनके जरिये से भष्टाचार होता है, ठीक से उसकी जांच हो और जो गड़बड़ी करते हैं उनको ठीक ढंग से और उचित सजा दी जाय। अगर इन पदाधिकारियों को सजा मिल जाती है तो फिर डर के मारे कोई ऐसा काम नहीं करेगा। आजकल हालत यह है कि अगर कोई शिकायत आती भी है तो बड़ी आना कानी की जाती है। नतीजा क्या होता है कि अधिकारियों के ऊपर और जनता के ऊपर उसका क्या असर पड़ने वाला है, माननीय मंत्री जी खुद देख सकते हैं।

वहां पर जो रिबेट मिलता है, ये लोग गलत आंकड़े दिखा देते हैं कि इतना माल तैयार हुआ बिका। उसके आधार पर रिबेट दिया गया और उसे लोग खा लेते हैं। जो सचमुच रिबेट के अधिकारी हैं उन्हें ईमानदारी से नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि सरकार रिबेट के मामले में साल में जो करीब ८ लाख रुपये खर्च करती है उसका सदुपयोग नहीं होता। ७,९९ हजार रुपये सरकार का पिछले साल खर्च हुआ और इस साल भी उतना ही रुपया रक्खा गया है। अगर इस चीज को नहीं देखा जाता तो जो सचमुच बुनकर हैं उनको रिबेट मिले जिससे कपड़े बनाने में तथा बेचने में उनको प्रोत्साहन हो सके इस प्रकार उससे इस उद्योग को बचाया जाय और यह आपको करना पड़ेगा।

एक बड़ी परेशानी इस हथकरघा उद्योग के सामने यह आ गई है कि पिछले दिसम्बर में सूत के दाम काफी बढ़ गये। फिर कुछ बीच में कम हुए। कुछ लोगों ने इलेक्शन के जमाने में लोक सभा के, प्रधान मन्त्री से अप्रोच किया और इस बात की कोशिश की कि इस बात को ध्यान में रक्खा जाय कि यह जो ज्यादती हो जाती है, तरह-तरह के बहाने बनाकर सूती मिलें सूत का दाम जो बढ़ा देती हैं जिससे इस उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वह चीज न होने पाये। यह स्थिति कुछ दिन तक तो रही लेकिन जुलाई में फिर दाम बढ़े। जिस गड्डे का दाम ७५ रुपये था वह आज ९० रुपये का हो गया है। वह इससे परेशानी में है। क्योंकि वह गरीब होता है उसको भी उधार पर सूत लेना पड़ता है और जब वह उधार लेता है तो उस को कुछ महाजन को

देना पड़ता है। उसको वह सौ रुपये पड़ जाता है। इससे परेशानी हो जाती है। वह कैसे उद्योग धंधे को ठीक से चला सके इस काम के लिये सूत के मामले में उन की सहायता की जाय। सरकार ने सहकारी क्षेत्र में इटावा में एक सहकारी सूत मिल की स्थापना की। वह चल रही है। उसमें सूत तैयार होता है। लेकिन उस सहकारी सूत मिल के भी सूत का लाभ इन हथ-करघा बुनकरों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ? वहां पर जो सूत बनता है उसके लिये सोल सेलिंग एजेन्ट मुकर्रर किया जाता है और वह एजेन्ट कोई प्राइवेट आदमी मुकर्रर किया जाता है। ऐसा आदमी नहीं मुकर्रर किया जाता है जो इन बुनकरों का कोई नमाइन्दा हो या इनके काम में वह दिलचस्पी रखता हो।

कोई आदमी जिसको अपने मुनाफे में दिलचस्पी है ऐसा ही आदमी सोल सेलिंग एजेन्ट मुकर्रर किया जाता है और फिर खुद मुनाफा लेकर वह माल बुनकर सोसाइटियों को देता है और उससे बुनकरों को माल मिलता है। सहकारी क्षेत्र में भी सूत मिल कायम करने का मतलब पूरा नहीं हो रहा है। अगर उसका पूरा लाभ पहुंचाना है तो मैं समझता हूं उसका सोल सेलिंग या तो हथकरघा का कोई नुमाइन्दा हो या वह हो जो उस काम में लगा हुआ हो, जो उनकी सेवा करना चाहता है। और किसी प्राइवेट आदमी को मुकर्रर न किया जाय। दिक्कत यह होती है कि जो उसकी मैनेजिंग कमेटी है उस में पांच आदमी चुने हुए होते है जो इस उद्योग से आते है और दस आदमी सरकार नामीनेट करती है। तो चुने हुए आदमी इस तरह से अल्पमत में होते हैं। नामजद आदमी दस होते हैं। इस समय जो सोल सेलिंग एजेन्ट हैं वह इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो नामजदगी हो वह ऐसी की जाय कि जो मौजूदा सोल सेलिंग एजेंट हैं उसी को सोल सेलिंग एजेन्ट बनाने की कोशिश करे क्योंकि मैनेजिंग कमेटी जो चाहेगी वह हो जायेगा।

इस बात की जो शिकायत है कि जो मौजूदा सोल सेलिंग एजेन्ट है वह इस बात की कोशिश कर रहा है, इसमें काफी भ्रष्टाचार चल रहा है, काफी रुपया चलने वाला है ताकि आज वही सोल सेलिंग एजेन्ट रह जाय और कोई तब्दीली न हो और जो मैनेजिंग कमेटी के नामजद मेम्बरों की नामावली है उसमें वह आदमी आये जो यह चाहे कि वही सोल सेलिंग एजेन्ट रह जाय। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसकी तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। फौरन् जांच होनी चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो सोल सेलिंग एजेन्ट की नियुक्ति में होने वाला है वह हो जाएगा और इस उद्योग में लगे हुए आदमी मारे जाएंगे। यू०पी० की जो प्रदेशीय संस्था है या तो उसे सील सेलिंग एजेन्ट बना दिया जाय या दूसरे नुमाइन्दों को बना दिया जाय जिनको इस काम मे दिलचस्पी है। तब उन को प्राइवेट सूती मिलों के मुकाबले कम दाम पर सूत मिल सकेगा और उन की मदद हो सकेगी।

एक दूसरी सूती मिल सहकारी क्षेत्र में बुलन्दशहर में कायम करने की कोशिश की गयी और वह कायम हुई भी लेकिन अभी तक उसमें बहुत कम तकुए लगे हैं। २५ हजार तकुओं की क्षमता है लेकिन उस काल तक नौ हजार कुछ सौ ही तकुये लग सकेंगे कोशिश तो यह होनी चाहिए थी कि जल्दी से जल्दी वह मिल तयार हो लेकिन यह नहीं हुआ। सरकार को ६६ लाख ३३ हजार ४०० रु० इस मिल में अपना हिस्सा देना था, लेकिन सरकार ने ५० लाख कुछ हजार ही दिया है और करीब १५ लाख कुछ हजार अभी देना बाकी है। जो और हिस्सेदार थे उन्होंने भी सरकार के मुकाबले में आधा दे रखा है। जो औद्योगिक वित्त निगम है, जिसको ८५ लाख रुपया इसमें लगाना चाहिये था, वह अभी तक उसने नहीं लगाया।

कहा जाता है कि ७१–७२ में लगाएगा और जब वह रुपया लग जाएगा तब अपनी पूरी क्षमता के साथ मिल काम कर सकेगी। सरकार को जो १५ लाख और लगाना है उसमें देर करने की क्या जरूरत है। इस साल केवल २ लाख की व्यवस्था है, मिल को देने की। क्यों

[श्री जयराम वर्मा]

इतनी छोटी-छोटी रकम देते हैं ? मैंने तो सुना है कि वह मिल एक तरह से बरबाद हो रही है। उससे जो उम्मीद थी वह पूरी होने वाली नहीं है। जो बुनकरों को मदद मिलने वाली थी वह मिलने वाली नहीं है। इसलिए उससे भी कोई आशा नहीं दिखायी पड़ती। इसके अलावा प्राइवेट सूती मिलें हैं जिनसे सूत खरीदना पड़ता है, स्टैपिल भी और सूत भी। वह बहुत ज्यादा दाम तरह-तरह के बहाने बनाकर बुनकरों से लेती हैं। जैसे ७५ रु० गड्डे की जगह ९० रु० दाम कर दिया है तो सरकार को देखना चाहिये कि गलत बहाने बना कर दाम न बढ़ाने पाएं। बहाना यह कर दिया कि काटन कम हुआ। उसमें यह देखना चाहिये था कि किसना कम मिला और उससे कितना दाम बढ़ सकता था। यह नहीं देखा गया और मनमाने दाम उन्होंने बढ़ा दिए जिसका प्रभाव इस उद्योग पर बहुत बुरा पड़ा।

काटन जो सूती मिलों के लिए जरूरी है, हमारे प्रदेश में उसकी कम पैदावार होती है तो हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि काटन की पैदावार काफी हो जिससे सूती मिलें ठीक से चल सकें और उन्हें दाम बढ़ाने का बहाना न मिल सके कि दूसरी जगह से काटन मंगाने पर इतना खर्च हो गया इसलिए दाम बढ़ गए। यह जो प्राइवेट सूती मिलें है इनका कोई कोटा मुकर्रर होना चाहिए कि हथकर्घा उद्योग को इतना सूत जाएगा। और जो कोटा मुकर्रर हो वह किसी प्राइवेट आदमियों के जरिये नहीं, सूती मिलों के अपने आदमियों के जरिए नहीं, बल्कि यूपिका का या हथकर्घा उद्योग के नुमायन्दों के जरिये मिलें जिससे वह ठीक दाम लें और ज्यादा मुनाफा न ले सकें। तब यह काम चल सकता है और हथकर्घा में लगे हुए लोग जो इतना परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो सकती है और उन को कुछ सहूलियत मिल सकती है। और फिर अगर सरकार की छोटे उद्योगों को बढ़ाने के बारे में वह दृष्टि हो गयी जो मैंने बतायी तो फिर समझिये कि इस प्रदेश का कल्याण होने वाला है।

इसके अलावा और बहुत से छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं जो कि इस प्रदेश में चल रहे हैं या जिनको चलाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि रेशम का उद्योग है। वाराणसी, मिर्जापुर तथा और दूसरी जगहों में यह उद्योग है। हिन्दुस्तान भर में ३० लाख आदमी इस काम में लगे हुए हैं। अगर इसकी तरफ कोशिश की जाती है, तो मैं यह कह सकता हूं कि यह एक सहायक उद्योग धंधा बन जायेगा और किसान अपनी खेती करते हुए इस काम को करके अपनी आमदनी बढ़ा सकेगा। शहतूत के पेड़ लगाये जा सकते हैं और कीड़े पाले जा सकते हैं। इस तरह से लोगों को काम भी मिल जायेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ जायेगी। सिल्क का काम नहीं बढ़ रहा है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो सिल्क की पैदावार बढ़ेगी। ओक के पेड़ भी उस काम के लिये बड़े लाभकारी हैं। अगर सरकार पहाड़ी जिलों में ओक के पेड़ से टसर रेशम बनाने का प्रबन्ध करती है तो बड़े उद्योग-धंधे बढ़ाये जा सकते हैं। महज उद्योग बढ़ाने के काम पर सुस्ती से काम करने से काम चलने वाला नहीं है। काम को तेजी से बढ़ाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए।

मान्यवर, इसी तरह से हस्तकलाएं और हस्त शिल्प भी हैं जनके उद्योग वाराणसी और मुरादाबाद जिलों में चल रहे हैं। वाराणसी और मुरादाबाद के बने हुए ताम्बे और पीतल के बर्तनों की विदेशों में काफी मांग है और विदेशों को हमारे यहां से काफी एक्सपोर्ट होता है। इन उद्योगों को काफी मदद मिलनी चाहिए और अगर उन्हें रा-मैटीरियल मिलने में कठिनाई अनुभव होती है तो सरकार को उसे छोटे-छोटे उद्योग चलाने वालों को सुलभ कराना चाहिये। मुरादाबाद में छोटी-छोटी भट्ठी लगा कर लोग इस काम में लगे हुए हैं। उनकी कुछ दिक्कतें हैं। सन् १९६७ में हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री वित्त मंत्री थे और मैं उनका उप मंत्री था। उस जमाने में उन्होंने बिक्री-कर कमेटी की नियुक्ति की थी और कृपा कर के उस कमेटी का उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया था। पीतल के वर्तन बनाने वाले अपने साथियों की दिक्कतों को देखने का मुझे मौका मिला। उनको काफी परेशानियां थीं। इस छोटे से उद्योग को चलाने वाल लोगोंको

अपने बनाये माल पर सेल्स टैक्स देना पड़ता था। मेरे सामने यह सवाल आया कि जो छोटे-छोटे उद्योगों में लगे हुए लोग हैं उनकी सहायता कसे की जाये। तो उस कमेटी ने सुझाव दिया कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि उन लोगों को पहले प्वाइन्ट पर सेल्स टैक्स न देना पड़े।

इसी प्रकार वाराणसी और सहारनपुर में भी लोग छोटे-छोटे उद्योगों में लगे हुए हैं इस सिफारिश से उन की भी रक्षा हो जाती है। पहले प्वाइन्ट पर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए अपितु दूसरे प्वाइन्ट पर, जो बड़े आदमी आ जाते हैं जो कि छोटे उद्योग धंधों का सामान खरीद कर बड़े पैमाने पर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसकी बिक्री करते हैं। हमारी यह राय थी कि उन लोगों से यह सेल्स टैक्स शुरू होना चाहिए। सन् १९६७ में की गयी उस सिफारिश का कार्यान्वियन नहीं हुआ। कुछ और सिफारिशों का तो कार्यान्वियन हो गया, मगर यह सिफारिश, जो सर्व सम्मत थी, कार्यान्वित नहीं हुयी। यह सवाल सन् १९६९ में, जबकि संविद सरकार इस्तीफा दे चुकी थी, फिर उठा और तब मुझे समिति में जाने का मौका मिला। तब मैंने देखा कि उस सिफारिश को टर्न डाउन कर दिया गया है। पता नहीं किस दृष्टि से सोचा जाता है। छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की ओर दृष्टि होनी चाहिए। यही एक रास्ता है लोगों को काम देने का और बेकारी दूर करने का और इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

चूंकि यह दृष्टि नहीं है इसलिये दूसरे ढंग से सोचा जाता है। तो मैंने कहा कि जो लोग हस्तकला में लगे हुए हैं उनकी भी मदद की जाय तो उनकी काफी उन्नति हो सकती है लेकिन थोड़ी सी मदद होती रहती है।

इसी तरह से बहुत से काम हैं, मिट्टी का काम है, सफेद मिट्टी के वर्तन हैं, लोहे का काम है, बढ़ई का काम है, चमड़े का काम है। इनके उद्योग धंधे इस प्रदेश में लगाये गये हैं लेकिन अगर इन को ठीक से देखा नहीं जावेगा तो वे लगे रहेंगे लेकिन कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिये इनकी ठीक से मदद करनी चाहिये। कुछ उद्योग धंधों को १९६७ में खादी बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया और उनका सारा काम उनके सुपुर्द कर दिया गया। जो सोसाइटीज इस क्षेत्र में आ गई थीं उनकी जब जांच हुई तो पता लगा कि एक बड़ी तादाद इनकी ऐसी थी जो सिर्फ कागज पर थी। उनको बोर्ड की तरफ से मदद नहीं मिली। पंजीकृत सोसाइटीज की जब जांच की गई तो १९७० में ३३४६ सोसइटीज रजिस्टर्ड थी। जांच से मालूम हुआ कि केवल १५९३ को सहायता मिली है। उनमें केवल १०८८ सोसाइटीज ऐसी थीं जो कि काम पर लगी हुई हैं और बाकी नहीं लगी हुई हैं और उस कमेटी ने रिपोर्ट में बतलाया कि १०२४ सोसइटीज ऐसी हैं जो अगर कोशिश की जाय तो पुनर्जीवित हो सकती हैं लेकिन १२३४ सोसाइटीज पुनर्जीवित करने के लायक नहीं हैं। यह विभाग की ओर से काम हो रहा है। इस तरह से कितनी ही सोसाइटीज सिर्फ कागज पर हैं और रिपोर्ट यहां पर आ जाती हैं। कितनी सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनमें क्षमता से बहुत ही कम काम होता है और धोखा होता है सरकार को और प्रदेश को। इसलिये इसके बारे में ठीक से जांच होनी चाहिये और यदि ऐसा नहीं होगा तो अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा।

श्रीमान् जी, औद्योगिक आस्थान काफी बनाये गये हैं और यह सोचा गया कि उनके द्वारा उद्योगों को मदद मिले जिससे औद्योगीकरण की गति तेज हो सके। इनके आंकड़े देखें तो ६८ औद्योगिक आस्थान स्थापित हो चके हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल––

मन्त्री जी नहीं हैं, राज्य मंत्री जी भी नहीं हैं, आप किसको सुना रहे हैं।

एक सदस्य––

पुराने उद्योग मन्त्री मौजूद हैं।

श्री जयराम वर्मा---

निर्मित रोड और विकसित भू-खंड २०८३ थे जिनमें १५२४ आवंटित किये गये थे। अधिकृत रोड एवं भूखंड १२०७ हैं। इनमें केवल ५८३ कार्यरत हैं। तो इतना रुपया जो औद्योगिक आस्थानों पर लगाया गया इसके लिये कौन जिम्मेदार है। इतना रुपया खर्च हुआ लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है। डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज इसके लिये जिम्मेदार हैं। इन पर जिम्मेदारी होनी चाहिये कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके लिये जिले के अधिकारी, उनके नीचे के अधिकारी जो डिवीजनों में हैं वे सभी इसके जिम्मेदार हैं कि अच्छे परिणाम क्यों नहीं निकले। अगर जिम्मेदारी उनके सिर पर नहीं थोपी जाती है तो उन्हें क्या परवाह है। कागज पर आंकड़े आ जाते हैं। काम कुछ हो नहीं रहा है। जो विभिन्न काम कागज पर दिखाये जाते हैं वह वास्तव में हो नहीं रहे हैं, केवल दिखाने के लिए दिखा दिये जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। देखभाल की कोई फिक्र नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है और यह दृष्टि है ही नहीं कि यही एक रास्ता है जिसके जरिये से इस प्रदेश की बेकारी को दूर किया जा सकता है। यह कुछ बातें मैंने माननीय मंत्री जी और सदन के सम्मुख रखीं और इस दृष्टि से रखीं कि अगर प्रदेश को उठाना है, प्रदेश का विकास करना है, प्रदेश को खुशहाल बनाना है तो यह जरूरी है कि हम कोई निश्चित दिशा अपनायें।

आज खेती पर इतने लोग लगे हुए हैं जिसकी वजह से भी हमारा देश और प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अगर हम खेती पर लगे हुए लोगों को हटा कर छोटे उद्योगों में लगा सकें तो इससे हम लोगों का भी हित करेंगे और प्रदेश का विकास कर सकेंगे। हमारे यहां छोटे उद्योग इतनी अधिक संख्या में होने चाहिए कि जो लोग खेती से आना चाहें वह उन उद्योगों में लग सकें। आज हमारे पढ़े लिखे लोग भी बेकार हैं। उनको भी उन उद्योगों में काम मिल सकता है। अगर इन पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिलेगा तो देश और प्रदेश में शांति नहीं रह जाती है। अगर पढ़े लिखे लोगों को काम में लगाना है तो छोटे उद्योगों को बहुत बड़ी संख्या में खोलना पड़ेगा। खेती पर से भी बोझ हल्का होगा क्योंकि लोग उस पेशे में ज्यादा जायंगे जिसमें ज्यादा आमदनी होगी। इस तरह से अगर हम करें तो देश और प्रदेश को समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकते हैं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग के अनुदान पर जब बहस प्रारम्भ हुई तो सवा घंटे बाद प्रारम्भ हुई। इसलिए आप से भी और उद्योग मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस पर सवा घंटे का समय और बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका निवेदन अस्वीकृत है।

श्री देवकी नन्दन विभव---

समय बढ़ा दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

मैंने प्रस्ताव किया और मंत्री जी ने उसका समर्थन कर दिया है। अब तो स्वीकृत है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से समय नहीं बढ़ता है। मंत्री जी भी सोच लें। अभी चलने दें। अन्त में देखा जायगा। हो सकता है इस बीच आप को संतोष हो जाय।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

आप आगे कुछ भी करें लेकिन इसको आप ध्यान में रखें कि हमने प्रस्ताव किया और मंत्री जी ने उनका समर्थन किया।

*श्री रघुनाथसिंह (जिला कानपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इसमें दो राय नहीं है कि हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उस की तरक्की के लिये उद्योगों का बढ़ाना नितान्त आवश्यक है। माननीय विभव जी ने अपनी मांगों को प्रस्तुत करते समय कुछ नये कदम उठाने की ओर भी संकेत किया, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने एक कदम यह उठाया है कि उद्योग डायरेक्टोरेट में एक स्वागत कक्ष खोला गया है। निसन्देह ही यह अच्छा कदम है। यह कदम बहुत पहले से ही उठाया जाना चाहिये था। मैं इसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

इस सदन में कई बार इस बात को कहा गया है कि जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको उद्योग विभाग से कोई परामर्श या सहायता नहीं मिलती। उनकी बात विभाग नहीं सुनता। मुझे आशा है कि माननीय विभव जी इस ओर भी ध्यान देंगे। इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए ही माननीय वर्मा जी ने अपना भाषण कृषि का जिक्र करते हुये शुरू किया और कृषि का जिक्र करते हुये ही समाप्त किया। वर्मा जी को एक बड़ा अनुभव है, काफी समय तक वे मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। मैं यह आशा करता था उनसे कि वे उद्योग की दिशा में कुछ नयी बातों की ओर हमारा ध्यान दिलायेंगे। मगर इस ओर वे जमें नहीं।

(व्यवधान)

उन्होंने अपने भाषण में लगभग ६३ बार खेती का शब्द इस्तेमाल किया और लगभग १९ बार उद्योग का जिक्र किया। मैं तो यह समझ रहा था कि वर्मा जी कहीं इसको कृषि का अनुदान तो समझ कर भाषण नहीं कर रहे हैं, किन्तु बाद में उन्होंने कुछ बातें उद्योग के संबंध में कहीं जिससे मेरी शंका दूर हुई। उनकी कुछ बातों से मैं पूर्णतया सहमत हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि देहात में लघु उद्योगों की स्थापना की जाय। यह ठीक है।

मान्यवर, पिछले बजट सत्र में भी मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर मिला था और मैंने इसी बात पर बल दिया था। यह बात सही है कि जब तक हम पूरा बल देहातों में उद्योग खोलने की ओर नहीं देंगे प्रदेश की तरक्की होने वाली नहीं है। बिना उसके हम प्रदेश की वैसी उन्नति नहीं कर सकते जिसकी हमने कल्पना की है और जनता के समक्ष वायदे किये हैं। माननीय वर्मा जी ने हथ कर्घा उद्योग का जिक्र किया। इस उद्योग का सीधा-सादा संबंध देहात से है। अगर हम और कोई शीघ्र कदम उठा सकें तो निश्चय ही देहात के लिए एक अच्छा कदम होगा और उद्योग के द्वारा हम प्रगति की ओर बढ़ सकेंगे। वर्मा जी ने एक बात बड़े मार्के की कही, उद्योग का जिक्र करते हुये, कि रेक्टीफाईड स्प्रिट में सब से बड़ी तरक्की हुई, जो आंकड़े उन्होंने दिए उनसे साबित होता है कि इस तरफ ज्यादा प्रगति हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विभव जी के मन्त्रिमंडल में आते-आते उसका उत्पादन कम हुआ है, इसलिये हम पर अब यह लांछन कुछ उचित नहीं लगता है। इस उद्योग में जिस समय प्रगति हुई उस समय यह सरकार में नहीं थे और उन के मंत्रिमंडल में ही थे। देहातों की प्रगति के बारे में मैं एक निश्चित सुझाव रखना चाहता हूं। देहातों का औद्योगीकरण होना चाहिए, यह बहुत दिनों से कहा जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में पिछले बजट सत्र की चर्चा का जिक्र करके यह बताना चाहता हूं कि पिछली बार यहां पर चर्चा हुई थी कि हर माननीय विधायक के क्षेत्र में कम से कम ५ उद्योग लगाए जाएं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुनाथ सिंह]

उसकी चर्चा में यह भी जिक्र हुआ था। इस के पहले की सरकार ने, उसके उद्योग मंत्री ने ऐसा कोई आश्वासन भी सदन में दिया था कि वह ऐसा करने जा रहे हैं और इसी प्रसंग में उसका जिक्र हुआ था।

हमारा निवेदन यह था कि यदि ५ न लगें तो ४–३ या २ ही सही, अवश्य लगेंगे, लेकिन एक निश्चित लक्ष्य अवश्य मालूम हो जाना चाहिये। जिसको हम सदन के समक्ष भी रखें और उस-का मूल्यांकन भी करें कि कितनी प्रगति हुई है और कितनी नहीं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बहस का उत्तर देते समय वह इस सुझाव पर प्रकाश डालने की कृपा करें कि क्या ऐसा होना सम्भव है? क्या वह इस तरीके से देहातों के औद्योगीकरण के लिए कदम उठाना आवश्यक समझते हैं अथवा नहीं? भले ही आप एक ही हर क्षेत्र में उद्योग लगाएं, उससे भी हमारे प्रदेश में ४०० से अधिक लग जाएंगें, क्योंकि हमारी संख्या ४०० से अधिक है। इनमें से यदि ५०–६० परसेंट को भी सफलता मिली तो देहातों के औद्योगीकरण की दिशा में एक निश्चित कदम होगा बहुत से उद्योगों का वर्मा जी ने जिक्र किया, जो अपनी जगह पर सही हैं, जिनका संबंध देहातों से है, उनका यदि हम देहातों में विकास करें, तो निश्चित ही देहातों की दशा सुधरेगी। जैसा कि सभी अर्थ-शास्त्री मानते हैं जब तक हम खेती पर निर्भर लोगों का बोझ धरती पर से कम नहीं करते तब तक हमारी आमदनी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिये। तो यह बड़े आवश्यक सुझाव हैं और मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्री जी इसके संबंध में निश्चित रूप से कोई प्रकाश डालें।

कृषि हमारे प्रदेश की एक ऐसी रोजी है जिस पर हमारे प्रदेश के लगभग ८७ फीसदी लोग निर्भर करते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निश्चित सुझाव यह है कि खेती को भी हम उद्योग का स्तर दे कर उस ओर विचार करें। उद्योग विभाग जैसे विभिन्न उद्योगों के बारे में आंकड़े संकलित करता है, हर तरह की तकनीकी जानकारी करता है, जो लोग इंडस्ट्री लगते हैं उनको उसका फायदा देता है, अगर उद्योग विभाग को खेती के रूप में समझ ले और जो खेतिहर उद्योग लगाना चाहें उनको भी वह सुविधाएं दे तो खेती के साथ में जो ऐसी अलाइड इंडस्ट्रीज चलायी जा सकती हैं उनका देहात में प्रसार होगा और उनके द्वारा हमारे मजदूर की, और थोड़ा बहुत खेती पर जो निर्भर करता है उसकी भी दशा सुधरेगी और प्रदेश में खुशहाली की ओर एक निश्चित कदम होगा।

माननीय, इसके साथ-साथ मैं थोड़ा सा अप्रिय विषय भी लाना चाहता हूं क्योंकि अभी उद्योग मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि उनके विभाग के बारे में अगर कोई शिकायतें किसी की हों तो उन की नोटिस में लायी जायं। उन पर वे निश्चित कदम उठाएंगे। पिछले बजट सत्र में उद्योग विभाग के रेट कंट्रैक्ट जिस पर चर्चा उठायी गयी—मैं आभारी हूं उस समय के मंत्री का उसके बारे में अवश्य कुछ सुधार हुआ। संक्षेप में जिक्र कर दूं। रेट कंट्रेक्ट बहुत बड़ी चीज है। बहुत सी चीजों का रेट कंट्रेक्ट उद्योग विभाग में होता है लेकिन मैंने जिस चीज का जिक्र किया था वह पंपिंग सेट्स हैं जिसका सीधा-सीधा सम्बन्ध किसान से होता है। हमारे प्रदेश में भूमि विकास बैंक के द्वारा पंपिंग सेट लगाने के लिये ऋण दिया जाता है और किसान उन्हें सिंचाई के लिये लगाते हैं। पेश्तर तक मेरी नोटिस यह थी कि ऐसे रेट कंट्रेक्ट के अन्तर्गत अधि-कतम मूल्य और सब से कम मूल्य का अन्तर २७ फीसदी था जब कि सरकार का निर्णय हो चुका था कि यह अन्तर १५ परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई जब मैंने यह कहा तो वह अन्तर बढ़ कर ४० परसेन्ट हो गया। मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। वह चीज देखी गयी और वह अन्तर १५ परसेंट पर निश्चित कर दिया गया। लेकिन पूरा फायदा जो किसानों को मिलना चाहिए था वह मिल नहीं पाया। कारण क्या हुआ? रेट कंट्रेक्ट की सूचनाएं सम्बन्धित संस्थाओं को ठीक तरीके से नहीं भेजी गयीं।

जहां तक मेरी जानकारी है यह रेट कंट्रैक्ट विज्ञप्ति संख्या ५३, ५५, और ८६ में स्वीकार किया गया था और तारीख थी ३–७–१९७०, ६–७–१९७० और ३–९–१९७०। इन विज्ञप्तियों द्वारा यह रेट कंट्रैक्ट स्वीकार किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनको

सूचना भूमि विकास बैंक के बारे में मुझे मालूम है १३ किस्तों में भेजी गयी। १३–७–१९७० को रेन्ट कंट्रेक्ट स्वीकार हुआ किसी पम्पिंग सेट का २५ सौ रुपये गवर्नमेंट से रेट कंट्रेक्ट में निश्चित हुआ और उसकी सूचना चार महीने बाद भूमि विकास बैंक को भेजी गयी। इस बीच में वह फर्म इस बात के लिये आजाद रही कि २,५०० रु० के बजाय २,७०० से २९०० रुपये तक ले ले और किसान लुटता रहे। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था विधान सभा में जो पहले गुरुवार को सदन में आया था लेकिन बहुत पीछे होने के कारण उस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी। उसका लिखित उत्तर मुझे मिला। मैं मन्त्री जी की जानकारी के लिये प्रश्न और उसका उत्तर दोनों पढ़ देना चाहता हूं।

(इस समय ३ बज कर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह, पीठासीन हुए।)

माननीय मंत्री जी यह देखें कि इस तरह से अगर प्रश्नों के सम्बन्ध में गोलमाल किया जायगा तो प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। मेरा प्रश्न था "क्या शासन यह बतलाने की कृपा करेगा कि निदेशक उद्योग विभाग, कानपुर द्वारा विभिन्न मेकों के डीजल व बिजली चालित पंम्प सेट आदि के मूल्य का जो रेट कांट्रेक्ट वर्ष १९७०–७१ के लिये मंजूर किया गया था उसको अन्तिम रूप किस तिथि को दिया गया? क्या यह सच है कि उक्त मशीनरी के रेट कांट्रेक्ट की सूची सम्बन्धित संस्थाओं को १३ किस्तों में भेजी गयी जब कि रेट कांट्रेक्ट को एक बार में ही स्वीकार कर लिया गया था? यदि हां, तो इसका क्या कारण था?" उत्तर इस प्रकार है "चूंकि रेट कांट्रेक्ट को मंजूर करने के पहले फर्मों की मशीनों के मूल्य तथा विभिन्न शर्तों को तय करने में काफी समय लगता है इसलिये रेट कांट्रेक्ट को अन्तिम रूप देने के लिये कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी।" यह बात समझ में नहीं आई। टेंडर्स मांगे जाते हैं। लोग भर कर देते हैं। टेंडर्स खोले जाते हैं और जो लोयस्ट रेट होता है वह स्वीकार कर लिया जाता है। इसके ऊपर कौनसी बातचीत चलती है जो इतना समय लग गया?

वह कहते हैं कि कोई तिथि निश्चित नहीं हुई, यह बात समझ में नहीं आती। आगे प्रश्न का उत्तर यह है "यह सही है फर्म का जो लेटर आफ इंटेंट उनके रेट कांट्रेक्ट के मंजूर होने के सम्बन्ध में भेजा गया था वह १३ किस्तों से अधिक किस्तों में था।" मैं संबंधित संस्थाओं की बात पूछ रहा हूं और वह उत्तर दे रहे हैं फर्म्स के सम्बन्ध में। फर्म्स से मुझे क्या मतलब? मेरा इस ओर संकेत करने का तात्पर्य यह था कि मेरी निश्चित जानकारी है कि इस सम्बन्ध में लगभग ६ लाख रुपये का नुक्सान प्रदेश के किसानों को हुआ। रेट कांट्रेक्ट में कम कीमत थी और संबंधित संस्थाओं को सूचना नहीं मिल पाई, उनको हिदायत नहीं मिल पाई जिससे किसानों से मनमानी कीमतें ली गयीं और इसकी निश्चित जिम्मेदारी उद्योग विभाग पर है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि किसानों की जो इस तरह से लूट हुई है उसकी जिम्मेदारी किस पर है और जिम्मेदारी फिक्स करते हुए वह इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिन किसानों से अधिक पैसा ले लिया गया है धोखा दे कर, ना जानकारी की वजह से उनको पैसा वापस किया जायगा।

एक चीज और आवश्यक थी इस रेट कांट्रेक्ट के सम्बन्ध में। इस रेट कांट्रेक्ट के निश्चित हो जाने के बाद हमारे प्रदेश में ऐसी फर्म्स हैं जिन्होंने इसकी अवहेलना करके ज्यादा रेट्स लगा लिये। मैंने इस सम्ब ध में उसी प्रश्न के साथ यह प्रश्न भी किया था कि क्या ऐसी बात हुई है तो उस सम्बन्ध में उत्तर यह दिया गया था कि इस सम्बन्ध में संस्थाओं ने शासन को कोई सूचना नहीं दी है। ठीक है, नहीं दी होगी लेकिन मेरी जानकारी है कि फर्म के इंजन का रेट-कान्ट्रेक्ट २,२३७ रुपया लगाया गया था। उस इंजन का नाम ३ एच० पी० (डी० कपुल) के० वी० आई० ढाई बाई दो इंचेज का है और उस की कीमत ३,०३६.५० पैसे चार्ज कर रहे हैं। अतः मेरा माननीय मन्त्री जी को सुझाव है कि वे कृपया इसकी जांच करवा लें। हमारी सरकार ने

[श्री रघुनाथ सिंह]

किसानों को इस बात की गारन्टी दी है कि चूंकि सरकार ने उसकी कीमत निश्चित कर ली है अतः उनसे ज्यादा पैसा नहीं लिया जायेगा किन्तु फिर भी फर्म किसानों से वह कीमत लेती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देते समय यह जरूर बतायेंगे कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या सोचा है।

इन्डस्ट्री के हक में एक बात और कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और पंजाब जो कि हमारे प्रदेश से अधिक उन्नत प्रदेश हैं उनके यहां यह व्यवस्था है कि वे बाहर के बने माल को तरजीह नहीं देते है और अपने प्रदेश के बने हुये माल को ही तरजीह देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं किजहां तक अपने प्रदेश के उद्योगों की तरक्की के बारे में सोचें उसके साथ ही एक कदम यह भी उठाना आवश्यक है कि हम एक सीमा निश्चत करें कि इस सीमा तक हमारे उद्योग-धधों का जो प्रोडक्शन होगा और उस में जो माल तैयार होगा उसे हम अपने प्रदेश का ही लेंगे। बाहर के बने हुये माल को नहीं लेंगे। मेरा सुझाव है कि पंपिग सेटों के लिये ही हम यह तय कर दें कि १० हार्स पावर तक के जो पंपिग सेट हैं वे हम अपने ही प्रदेश के बने हुये लेंगे। बड़े उद्योगपतियों को इससे कुछ नाराजी हो सकती है और उनका इसमें मैनीपुलेशन हो सकता है। किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे हिम्मत के साथ इसका मुकाबला करें। तभी हमारे प्रदेश की इन्डस्ट्री की तरक्की होगी। अब हमारे गांवों में भी जगह-जगह बिजली पहुंच गई है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं।

*श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जयराम वर्मा जी ने जो कटौती के प्रस्ताव पेश किये है, उनका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। दो-चार वर्षों से जब यह सोचा और समझा गया कि बढ़ती हुई बेकारी, खेती पर अधिक भार, प्रति व्यक्ति आय, जो दिन प्रति-दिन कम हो रही है तो हरी-क्रान्ति के बाद औद्योगीकरण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। केवल यही सरकार नहीं, अपितु जितनी भी पिछली सरकारें रहीं वे भी इस पर अपनी रीति-नीति और पालिसी के साथ जोर देती रहीं। प्रदेश का औद्योगीकरण हो, शीघ्रातिशीघ्र हो और इसके लिये उचित कदम उठायें जांय। अभी-अभी जब माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाये हैं प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये, जिसमें उन्होंने गिनाया है कि हम पावर सब्सिडी देंगे, १५ प्रतिशत रिबेट देंगे—प्रदेश के बने हुये माल पर, बिक्रीकर में ३ साल की छूट देंगे और जो फैक्टरी इन्स्टालेशन का माल बाहर से आयेगा मशीनरी वगैरह, उसमें भी हम छूट देंगे। ये सब बातें, माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि पहले की सरकारों में तय की जा चुकी है। अगर उन्होंने कोई तरक्की की है तो इस बात पर की कि जैसे इस सरकार दे स्वागत कक्ष खोल दिया, परामर्श कक्ष डाइरेक्टर आफ इडस्ट्रीज ने खोल दिया।

यह सही बात है कि इस प्रदेश में कम से कम दो प्लान्स तक तो इन्डस्ट्रीज की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया—भारत सरकार की ओर से और प्रदेशीय सरकार की ओर से भी। पहली योजना में भारत सरकार ने प्रदेशों को जो विनियोजित धनराशियां दीं औद्योगिक क्षेत्र में तो पहली योजना में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, दूसरी में कुछ नहीं मिला। तीसरी योजना में ७२ करोड़ एक लाख रुपया मिला। इस तरह से हमारे प्रदेश का हिस्सा जो मिला वह ३.८ प्रतिशत है जबकि प्रदेश की आबादी सारे देश के मुकाबले १७ प्रतिशत है। आज हम सभी इस बात पर विचार कर रहे हैं और गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ानेके लिये और बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिये निश्चित रूप से हमें उद्योगों का विकास करना होगा, विशेष रूप से लघु उद्योगों का विकास करना होगा। साथ ही हमें भारी उद्योगों को भी छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि भारी उद्योग जब लगते हैं तो उनके साथ ऐंसी-लियरी इडस्ट्रीज, छोटी छोटी इडस्ट्रीज लग जाती हैं जो बड़े उद्योगों को माल सप्लाई करती हैं। लेकिन जैसा कि माननीय वर्मा जी ने कहा बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिये, रोजगार को बढ़ावा देने के लिये हमें निश्चित रूप से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि बढ़ावा नहीं दिया गया। नीति के हिसाब से, आदेशों के हिसाब से बढ़ा दिया गया, लेकिन कार्यरूप में बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जैसा कि आप ने कहा, जितनी भी छूटें हैं इनमें भी बड़ी असुविधाएं होती हैं । बिक्री-कर की छूट के लिये देखें कि इडस्ट्री लगती है तो प्रोसेसिंग की डिफिकल्टीज चाहे वे निदेशालय के स्तर पर हों या सरकार के स्तर पर हों उनकी स्कीम सरल बन जाय और तत्काल और शीघ्रातिशीघ्र आदेश दिये जायं तो ज्यादा उचित होगा । जिस तरह से कि पंजाब में जिक्र हुआ करता था, सरदार प्रताप सिंह कैरो के समय में, कोई भी इंडस्ट्री लगवाने आये तो आदेश होता था कि २० दिन के अन्दर सारा प्रोसेसिंग करके सारा सामान दीजिये । तो जो भी अनुदान या ऋण देना है, स्कीम का प्रोसेसिंग करना है, लाइसेंस के लिए भेजना है तो मैं सुझाव दूंगा कि उसकी प्रोसेसिंग प्रणाली के लिये कम से कम समय नियत किया जाय ताकि लोग अधिक से अधिक रुचि ले सकें ।

एक बात और कहूंगा कि प्रदेश में बहुत बात हो रही है कि लघु इकाइयां, एन्टरप्रिन्योर्स को बढ़ावा दे रही हैं, स्वागत कक्ष खोले हैं, लेकिन जब व्यावहारिक रूप में बात होती है तो लोगों को इंसेटव, प्रोत्साहन नहीं मिलता .....

श्री रघुनाथ सिंह––

एक बार जाकर देखिये ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी––

मैं देख चुका हूं । जो आदमी पहुंचता है वहां पर इस विचार को ले कर तो एक बात कहेंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं प्रदेश में जिसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एडवान्स की होगी, ये काफी मात्रा में लग चुकी हैं, अब रा मैटीरियल की शार्टेज हो गयी है, इनको न लिया जाय । उन्हीं इडस्ट्रीज के सम्बन्ध में लोग अप्लीकेशंस देते हैं । जाहिर है कि फिलहाल आप रा-मैटीरियल नहीं दे सकते हैं लेकिन उनसे यह कह देते हैं कि लिख कर दे दीजिये कि मैं रा मैटिरियल नहीं लूंगा । हो सकता है कल, परसों, सिचुएशन ईजी हो जाय और आप देने की स्थिति में हो जाय तो उसके लिए आप फार्म में ही ऐसा कालम बढ़ा दीजिये कि अभी शार्टेज है जब अवेलेबिल होगा तो आप को भी दिया जायगा । ये छोटी-छोटी बातें हैं । अगर सेल्समैनशिप टैक्टिक्स से काम किया जाय तो पंजीकरण पहली स्टेज होती है औद्योगिक इकाइयां लगाने की । अगर वहीं पर धक्का लगेगा तो वह आगे नहीं बढ़ता । यही बात इस प्रदेश के संबंध में चौधरी मइनुल हक जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कही थी कि इस प्रदेश में एनथ्युजिया नहीं है । तो हम लोगों में इर्सेटिव पैदा करना होगा, लोगों को प्रोत्साहित करना होगा । जब वे लखनऊ आये थे तो उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश में बहुत कम मात्रा में लाइसेंस के लिये अर्जियां आई है । ३३०० में से केवल १२० अर्जियां आई है । ऐसी स्थिति में जब हम खास तौर से यह तय कर चुके हैं कि हमें अपने प्रदेश में औद्योगीकरण करना है तो हमें अपने नियमों को सरल, सुगम और तत्काल राहत देने वाले बनाने पड़ेंगे ।

सब से बड़ी जो दिक्कत आती है और जिसके संबंध में सदन में सवाल भी उठा है । रा-मैटीरियल के डिस्ट्रीव्यूशन के संबंध में पायनियर अखबार में भी पढा था कि लोहे और इस्पात के आवंटन में कुछ गोलमाल पाया गया और सौभाग्य से मंत्री जी के जिले आगरे से जांच शुरू हुई और वहां पर पर २००/३०० पंजीकृत इकाइयां थीं उनमें से १२० से ज्यादा डिफेक्ट्स मिले और वर्षों से वे कोटा लिये चली जा रही हैं उन तमाम चीजों का जिनमें से किसी पर एक हजार का, किसी पर १२०० का और किसी पर २ हजार का ब्लक है। रुपये कमाने के लिये नकली पंजीकरण किया जाता है । कौन इसको वैरीफाई करता है और कैसे ये इकाइयां पंजीकृत हो जाती है ? इसकी जांच के लिये श्री कुंवर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठाई गई है। मंत्री जी के जिले अगरे में जांच की गई और १२० बोगस फर्म्स पाई गई । उन्होंने कहा कि डाक्टर चारलू जो डायरेक्टर आफ इंडस्ट्री थे उन्होंने जान बूझ कर यह कराया है । उनको धमकी दी गई कि हम आपको डायरेक्टर नहीं रहने देंगे और उनको हटा दिया गया । इस जांच के

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

बाद ही उनको हटा दिया गया । मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सत्यता है लेकिन भ्रम होता है कि हो सकता है कि मंत्री जी के क्षेत्र के लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला हो और उन्होंने सोचा हो कि इनको हटा दिया जाय । इस संबंध में वे स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे ।

दूसरी बात यह है कि रा-मैटीरियल के आबंटन में कई चीजों में घपले बाजी हुई है। मटन टैलो एक पदार्थ है, वह एक तरह का फैट है, इससे साबुन बनाया जाता है और इसको होटलों में खाना बनाने के लिये घी की जगह इस्तेमाल किया जाता है । जो लोग होटलों में हम जैसे खाना खाते हैं उनको खिलाया जाता है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है । इसके डिस्ट्रीब्यूशन में एक विशेष पार्टी को बहुत बड़ी संख्या में यह दे दिया गया । यकाएक बदल कर एक पार्टी का कोटा काट दिया गया और दूसरी को दे दिया गया । इसी तरह से एम० एस० प्लेट्स का पूरा का पूरा वैगन लोड ले जाने वाला ले गया और उसका कहीं पता नहीं । मैं तो इस समय यह बात बता रहा हूं कि ऐसे काम में दोषी एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं क्योंकि कच्चा माल बेंचने में लोगों इतना पैसा मिल जाता है कि जो उनको बनाकर बेंचने में नहीं मिलता है । इस रा-मैटीरियल के बेंचने में लोग लाखों रुपया कमाते हैं । इसीलिये बिजनेस मैन अधिकारियों को करप्ट करते हैं । जांच में बहुत की कंपनियां बोगस पायी गयीं । जब बोगस पायी गयी तो क्या माननीय मंत्री जी ने यह जांच की कि रा-मेटीरियल किस अधिकारी की वेरीफिकेशन पर दिया गया था । मैं प्रार्थना करूंगा कि जब मंत्री जी उत्तर दें तो इस पर प्रकाश डालें कि उन बोगस कंपनियोंके मिलने वाले रा-मटीरियल का वेरीफिकेशन किस अधिकारी ने किया था और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और उसके बाद क्या ऐसे कदम उठाये गये जो ये चीजें नियमित रूप से लोगों को अच्छे ढंग पर मिल सके ।

में आपको एक बात और कहूंगा कि ६७–६८ में जिला स्तर पर लोगों को ऋण बांटा गया । छोटे-छोटे जिलों में १० हजार रुपया तक दिया गया, बुन्देलखंड, पहाड़ी इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नयी इंडस्ट्रीज के नाम पर यह दिया गया । पहाड़ों में १४ फीसदी खेती होती है, जहां पानी का नाम नहीं है । इंडस्ट्रियल एस्टेट कोटद्वार में बनायी गयी, लेकिन वहां कोई नहीं है । कुछ लोगों ने इंडस्ट्री लगाने की कोशिश भी की, कुछ लोगों ने रुपया भी लिया । अब उस रुपये को लोगों को देने में कठिनाई हो रही है । सरकार कहती है कि उन लोगों का कसूर है लेकिन उनका कसूर नहीं है यह प्रणाली का कसूर है । जब रुपया देने की बात आयी तो कहा गया कि किसी प्रकार से रुपया ले लिया जाय । उसके बाद यह नहीं सोचा गया कि १० हजार रुपये को लेकर किस प्रकार से फैक्टरी लगायेगा । बाक्स फक्टरी लगाने का प्रयत्न किया गया लेकिन उसको टीन का कोटा नहीं मिला । एक व्यक्ति ने बौक्स और रंग की फैक्टरी लगानी चाही लेकिन उसको भी कानपुर बार-बार दौड़ना पड़ा लेकिन कोटा नहीं मिला । छोटे लोगों के पास एप्रोच होती नहीं है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह की व्यवस्था करें कि जो जिले पिछड़े हुए हैं और जहां इंडस्ट्रलाइजेशन की जरूरत है उनकी प्रगति के लिये, उनके लिये रा-मेटीरियल के आबंटन के लिये कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे उनको सहूलियत हो सके ।

मैं एक अनुरोध करूंगा कि सेंटर से हम पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री मांग रहे हैं उनमें से एक न्यूजप्रिंट की फैक्टरी है । इस प्रदेश में जहां जो रा-मेटीरियल उपलब्ध हैं वहां उस प्रकार की फैक्टरी लगायी जानी चाहिये । जैसे पहाड़ी इलाके में, गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा में ५७ स लेकर ६० प्रतिशत तक फौरेस्ट है । वहां बड़ी आसानी से न्यज प्रिंट फैक्टरी लगायी जा सकती है । कोटद्वार में लगायी जा सकती है । इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा ।

लीसा की एक फैक्टरी कोटद्वार में है । उसको वर्षों पहले ५ हजार मन लीसा मिलता था, वही अब भी मिलता है । डी०सी० एफ० को लीसा दिया गया है, फैक्टरी लगाने के लिये लेकिन सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिये लीसा नहीं दिया गया । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि आप केवल अपने डिपार्टमेंट का ही नहीं, बल्कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट, हाइडिल डिपार्टमेंट और जितने एलाइड डिपार्टमेंट्स है उन सब की कोई ऐसी समिति बनावें ताकि जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, बुन्देलखंड क्षेत्र है, जो बातें पिछड़े हुये हैं वहां कोई न कोई इंडस्ट्री लगाने के लिये तुरन्त ही वह उन सभी विभागों से सम्पर्क स्थापित कर कोई उचित और न्यायोचित फैसला शीघ्र से शीघ्र ले सकें ।

अभी माननीय वर्मा जी ने कहा था हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में । इसमें कोई शक नहीं कि इस उत्तर प्रदेश में १०–११ लाख आदमी हैंडलूम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जितना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, उससे आधे लोग उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं । हैंडलूम इंडस्ट्रीज का शो रूम अहमदाबाद में और दिल्ली में भी है जहां इस देश के ही नहीं बल्कि अमेरिकन व तमाम फारेनर्स आकर वहां से हैन्डलूम का सामान खरीदते हैं और उसे काफी पसन्द करते हैं। एक्सपोर्ट के लिये वह बहुत अच्छी कमोडिटी है । अगर इस काम को बढ़ाया जाय तो हैन्डलूम का इस प्रदेश में काफी विकास हो सकता है । इटावा में जो स्पीनिंग मिल है वहां से जो सूत मिलता है उसके लिये केवल एक ही अदमी को होलसेल सेलिंग एजेंसी दे रखी है । जाहिर है कि उसकी सिर्फ यही धारणा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो । इस धारणा को लेकर वह सूत नहीं बांटता है कि वह उन लोगों को मिले जिन्हें उनसे राहत मिल सके और जो अपने काम को आगे बढ़ा सकें । उसके केवल दो डिपोज हैं । एक बार मुझे नजीबाबाद की तरफ जाने का मौका मिला था । बिजनौर में भी बहुत से बुनकर हैं । उधर के लिये भी एक डिपो हो जाय तो आपकी बड़ी कृपा होगी । इन शब्दों के साथ मैं श्री जयराम वर्मा के कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

श्री देवराम (जिला गाजीपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश की आय को बढ़ाने के लिये उद्योगों का विस्तार हमारे प्रदेश में बहुत आवश्यक है । प्रदेश को उद्योगों के विकास के हिसाब से ४ खंडों में बांटा गया है । नेशनल कौसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक्स रिसर्च आफ इंडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार ने टेक्नो इकोनामिक्स सर्वे आफ उत्तर प्रदेश नामक रिपोर्ट तैयार करायी है । जिसमें इस प्रदेश को चार खंडों में बाटा गया है । एक पश्चिमी खंड है दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है तीसरा बुन्देलखंड क्षेत्र है जिसमें जालौन हमीरपुर बांदा और झांसी के जिले आते हैं और चौथा पूर्वी उत्तर प्रदेश है । उस रिपोर्ट के तैयार करने में प्लानिंग कमीशन और उत्तर प्रदेश सरकार के विभागाध्यक्ष और विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे । इस रिपोर्ट में सन् ७५–७६ तक पांचवी फाइव ईयर्स प्लान तक का सुझाव दिया गया है कि इन क्षेत्रों का किस प्रकार आर्थिक विकास किया जाय । किस तरह से पूरे प्रदेश में उद्योगों का विकास ठीक ढंग से हो सके और क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त किया जा सके ।

जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश की सरकार इस नीति को मानती है कि प्रदेश का क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त किया जाय । इसलिये यह आवश्यक है कि अविकसित क्षेत्रों की तरफ सरकार विशेष ध्यान दे । पहाड़ी क्षेत्र के विषय में टेक्नो इकोनामिक्स सर्वे आफ उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की ज्योलाजिकल डिपार्टमेन्ट पहाड़ों में उन मिनरल्स की खोज करे कि कौन कौन खनिज पदार्थ वहां प्राप्त हो सकते हैं जिनके द्वारा

[श्री देवराम]

यहां लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र में कितने खनिज पदार्थ हैं इसकी खोज की तरफ सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

सरकार अगर खनिज पदार्थों की खोज करे और अच्छे खनिज पदार्थ मिल जायं तो पहाड़ी क्षेत्र की बेकारी इन उद्योगों के खुलने से दूर हो सकती है। साथ ही यह भी उस रिपोर्ट में लिखा है कि यूकलिप्टस के पेड जिससे कागज की इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती है पहाड़ी क्षेत्र में काफी संख्या में पाये जाते हैं और इनको और ज्यादा संख्या में वहां लाना चाहिये। उस रिपोर्ट में यह भी है कि यातायात के साधनों का भी विकास किया जाय जिससे यह इंडस्ट्री अच्छी तरह से पनप सकें।

अब म आपका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों सरकारों के विशेषज्ञों और विभागाध्यक्षों को पटेल जो प्लानिंग कमीशन के मेम्बर थे उनकी अध्यक्षता में अध्ययन दल संगठित किया था उस कमीशन ने सन् ६५ में अपनी रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन को समर्पित की थी। लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर कोई विशेष कार्यवाही पूर्वी जिलों को समुन्नत करने के लिये नहीं की गयी। मैं सारे देश के आमदनी के आंकड़े १९६०–६१ के आधार पर बताना चाहता हूं। ६०–६१ में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम २४६ रुपये थी जबकि भारत की ३०६ रुपये थी। १९६६ से १९६७ के बीच यहां की पर कैपिटा इन्कम २४४ थी जबकि भारत की ३३१ रुपये थी। इस समय में पटेल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आजमगढ़ की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय १७८.७९ रुपये थी देवरिया की १५५.५८ रुपये गाजीपुर की १७८–३६ रुपये और जौनपुर की १६५.६९ रुपये थी।

महांतक आबादी के घनत्व का सवाल है इन पूर्वी क्षेत्रों में १०९४ व्यक्ति प्रति वर्ग मील में रहते हैं जबकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व ६४९ है। उत्तर प्रदेश में ८७.१ प्रतिशत व्यक्ति गांवों में रहते हैं जबकि पूरे पूर्वी इलाके में ९२.६ प्रतिशत व्यक्ति गांवों में रहते हैं। साथ ही साथ इन चार जिलों में जनसंख्या का घनत्व देवरिया में९७.६ परसेंट, गाजीपुर में ९६.६ परसेंट आजमगढ़ में ९५.२ परसेंट और जौनपुर में ९४ ७ परसेंट है। इन क्षेत्रों में ४३ प्रतिशत श्रम शक्ति बिल्कुल बेकार पडी हुई है जबकि इसी अध्ययन मंडल ने पश्चिमी खंड के मथुरा जिले का और मध्य खंड के सीतापुर जिले का भी अध्ययन किया था। उसके अनुसार पश्चिम में मथुरा और मध्य में सीतापुर के केवल एक प्रतिशत की बेकारी है। साथ ही अर्द्ध बेरोजगारी इन चार पूर्वी जिलों में श्रम शक्ति की ११ प्रतिशत थी जबकि मध्य क्षेत्र में ६ प्रतिशत और पश्चिमी क्षेत्र में ६ ५परसेंट थी। इसके देखने से प्रतीत होता है कि पूर्वी जिलों में बहुत ज्यादा आबादी का घनत्व है और साथ ही कोई रोजगार वहां पर नहीं है। जिससे सारी आबादी कृषि के ऊपर आधारित है 84 फीसदी लोग कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इन चार जिलों के विकास के लिये पटेल स्टडी टीम ने बहुत-सी संस्तुतियां की है।

यह पुस्तिका जो इंडस्ट्री विभाग से बांटी गई है इसको मैंने देखा तो मालूम हुआ कि उसमें कहीं भी कोई भी बड़े उद्योग या मध्यम श्रेणी का उद्योग इन जिलों में नहीं रखा गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पटेल स्टडी टीम की संस्तुतियों को पुनः देखे और इन जिलों के विकास की तरफ ध्यान दे। सरकार इन जिलों में बड़े उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को पनपाने के लिये, उनके विकास के लिये साधन जुटाने के लिये कच्चे माल की सुविधा देने के लिये तथा साथ ही विशेष साधनों के लिये जिन बातों पर पटेल आयोग में विवेचन किया गया है उसकी ओर अपना ध्यान दे। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इन पूर्वी जिलों में कोई भी ट्रांसपोर्ट का व्यापक साधन नहीं है जो गांव को पुल या सड़क के जरिये से जोड़ता हो। हेड क्वार्टर का गांवों के साथ पुल के जरिये से सम्बन्ध

नहीं है जिससे कि कच्चा और पक्का माल कुटीर उद्योगों के लिये शहर से आके या दूसरी जगह को जा सके । इन चार जिलों के विकास के लिये पटेल आयोग ने ट्रान्स्पोर्ट क विषय में अपनी राय व्यक्त की है । इसने गाजीपुर में पक्का पुल बनाने के लिये भी संस्तुति की है । जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं । वह अंग्रेजी में है जिसका मैं बाद को अनुवाद कर दूंगा:–

"The team is of the view that rail-*cum*-road bridge would go a great way in developing Industries and increasing the prosperity of the area, but in view of the considerable cost of this bridge and views expressed by the Railway Authorities, the team recommends only a road bridge."

टीम की राय यह है कि रेल एवं सड़क का संयुक्त पुल इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास एवं समृद्धि बढ़ाने के लिये अधिक सहायक सिद्ध होगा किन्तु इन पुलों पर निर्माण में अत्यधिक लागत तथा रेल अधिकारियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए केवल सड़कों के पुल की ही वह संस्तुति करती है ।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गाजीपुर जिला दो भागों में विभाजित है । गाजीपुर की जनसंख्या भी शहर के आसपास बहुत ज्यादा है । जिसका कारण यह है कि पहले समय में जबकि नदियों से व्यापार होता था गाजीपुर रीवर पोर्ट था । यहां से व्यापार प्रदेश के दूसरे हिस्सों को भी होता था । जनसंख्या का घनत्व भी गाजीपुर के आसपास बहुत हो गया है । गाजीपुर तथा गाजीपुर से सम्बन्धित जौनपुर, देवरिया और आजमगढ़ के विकास होने को बहुत ही आवश्यकता है और पटेल आयोग ने इस बात के लिये सिफारिश की है कि इन जिलों को जोड़ने के लिये एक पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता है । इस पुल के निर्माण होने से ५० मील का फासला जो बनारस या शाहगंज से पड़ता है वह कम हो जायगा और दूरी कम होने से जनता को बहुत सा लाभ होगा । यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथ में है, राज्य मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से हमारी शिफारिश करें कि वह गाजीपुर में पक्के पुल का निर्माण करायें और यदि उन के पास साधन की कमी हो तो उस पर टोल टैक्स लगा दें और ऐसी आशा है कि ७–८ साल में ही वह लागत का पैसा टोल टैक्स से वसूल हो जायगा और सरकारी खजाने में चला जायगा ।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को तो अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार ही कर लिया है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह प्रदेश पिछड़ा क्यों रह गया ? मैं ऐसा समझता हूं कि यहां के जो पूर्व के मुख्य मन्त्री थे, विशेष रूप से श्रद्धेय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी और गुप्ता जी जोकि अधिक अवधि तक यहां मुख्य मंत्री रहे, उन दोनों की देश के प्रधान मन्त्री से व्यक्तिगत रूप से और राजनैतिक दृष्टि से शायद कुछ तालमेल कम रहता था । ये लोग अपने स्वाभिमान के कारण प्रधानमन्त्री के सामने झुकना पसन्द नहीं करते थे जिसके कारण केन्द्र से प्रदेश को जो सहायता मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिलती रही । ये दोनों लोग इतने कड़े थे कि झुक नहीं सकते थे ।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज के वर्तमान मुख्य मन्त्री भी इतने कमजोर है और इतना झुक गये है कि वह अपनी बातों के लिये प्रधान मंत्री के सामने खड़े नहीं हो सकते और इस नाते इस प्रदेश को केन्द्र से जो मदद भूत में मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली और आगे मिलती नहीं दिखाई देती । ऐसे मुख्य मंत्रियों का रहना यहां के पिछड़ेपन के अनेक कारणों में से एक कारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

यह भी है । इस प्रदेश की हर मामले में जिस तरह से केन्द्रीय सरकार ने उपेक्षा की है उस का प्रमाण यह है कि सारे देश में जितना धन उद्योग में लगा उसका केवल ६ प्रतिशत ही इस प्रदेश में लगा है । एक दूसरी बात की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि बैंक खाते में जो सारे देश का है, उस में उत्तर प्रदेश का हिस्सा ८ प्रतिशत जमा है लेकिन बैंक ने हमारे प्रदेश को केवल ४ प्रतिशत उद्योग ऋण दिया है । यह हमारे प्रदेश के प्रति ज्यादती नहीं तो और क्या है ? उद्योगों के लिये बिजली की आवश्यकता है, पावर की जरूरत है लेकिन आप देखें कि उत्तर प्रदेश में आणविक केन्द्र की स्थापना की जो बात चल रही थी वह अभी तक स्थापित नहीं किया गया । पूर्वी जिलों में और विशेषकर बनारस में केन्द्रीय सरकार ने ट्रैक्टर फैक्टरी लगाने की योजना बनाई थी लेकिन उसको भी वहां से समाप्त कर दिया गया । इस तरह के बहुत कारण हैं और उनको हमारे मित्र श्री जयराम वर्मा ने प्रस्तुत किया है । प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये जहां केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है, जहां केन्द्र के द्वारा यहां उद्योगों को लगाने की आवश्यकता है, जहां यहां बिजली की आवश्यकता है वहां साथ ही रा-मेटीरियल की भी जरूरत है । यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करें कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमें कच्चा माल कितना प्रतिशत मिल रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए गति लाने में जितने कच्चे मेटीरियल की जरूरत है, हम को है, वह केन्द्रीय सरकार दे रही है ? यदि नहीं दे रही है तो यह इस प्रदेश के साथ अन्याय कर रही है और इसके विरुद्ध हमें संघर्ष करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि यह बड़ी आसान बात नहीं है और मुख्य मंत्री और सम्बन्धित मंत्री अपने विभाग को थोड़ा बहुत सुधार करके इसमें गति ला सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास लाने के लिए पूरे सदन की जिम्मेदारी है वे चाहे किसी भी पक्ष के हों। अगर वे आगे आकर केन्द्रीय सरकार से संघर्ष नहीं करेंगे और उनसे अपनी मांग को नहीं मनवायेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता चुप नहीं बैठेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता तो चुप रहेगी ही नहीं । पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला बहुत ही गम्भीर है और जिस प्रकार से इस प्रदेश के साथ केन्द्रीय सरकार ने अन्याय किया है उसी प्रकार से प्रदेश की सरकार पूर्वी इलाके के साथ अन्याय कर रही है । सदन में बड़ी-बड़ी घोषणायें की जाती हैं लेकिन उनका पालन नहीं हुआ करता है जैसे सेल्स टैक्स को ही ले लें ३ कहा गया कि हम सेल्स टैक्स में छूट देंगे, आक्ट्राय में छूट देगें, रा-मैटीरियल देने की भी बात कही गयी । यहां पर यह भी कहा गया कि जो नयी फैक्टरीज लगायेंगे, उनको पहले 3 वर्ष में सेल्स टैक्स की छूट देगें, आक्ट्राय में छूट देगें लेकिन व्यावहारिक रूप में क्या उन्हें ये छूट मिल पाती हैं । तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यह कमजोरी कहां पर है और उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं ।

आज जो हमारे विभाग की गति है वह बहुत ही अजीबोगरीब है । मुझे बड़ी तकलीफ है कि जो प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ हो जिस प्रदेश में इतनी बेकारी हो, इतनी भुखमरी हो, उस प्रदेश के अधिकारी और शासन में रहने वाले मंत्री किस प्रकार से आराम की नींद सोते हैं, किस प्रकार से अपने कागज को बढ़ाकर लाल फीतेशाही में डाल कर रखते हैं । शासन तो एक गर्भवती महिला के समान है जो बच्चे को अपने पेट में रखें है और उसके जीवन के लिए अपने ऊपर नियंत्रण लगाती है कि मैं फलां-फलां चीज नहीं खाऊंगी और फलां-फलां खाऊंगी । उसके जीवन और रक्षा के लिए अपने ऊपर नियंत्रण लगाती है । उसी प्रकार से बच्चे के बाहर आने पर वह अपने रक्त को दूध में परिवर्तित करके और उसे पिलाकर बड़ा करती है तो क्या हमारे मंत्री जो इसी प्रकार का आश्वासन देगें ? क्या यह सही नहीं है कि हमारे मंत्रीगण आज मोटे हो रहे हैं और जनता कमजोर हो रही है ? क्या विभाग के अधिकारियों की पूंजी अधिक नहीं होती जा रही है, क्या उनकी सम्पत्ति नहीं बढ़ रही है, क्या उनके बच्चे अच्छी-अच्छी पोस्ट्स पर नहीं जा र हे हैं ? लेकिन इस प्रदेश में जितना बढ़ना चाहिए उतना उद्योग में नहीं बढ़ रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमारे अधिकारियों और मंत्रियों ने इस पर कभी विचार

किया ? जब पूर्वी बंगाल से इतने बड़े-बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश की ओर भाग कर आये तो कितनों को हम अपने यहां पर रोक पाये, वे आगे क्यों बढ़ गये, क्यों उन्होंने राजस्थान में जाकर फैक्टरीज लगा दीं ? क्या ऋण देने में हम प्रत्येक उद्योगपति को रुला नहीं देते हैं, क्या उन्हें ज्यादातर झंझोर नहीं देते हैं जिसके कारण वे यह सोच कर कि यह काम बहुत कठिन है दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं ।

रजिस्ट्रेशन की बात तो हमारे मंत्री महोदय ने कही । वह थोड़ी बहुत तो ठीक हो पायी जब से यह कार्य रीजनल कार्यालयों को दे दिया गया है, लेकिन रा-मैटिरियल के लिए क्या करें ? अनेक बार इसी सदन में इस पर विचार हुआ कि रा-मैटिरियल का-डिवीजनल आफिस को अधिकार दिए जायं ।

(इस समय ४ बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

डिवीजन के अन्दर स्टोर किया जाय । उत्तर प्रदेश के जितने भी डिवीजन हैं उनको आनुपातिक रूप से मैटीरियल भेज दिया जाय । क्या वजह है वह कानपुर के अन्दर ही स्टोर होता है । क्या वजह है अधिकारी उसको विकेन्द्रित नहीं करना चाहते । क्या वजह है मंत्री उधर ध्यान नहीं देते । क्या उस सोने की चिड़िया से उतना मोह नहीं है ? यदि मोह है तो उसको छोड़ो । छोड़ना पड़ेगा । जब तक हम रा-मैटीरियल को प्रत्येक डिवीजन के अन्दर उसके प्रतिशत के अनुसार नहीं भेजेंगे सोने की चिड़िया को कानपुर के अन्दर बन्द रखेंगे और स्वयं कहेंगे ८० मील, ४० मील के अन्दर ले आयेंगे, उससे उत्तर प्रदेश के उद्योग धन्धे पनप नहीं सकते । आवश्यकता इस बात की है कि रा-मैटीरियल को डिवीजनल कार्यालयों में उनके प्रतिशत के अनुसार बटवारा किया जाय और वहां से रा-मेटीरियल दिया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पन्द्रह जिलों, बुन्देलखंड के चार जिलों, और पहाड़ी ८ जिलों की जो दुर्दशा है उद्योग के बारे में उसे आप देखें तो कहीं अपवाद स्वरूप कोई फैक्टरी दिखाई देगी । यह क्या वजह है कि यहां फैक्टरियों का जाल नहीं है । यहां फैक्टरियां पनप नहीं पाई । आप देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश को जहां नई फैक्टरियां नहीं लगने पाई वहां तो पुराने धन्धों की भी उपेक्षा हुई है । मैं उधर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा । जो उद्योग पूर्व से चल रहे हैं जिसमें लाखों लोग लगे हुए हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिये । बनारस के अन्दर कलाबत्तु का धन्धा था जिसके अन्दर लाखों परिवार काम कर रहे थे उनको सोने की रंगाई के काम का लाइसेन्स न दे करके सूरत में कुछ केमिकल्स प्रयोग में लाये जाते हैं । राज्य सरकार को इसका पता लगाना चाहिये । बनारस के कलाबत्तू उद्योग धन्धे में लाखों लोग बेकार हो गये हैं । वे मारे गये हैं । जो उद्योग हमारे थे उनको बचाना चाहिये । उनको बचाना हमारा कर्तव्य है और नये उद्योगों को लगाना चाहिये ।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा । सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र की बात है । हमारे बन्धु आज कल सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं लेकिन आप देखें । सन् १९६६-६७ में केवल सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में५५३.०३ करोड़ रुपये लगाये गये और उसका परिणाम यह निकला कि कुल घाटा १४.४८ करोड़ रुपये हुआ । मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र में इतना घाटा होता है तो हम दूसरे क्षेत्रों में प्राइवेट क्षेत्रों को क्यों नहीं प्रोत्साहन देते । हमें तुलनात्मक दृष्टि से सामन्यवादी दृष्टिकोण लेकर चलना होगा । हमको प्राइवेट क्षेत्रों को सहयोग देना होगा और सार्वजनिक क्षेत्रों में भी जहां चालू फैक्टरियां हैं वहां भी कुछ काम करना होगा । आखिर हमारी सीमेन्ट फैक्टरी है । वह प्राफिट पर क्य चल रही है । सीमेन्ट के बोरे भी अगर हम : स उत्तर प्रदेश में नो प्राफिट––नो लास बेसिस पर दें तो उत्तर प्रदेश की जनता, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम हो रहा है, इसकी प्रशंसा करेगी ।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

सरकार से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जिन चीजों का उत्पादन हम कर पा रहे हैं उनमें से कुछ वस्तुओं को नो प्राफिट---नो लास बेसिस पर सस्ते मूल्य पर जनता को दें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी वर्ष ६८ में चालू फैक्टरी २९६१ थीं । ये सन् ६० से ३६० बढ़ीं । आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल ३६० फैक्टरियां बढ़ीं । यह हमारी प्रगति का स्वरूप है । मैं एक बात बताऊं अभी गत वर्ष केन्द्रीय शासन ने लाइसेंस देने के लिये लोगों से आवेदन पत्र मांगे । लाइसेंन्स लेने के लिये सम्पूर्ण देश से 3500 आवेदन पत्र गये । जिसमें उत्तर प्रदेश से केवल १२० आए । यह क्या बताता है ? यह इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई । धन की कमी है, सड़कों की कमी है, बिजली की कमी है, उसको दूर करना पड़ेगा और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए रियायती दर पर जमीन भवन निर्माण के लिए और कच्चे माल का प्रबन्ध करना पड़ेगा । इसके अलावा कम रेट पर बिजली देनी पड़ेगी और कर्जे भी कम रेट पर देने पड़ेंगे । जब पूरी मशीनरी के लोग, चाहे मंत्री हों और चाहे अधिकारी हों, सब एक भावना से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे तब औद्योगिक विकास हो पाएगा । जहां इन सब चीजों की आवश्यकता है वहां औद्योगिक शान्ति की भी आवश्यकता है और उसके लिए दोनों पक्षों के लिए उचित न्यायसंगत कानून बनाने की आवश्यकता है, कानून में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है । उधर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

श्री सुखलाल कोरी (जिला इटावा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अपने विचार प्रकट करने का मुझे अवसर दिया । मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, प्रदेश में कृषि के बाद दूसरा नम्बर जो उद्योग है उनमें सबसे बड़ा उद्योग हथकर्घे का है । इस प्रदेश के काफी लोग इसमें लगे हैं । सरकार ने बुनकरों की दशा सुधारने के लिये हथकर्घा समितियों के लिए १ लाख ९६ हजार रुपया रखा है जिससे शक्ति चालक हथकर्घे उद्योग चलेंगे । १० हजार ३०० करघे इससे लग सकेंगे और जो कपड़ा इससे बनेगा वह ३००० लाख मीटर कपड़े का उत्पादन होगा, जिसमें १० हजार आदमियों को रोजगार मिलेगा । मान्यवर, मैं सरकार का बहुत आभारी हूं कि इस योजना को रखा है ।

मान्यवर, हथकर्घा की संख्या हमारे यहां २ लाख ८८ हजार ४३१ है, जिसमें ११ लाख आदमी काम करते हैं । बुनकरों की संख्या हमारे यहां कम से कम ३० लाख की है । करीब करीब २० लाख आदमी ऐसे है जिनको अभी तक कोई उद्योग धंधा नहीं मिला है ।

मान्यवर, इटावा जिले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे जिले में सन् १९५० में ४० बुनकर सोसायटियां बनायी गयीं, जो रजिस्टर की गयीं ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं । जो इधर से लिस्ट गयी है क्या उसके मुताबिक बोलने का मौका देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

लिस्ट तो केवल हमारे लिए संकेत मात्र है । जो माननीय सदस्य खड़े होते हैं और जिन पर नजर पड़ती है उनको मैं बुलाता हूं । आप खड़ नहीं हुए ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

मैं तो शुरू से खड़ा हो रहा हूं। मैं आज कहीं गया ही नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसे खड़े होने की बात नहीं होती है। जब मैंने देखा तब आप खड़े नहीं थे।

श्री सुखलाल कोरी—

श्रीमन्, इटावा जिले में सन् १९५० में ४० बुनकर सोसायटियां रजिस्टर की गयी थीं। शेयर का हिस्सा जमा हुआ था। पहले रिबेट दिया जाता था लेकिन सन् १९६५ के बाद से रिबेट नहीं दिया जा रहा है और पहले ऐसा और अनुदान दिया जाता था जिस से करघा खरीद सकते थे, वह भी सरकार ने बन्द कर दिया है हमारा यह सुझाव है कि पहले बुनकरों को जो सुविधायें मिलती थीं और हथकरघा खरीदने के लिये जो अनुदान दिया जाता था वह सब सहायता उसी तरह से दी जाये ताकि वे अपने काम को बढ़ा सकें।

एक बात मैं आपको वहां पर जो बुनकर हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सी बुनकर सोसायटीयां बेकार पड़ी है और बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने अपनी सोसाइटियां बना ली है जिनमें अनेक परिवार के आदमी जैसे भाई, भतीजे, और नौकर आदि रख लिये काम कर रहे हैं। वे सोसाइटियां रजिस्टर भी हो चुकी हैं और उन सोसाइटियों को रिबेट भी मिलता है। सेल टैक्स से बच जाते हैं। जो असली बुनकर है उनको तो सुविधा मिलती नहीं है बल्कि गैर बुनकरों को तरह–तरह की सुविधाए मिलती हैं। सन् १९६८ में पुरानी छूट ही से इटावा जिले में बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपनी सोसाइटियां हथ करघा बुनकर के नाम बना ली हैं। उनको मिले बुनकर जो लोग उनके यहां मजदूरी करते हैं उनको २ रु० १ रु० मजदूरी दे देते हैं। उनकी सोसाइटियां भी रजिस्टर हो गयीं सरकार का अनुदान भी मिल गया और रिबेट भी मिल गया सेल टैक्स से बच गये और इसके विपरीत जो असली बुनकर हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है और उनकी सोसाइटियां बेकार पड़ी हैं। उन बेचारों का कोई दूसरा धन्धा भी नहीं है, वे इसी काम पर निर्भर करते हैं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान औरइया की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर बुनकरों ने अपनी सोसाइटी बनायी। दूसरे बड़े-बड़े गैर बुनकर आदमी अपनी बुनकर सोसाइटियां बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी इस मांग को नहीं माना गया कि वे भी बुनकरों की सोसाइटी के सदस्य बन जायें। बुनकरों ने मना कर दिया कि दूसरी जात को वे अपनी सोसाइटी में नहीं रख सकते हैं। तो वहां पर पूंजीपतियों को सोसाइटी में शामिल नहीं किया रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकी है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो असली बुनकरों की सोसाइटियां हैं उन्हीं को आप मान्यता दें और उन्हीं को आपको रिबेट देना चाहिये।

इटावा में सहकारी कताई मिल की स्थापना सन् १९५२ में हुई २५,००० तकुवे थे कानपुर के रहने वाले एक-एक एजेन्सी लिये है। वे वहां के मिल मालिक बन जाते हैं और सारा माल खुद खरीद लेते हैं। बुनकर सोसाइटियों को बाजार के भाव पर खरीदना पड़ता है। बाजार भाव और मिल के भाव में ५ रु०–६ रु० का अन्तर पड़ता है। ४० लाख रुपया सोसाइटी का लगा हुआ है। उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है। वे लोग जो दूसरी जाति के सोसाइटीज बना लेते हैं और फायदा उठाते हैं। बुनकर सोसाइटियों को न्याय मिलना चाहिए। हर सोसाइटी को मिल से सूत मिलना चाहिये। एक सुझाव मेरा यह है कि मिल में २० नं० के सूत से लेकर ४० नम्बर का सूत बनाया जाता है। वहां पर ६ नम्बर से लेकर १० नम्बर तक सूत स्पिनिंग में और बनना चाहिये। जो लोग देहात के आदमी है वे मोटा कपड़ा

[श्री सुखलाल कौरी]

खरीदते हैं। वह कपड़ा उनके काम आयेगा। आज कल एक बन्डल की कीमत ३० रु० होती है और कपड़ा २ रु० प्रति गज के हिसाब से पड़ता है। मिल के कपड़े पर दाम डेढ़ रुपया जाता है। इस हिसाब से बुनकरों का कपड़ा नहीं बिकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बुनकरों की ज्यादा से ज्यादा रिबेट मिलना चाहिए। जब १५ रु० का बन्डल बिकता था तब ४ आने की छूट मिलती है। जब बन्डल का भाव बढ़ गया है तब सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उनक दूना रिबेट मिलना चाहिए। बुनकर सोसाइटियों को ज्यादा से ज्यादा छूट मिलनी चाहिए।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि हमारे यहां रेशम उद्योग अजोतमल क्षेत्र में सहकारी समिति चल रही है। वहां सहायता मिलती है कीट पालक को लेकिन फायदा नहीं होता है। एक महीने में ३० रुपया का रेशम मिलता है उससे लोगों की गुजर बसर नहीं होती है। इन सोसाइटी के लिये भी रिबेट देना चाहिये जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यहां अधिकतर बुनकर देहात में रहते हैं उनको मोटा से मोटा ६ नम्बर का सूत दिया जाय लेकिन सस्ते दाम पर हो। आजकाल ३० रु० और ४० रु० के ६ नम्बर सूत का रेट पर कोई खरीद नहीं पाता है। नतीजा यह होता है कि बुनकर गावों में मजदूरी करते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको सस्ते दाम पर सूत दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया समय बढ़ा दिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

विषय महत्व का है और इस बात पर विवाद के लिये अधिक समय चाहिये इसलिये समय बढ़ा दिया जाय। मन्त्री जी भी तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष---

साढ़े ५ बजे यहां एक संसदीय संस्थान की बैठक है।

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)---

यहां पर बोलने का मौका नहीं मिलता है इसलिये समय बढ़ा दिया जाय। मैं तथ्य रखना चाहता हूं। नद्योग को नैगलेट नहीं किया जा सकता है। हम वाद-विवाद करना चाहते हैं। एक घंटा समय बढ़ाया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप सोच लें। अपना भाषण जारी रक्खें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जब मंत्री जी भी राजी हैं तो समय बढ़ा दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय---

संसदीय संस्थान का निमन्त्रण हमको नहीं मिला है इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है।

श्री मदन मोहन मिश्र---

उपाध्यक्ष जी, समय बढ़ा दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

केवल मंत्री के तैयार होने की बात नहीं है, सदन का फैसला है। समय नढ़ाने से पहले कोई दूसरा कार्यक्रम तो नहीं है यह देखना पड़ता है।

*श्री शिवदाश (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्षजी, प्रदेश में औद्योगीकरण जितनी तेजी से होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि इस सरकार की कोई भी औद्योगीकरण की नीति नहीं है। यह सरकार राष्ट्रीयकरण का भूत खड़ा करती है लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है। यह हौआ खड़ा कर सौदा पटा रही है और राष्ट्रीयकरण को वास्तव में नहीं करना चाहती है। मान्यवर, इस प्रदेश में ब्लैक मनी का बोलबाला है। आप यदि गौर से देखें तो मैं यह कहता हूं कि जो भी कार्य हो रहे हैं, ब्लैक मनी तथा मोनोपली के कारण बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी, चोर बाजारी दिन दिन बढ़ती जा रही है। जो भी एकाधिकार वाले बड़े उद्योगपति हैं उनको कच्चा माल सस्ता मिल जाता है, उनको बिजली सस्ती मिल जाती है और दूसरी सारी सुविधाएं सस्ती मिल जाती हैं। जितने अधिकारी हैं वे इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के ब्लैक मनी पर बिके हुए हैं। यदि आप गौर से देखें तो सारा उद्योग विभाग आज ब्लैक मनी पर बिका हुआ है।

मान्यवर, आप देखें कि बिड़ला साहब को सारी सुविधाएं मिल जाती है जो कि दूसरी फैक्टरी वालों को नहीं मिल पाती। बिड़ला साहब को दो नये पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी जाती है। दूसरे लोगों को क्यों नहीं दी जाती। इसका एकमात्र कारण यही है कि यह सरकार और अधिकारी बिड़ला के पैसे पर बिके हुए हैं। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। बनारस में एक जय इंडस्ट्री है। उसकी मालिक चन्द्रा देवी त्रिपाठी हैं जो कि बनारस में नगरवधु के नामसे प्रसिद्ध है। वह फर्जी फैक्ट्री है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बिड़ला साहब से 14 टन हर महीने एल्मूमिनियम मिलता है। म उद्योग विभाग से कहना चाहता हूं कि क्या उनके अन्दर हिम्मत है कि उस फैक्ट्री की जांच करायें। मंत्री जी ने कहा कि जो भी खराबी होगी उसे वह झाड़ू से साफ कर देंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जय फैक्ट्री जिसकी मालिक चन्द्रा देवी त्रिपाठी हैं उसकी जांच करवायें।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर में अपार खनिज संपदा है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। वहां बहुत से छोटे छोटे उद्योग धन्धे हो सकते है। चूने का रोगजार हो सकता है। सन् 1958 में नेशनल बिल्डिंग आफअर्गेनाइजेशन ने यह रिपोर्ट दी थी कि मिर्जापुर में चुने का उद्योग हो सकता है लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चना उद्योग मिर्जापुर मे अच्छे ढंग से हो सकता है, इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। चूने का पत्थर बहार, दुर्गापुर और टाटा स्टील को देते हैं लेकिन मिर्जापुर में काम करने की बात नहीं सोंचते। मिर्जापुर में संगमरमर की उपयोगिता हो सकती है। सन् 1950 में जूलोजिकल सर्वे आफ इंडिया ने यह रिपोर्ट दी थी कि मिर्जापुर में बहु त अच्छा संगमरमर पाया जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश क जूलोजिकल विभाग के लोग संगमरमर के और चूने के पत्थर में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। संगमरमर का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में करते हैं जिसका कि इस्तेमाल अच्छी बिल्डिंग और मूर्तियां बनाने में करना चाहिये था। इस तरह से संगमरमर का भी सदुपयोग न होकर दुरुपयोग हो रहा है। इस की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि तीन साल से उत्पादन में निरन्तर घाटा हो रहा है। मंत्री जी इसकी अच्छी तरह से जांच करें कि क्यों हो रहा है। चुर्क सीमेंट फक्टरी का उत्पादन घट रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवदास]

है, इसका मुख्य कारण है वहां के अधिकारियों की लापरवाही और नीयत की खामी। जिस सीमेंट फैक्टरी में लाखों रुपये का गबन केवल बोरियों में हो तो वहां कसे आशा की जा सकती है कि उत्पादन बढ़ेगा। लाखों रुपये का गबन केवल बोरियों में ही है। वहां जो काम ठेके पर दिया जाता है उसमें भी बहुत गोलमाल है। जिसका काम पहले का खत्म भी नहीं होने पाता उसको दूसरा ठेका दे दिया जाता है। अभी जिसका ३ माह का काम ठेके का बाकी था उसी को दूसरा ठेका दे दिया गया। वह काम भी गलत तरीके से कर रहा था।

वहां १७ डम्पर हैं जो एक करोड़ की लागत के हैं जिनकी मान्यवर कोई उपयोगिता ही नहीं है। हर जगह बड़ा गोलमाल हो रहा है। इस चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी का उत्पादन दिनोदिन गिरता जा रहा है। इसके अलावा उस फैक्टरी में उन्हीं लोगों को काम दिया जाता है जो राजस्थान के हैं, मिर्जापुर के लोगों को काम नहीं दिया जाता। अगर वहां के कर्मचारियों की लिस्ट आप देखें तो पता चलेगा कि वहां जितने काम करने वाले हैं उनमें मिर्जापुर का कोई भी नहीं है। आप ऐसा प्रतिबन्ध लगायें कि पूर्वी जिलों में जो भी फैक्टरी कायम होगी उनमें पूर्वी जिलों के लोगों को ही काम देने में प्राथमिकता दी जायेगी चुनार में मिट्टी के बरतनों का जो उद्योग है उसकी ओर भी मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये। वहां अगर कुछ भट्ठियां और बढ़ा दी जायं तो उस उद्योग को बड़ा लाभ हो सकता है। साथ ही साथ कोयले की जो चोरी होती है उसको रोकने के लिये भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। उसके चारों ओर चहार दीवारी बनाना चाहिये। कोयले पर काफी डेमरेज भी देना पड़ता है। अगर वहां रेलवे लाइन को थोड़ा-सा और बढा दिया जाय तो बड़ा फायदा हो सकता है।

देवरिया जिले में आजादी के बाद से आज तक कोई नयी फैक्टरी नहीं लगी जब कि पटेल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वहां कागज का कारखाना कायम करने के लिये सिफारिश की थी। मंत्री जी को वहां कागज का कारखाना कायम करना चाहिये। अंत में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका लोन देने का जो तरीका है वह बड़ा ही वाहियात है। आज गरीब आदमी और छोटे उद्योग लगाने वाले को लोन मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और अगर लोन मिलता भी है तो उसका अधिकांश हिस्सा अधिकारियों को खिलाना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि आप कृपया अपनी झाड़ू को उठावें और पहले चन्द्रावती को साफ करें, जो फर्जी फर्म्स हैं उनको साफ करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वर्षों से इसी बात पर जोर दिया जाता रहा है कि यदि उद्योग हमारे प्रदेश में बढ़ेंगे तो उससे हमारे प्रदेश की गरीबी मिटेगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी प्लानिंग हर दृष्टिकोण से कमजोर रही है, कोआर्डिनेटेड नहीं रही है। यदि आप हर जगह समानता लाना चाहते हैं। गरीबी मिटाने के लिये, तो आपको हर क्षेत्र में समानता लानी होगी। लेकिन देखा यह जाता है कि एक उद्योगपति करोड़ों रुपया कमा रहा है, मगर एक किसान के लिये १० एकड़ की सीलिंग लाई जा रही है। शहरों में ५ लाख की सीलिंग होगी यह सब क्या है? यदि आप उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं तो जो भी उद्योग लगाना चाहता है उसको उसकी सुविधा प्रदान करनी चाहिये और बड़े उद्योग पब्लिक सेक्टर में होने चाहिए और ५ लाख से नीचे के जो उद्योग लगें, वे प्राइवेट हाथों में होना चाहिए। अगर वाकई में आप गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आपको उनको उद्योग के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। वर्मा जी ने कहा कि खेती में जो ऐसे लोग हैं जो खेती नहीं करते हैं उनको हट कर उद्योग में चले जाना चाहिये। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा

कि क्या यह उद्योगपति अपनी मिलों में बैठकर तेल–पानी डालते हैं, वह तो कलकत्ता, बम्बई के बड़े-बड़े नगरों में बैठकर एअर कंडीशन कमरों की हवा खाते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट में कोई कोआर्डिनेटेड स्कीम नहीं है। मैं देवरिया जिले का हूं, जिसने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। वहां पर उद्योगों का तो विकास कम हुआ है, लेकिन मंत्रियों का विकास देवरिया जिले में हमेशा ज्यादा रहा है। नतीजा यह है कि हमारे जिले में कोई उद्योग नहीं लगा है, कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा है।

एक पटेल आयोग बैठा था, उसने सिफारिश दी थी कि कागज का कारखाना पडरौना (देवरिया) में चलाया जा सकता है। वहां पर १४ चीनी मिलें हैं, लेकिन उसके औद्योगिक विकास की दृष्टि से आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। छोटे उद्योग भी वहां नहीं लगे। मैं यह कहूंगा कि पिछड़े इलाके के विकास की बातें तो सैकड़ों किस्म की होती हैं, लेकिन कोई औद्योगिक विकास देहातों का नहीं हुआ है। वह केवल शहरों में हुआ है। यदि यही स्थिति रही तो कुछ दिनों में देहातों के सारे पढ़े-लिखे और काम करने वाले लोग भाग कर शहरों में चले आयेंगे और देहात पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। इस दृष्टि से आपको पाबन्दी लगानी चाहिए कि जो उद्योग लगें, वे पिछड़े क्षेत्रों में लगें। ऐसे लोगों को उद्योग चलाने का अवसर दिया जाए, जिनकी मोनोपली न हो, नये लोगों को उद्योग दिए जाएं। आज भी बिड़ला और सिंहानियां ऐसे लोगों की इस क्षेत्र में मोनोपली है। इस तरह से कैपिटलिस्टों के विकास से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आप छोटे और नये लोगों की मदद करें तभी प्रदेश का विकास हो सकता है।

आपने हर जिले में इंडस्ट्रीज अफसर बिठा दिए हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे जो आर्गनाइजेशन्स हैं उनके पास कारें और जीपें हैं, लेकिन देवरिया के इंडस्ट्रीज अफसर के पास कोई गाड़ी नहीं है, जिससे उसको यदि कहीं जाकर देखना है तो उसको किसी उद्योगपति से पैसा या गाड़ी मांगकर ले जाना पड़ता है। यदि आप गरीबी मिटाना और समाजवाद लाना चाहते हैं, तो यह अवश्य करें। हमारे यहां गन्ने के इलाके की क्या हालत है? गरीब काश्तकार मारा जा रहा है आपका जो शुगरकेन रेगुलेशन ऐक्ट बना है, उससे मिल मालिक ही फायदा उठाते हैं। जो उसका सूद का पैसा है वह उसको नहीं मिलता है। वह कौन लेता है? डेवलपमेंट कौंसिल को न देकर काश्तकार को मिलना चाहिये। इस ऐक्ट में यह भी है कि मिलों का अकोपायर मिल मैनेजर भी हो सकता है। मिलमालिक बहुत ही होशियार होता है, वह अपने नौकर-चाकर, मैनेजर्स को जेल भेजवा देता है, लेकिन स्वयं आप नहीं फंसता है। इस पर मंत्री महोदय बड़ी गम्भीरता पूर्वक सोचें। एक्ट को संशोधित करें कि शायद वह अपने तौर तरीकों से हमारे इलाके में बढ़ावा दे पायें।

एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी का बनाया हुआ खादी बोर्ड है। उस ऐक्ट में लिखा है कि उसकी आडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायगी। मैं आपके माध्यम से पूछूंगा कि क्या उसकी आडिट रिपोर्ट आज तक सदन के पटल पर रखी गयी? लाखों रुपया गबन होता है। महात्मा गांधी का नाम बदनाम किया जाता है। मेरा सुझाव है कि खादी बोर्ड को आप खत्म करें। ३५ लाख रुपया लगभग ऐसी सोसाइटियों पर बकाया है जो सोसाइटियां हैं ही नहीं। आज भी लाखों रुपया दे रहे हैं। इस तरह से उद्योग विभाग की बढ़ोतरी नहीं कर सकते। कुछ जान पहचान वाले लोगों को ही फायदा होता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और कह दूं। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर उनको वाकई में औद्योगिक विकास करना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उधर आकर देखिये अपने अफसरों को। हर पिछड़े क्षेत्र में एक या दो उद्योग लगाने की कृपा करें तब लाभ हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके पहले कि नोमानी साहब बोलें मैं समझता हूं कि सदन कुछ समय बढ़ाना चाहता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं। प्रस्ताव आना चाहिये। माननीय मंत्री जी समय बढ़ाने का प्रस्ताव लाइये।

श्री देवकी नन्दन विभव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय आध घंटे बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। जैसा कि आपको भी यह बात मालूम है कि अब तक इस सदन के अन्दर जितनी भी मांगें प्रस्तुत हुई हैं उनमें से किसी पर भी मैं न बोल कर मैंने अपने हक को सुरक्षित रखा है उद्योग पर बोलने के लिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि मुझे बोलने के लिये थोड़ा ज्यादा समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

१५ मिनट।

श्री हबीबुर्रहमान---

कटौती का प्रस्ताव रखते हुए हमारे पार्टी के लीडर जयराम वर्मा जी ने ठीक ही कहा, ऐसा लगता है कि प्रदेश में सनत को आगे बढाने के लिये, किस मकसद के लिये सनत को आगे बढाया जाय, क्या पालिसी हो, ऐसा लगता है, इस बारे में कोई अपनी नीति सरकार बना नहीं सकती है। अपनी कोई लक्ष्य या मंजिल निर्धारित नहीं कर सकती है। यही वजह है कि जैसी प्रगति, तरक्की इस प्रदेश के अन्दर होनी चाहिये वह नहीं हो सकी है हालांकि अपनी जगह पर यह बात सही है कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो आजादी के वक्त हमारा प्रदेश मुल्क के अन्दर दूसरे नम्बर पर था, आमदनी, दौलत के हिसाब से। लेकिन जब 24 वर्ष गुजर चुके हैं अब जो प्रदेश पिछड़े हुए हैं नीचे से इसका दूसरा नबम्र है यानी यह सबसे पिछड़ा प्रदेश में सिर्फ एक प्रदेश इससे आगे है। इसका कारण यह है कि इस प्रदेश के अन्दर जो सनती तरक्की होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी और वह इसलिये नहीं हो सकी कि हम अपनी कोई नीति स्पष्ट नहीं कर सकें। अगर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इसकी गरीबी और बेकारी को दूर करना है तो एक ही रास्ता है कि जो छोटी सनअतें हैं उनको बढ़ावा दिया जाय, छाटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहित दिया जाय क्योंकि उनसे लोगों को जितना ज्यादा रोजगार मिलता है उतना बड़ी सनअतों से नहीं मिलता है। छोटी सनअतों का जिक्र आता है तो विभाग की तरफ से जो किताबें दी गयी हैं उनमें इस बात का एतबार किया गया है कि करघा उद्योग छोटी सनअतों में सबसे बड़ा उद्योग है। इसके जरिये प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अन्दर यह कहा गया है कि इसे प्रदेश के अन्दर २ लाख ८८ हजार कुछ सौ करघे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आंकड़े सही नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह जो कहा गया है कि इन करघों पर लगभग १९ लाख लोगों को काम मिलता है । तो ये आंकड़े भी सही नहीं हैं । अगर ठीक प्रकार से करघों का शुमार किया जाय तो मैं ऐसा समझता हूं कि करघों की तादाद साढ़े 3 लाख के ऊपर होगी । करघों के संबंध में ठीक आंकड़े न होने की वजह से इस प्रदेश का नुकसान हो रहा है । वह नुक्सान यह हुआ कि करघे उद्योग को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो सहायता मिलती है वह नहीं मिल पाती है । करघों की अगर ठीक संख्या रखी जाय तो वह सहायता ज्यादा मिले और यह सिर्फ इसलिये है कि उद्योग विभाग को जितनी दिलचस्पी इसमें होनी चाहिये थी वह नहीं है । इसका कारण कुछ भी हो हालांकि बहुत से साथी कहते हैं कि मदरास, आंध्र तथा बंगाल के अन्दर जो बुनकर हैं शायद उनसे हमारे प्रदेश के बुनकर कुछ अलग हैं । इस प्रदेश में बुनकरी का काम करने वालों की बड़ी तादाद अल्पसंख्यकों की है । इसलिये सरकार का जैसी तवज्जह देनी चाहिये वैसी तवज्जह वह नहीं देती बावजूद इस ऐलान के कि वह अकलियतों के हुकूक की हिफाजत की गारंटी देती है । इसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूं । गांधी पुर के जो सदस्य हैं उन्होंने इसकी चर्चा भी की थी पूर्वी जिलों की गरीबी दूर करने के लिये पटेल आयोग की नियुक्ति हुई थी । उसकी सिफारिश के अन्तर्गत चार जिलों के लिये करघे की सनत को आगे बढ़ाने के लिये सीधे १७ लाख रुपये की सिफारिश की गई थी और ३५ लाख रुपया इस सरकार के पास आया लेकिन दो साल तक उस रुपये को इस्तेमाल नहीं किया गया तो मियाद गुजर जाने के कारण वह रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस कर दिया गया । कह इस बात का सबूत है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को बुनकरों की हालत सुधारने के लिये जितनी दिलचस्पी होनी चाहिये थी वह उसको नहीं है ।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं । इस करघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये जब मुख्य मंत्री पं० पंत थे तो उन्होंने एक पालिसी बनाई थी जिसका इजहार उन्होंने किया था मोमिन कान्फ्रेंस में कि अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जरिये करघे उद्योग का काम तेजी से बढाना मकसद है तो उसको अच्छे ढंग पर ले चलने के लिये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो करने से मुताल्लिक है उसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा बुनकरों को काम करने का मौका दिया जाय उनको मुलाजिम रखा जाय ताकि उस इंडस्ट्री की जो समस्यायें हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं जो लोग उनसे मुताल्लिक रखते हैं उनका ठीक-ठीक अनुभव करके उनके साथ हमदर्दी के साथ उनको निपटाने की कोशिश करें । लेकिन पंत जी के चले जाने के बाद उत्तर प्रदेश के अन्दर जो भी मुख्य मंत्री आये हैं, उन्हें जो तवज्जह इनकी तरफ देनी चाहिये थी वह नहीं दी और वह हो सकता है कि समय के अभाव के कारण, या कोई और कारणों से दिलचस्पी न दी गई हो । इस संबंध में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता किन्तु करघा उद्योगों के संबंध में ही उनकी कठिनाइयों को आपके सामने रखना चाहता हूं ।

यदि आप देखें कि जिस सूत की कीमत पिछले साल ७५ और ८० रु० थी, जोकि ७ नम्बर का सूत होता है और जिसका वजह ५ के० जी० होता है, उसकी कीमत ९८ और ९९ रुपया हो गई है । २० रुपये से भी ज्यादे इसकी कीमत बढ़ गई है । कपड़ा जो इससे तैयार होता है उसकी कीमत नहीं बढ़ी है वह वही है । इसका नतीजा यह होता है कि बुनकर को जो सूत मिलता है और उससे जो कपड़ा वह तैयार करता है उससे उसकी मजदूरी भी नहीं मिल पाती है । पिछले पार्लियामेंट के दरमियान मुझे मेरठ के एक कस्बे में जाने का इत्तिफाक हुआ । मैंने वहां पर बुनकरों से इसकी जानकारी चाही तो उन्होंने मुझे बताया कि सूत का दाम इतना महंगा हो गया है । मैंने यह भी देखा कि जितने भी बुनकर वहां पर कार्य कर रहे थे किसी बुनकर का भी ऐसा कपड़ा नहीं था जिसके ऊपर पैबन्द न लगी हो । मैंने पूछा कि इसका क्या कारण है तो उन्होंने बताया कि इसमें

[श्री हबीबुर्रहमान]

१०० करघे चलते हैं किन्तु सूत मंहगा होने के कारण केवल ५ करघे ही चल रहे हैं और ९५ प्रतिशत करघे ठप्प पड़े हुये हैं । बाकी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुये हैं ।

मैं विभाग के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरठ जिले के इन बुनकरों की समस्याओं की ओर भी आपका ध्यान गया ? क्या आपने कभी उनकी मुसीबतों को समझा? क्या विभाग ने सूत के दाम कम करने की कोशिश की ? क्या आपने कभी यह सोचा कि इन दामों के बढ़ने से उनकी आमदनी पर क्या असर पड़ा । मैं समझता हूं कि इस चीज पर आपकी कोई तवज्जह नहीं गई है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कपड़ा वह तैयार करता है उसके लिये उसे सूत कैश में खरीदना पड़ता है और आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि जिस सूत का भाव ९९ रु० होगा वह करघे तक पहुंचते-पहुंचते ११६ रु० और ११७ रु० तक पड़ता है । यानी १७ और १८ रुपये तक का मुनाफा लिया जाता है । जो बीच में दलाल होते हैं वे इस मुनाफे को लेते हैं और सूत में भी गड़बड़ी कर देते हैं । जब सूत महंगा होता है तो बुनकरों को ऊपर से भी सूत लेना पड़ता है । तो इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे भी सन् १९५५-५६ में बंगाल के मंगलाहार मार्केट में जाने का मौका मिला जहां पर कि करोड़ों और लाखों रुपया का माल वहां पर बिक्री के लिये आता है और उत्तर प्रदेश के शहरों से जैसे बनारस से साड़ियां वगैरह जाती थीं और सारा मार्केट यहां के कपड़े से भरा रहता था । किन्तु १० साल के बाद मुझे फिर वहां पर जाने का इत्तिफाक हुआ तो मैंने देखा कि वहां पर सारा मद्रास ही छाया हुआ है और उत्तर प्रदेश का कपड़ा दब गया है। और इस तरफ जैसी तवज्जह होनी चाहिये वैसी नहीं हो रही है। आप करघे की सनअत को बढ़ावा देने के लिये, इस बात के लिये कि बुनकर का कपड़ा सस्ते दामों पर बिक सके, उसके अन्दर उसको मजदूरी मिल सके मुझे मालूम है कि आप कुछ रिबेट देते हैं । यह रिबेट कितने लोगों के पास पहुंचता है, कितनी सही सोसाइटियां काम करती हैं और कितनी बोगस हैं जो इससे फायदा उठाती हैं उस पर कभी आपने गौर नहीं किया ।

मुझे याद है कि ५ महीने के अन्दर आपने ६७,००० रुपया दिया था । उसमें से ५० फीसदी बोगस हिसाब-किताब पर दिया गया था और गलत लोगों को गलत तरीके से पहुंच गया । जो भी आपकी स्कीमें हैं वह सही हैं अगर उनपर सही तरीकों से अमलदरामद हो । जिस मशीनरी के जरिये से उसका इस्तेमाल होता है, जो देखभाल करती है वह अगर ईमानदारी से काम करें तो मैं समझता हूं कि सब ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है । इन चीजों की तरफ तवज्जह करनी होगी । आज से ७ बरस पहले ६५-६६ के अन्दर भाटिया जी कानपुर से मऊनाथ भंजन में गये हुये थे । उस जमाने में कपड़े के दाम २ महीने के बाद मिलते थे, बिक्री के बाद । उन्होंने यह स्कीम रखी कि डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी जो है वह माल खरीदे और खरीद कर आढ़तियों को या व्यापारियों को बेचे और वह उसके दाम १५ दिन के अन्दर पेमेंट कर दें । बड़े अच्छे ढंग से अमल हो रहा था और डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी ने कहा कि हम उनसे कमीशन नहीं लेंगे बल्कि जो ५० हजार तक का माल खरीदेंगे उनको एक फीसदी कमीशन मिलेगा, जो एक लाख से ऊपर का माल खरीदेंगे उनको २ फीसदी और जो २ लाख से ऊपर का माल खरीदेंगे उसे ३ फीसदी कमीशन देंगे। उससे सोसाइटी को ज्यादा फायदा होता रहा, लेकिन वहां के पूंजीपतियों ने तिकड़म किया और तिकड़म करके डाक्टर सम्पूर्णानन्द जो उस वक्त मुख्य मंत्री थे उनसे यह कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी के अन्दर बड़ा जाल-झट्टा हो रहा है । कमेटी बैठी, उसने छान-बीन की । छान-बीन करने के बाद

उसने यह रिपोर्ट दी कि कोई गड़बड़ी नहीं है, जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है, गलत रिबेट नहीं लिया गया है ।

लेकिन माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, बहुत सी पार्टियां फेल हुई, लाखों रुपया कोआपरेटिव सोसाइटी का फंस गया । लेकिन जो रिबेट डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया जाना था आज भी एक लाख रुपया उसमें बाकी पड़ा है । मुझे मालूम है कि इस सिलसिले में इसके पहले दरख्वास्त भी पड़ी थी और नीचे से रिपोर्ट लिख कर आ गयी है कि सोसाइटी को रिबेट मिलना चाहिये । लेकिन डिस्ट्रिक्ट हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी के लोग कानपुर पहुंचा करें ये वहां के लोग शायद नहीं कर सकते थे, जिसकी ओर जयराम वर्मा जी ने कहा था । तो १९६९-७०, १९७०—७१ के अन्दर जो रुपया रखा गया था रिबेट के लिये उसमें से लाखों रुपया बच गया लेकिन उसने जो कमीशन अदा किया है उसका रिबेट आजतक नहीं दिया गया । आज भी दरख्वास्त पहुंची हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि इसको देखें और मंत्री जी से इस्तदुआ करूंगा कि आप मऊनाथ भंजन आयें और देखें इन चीजों को । तो व्यापारियों की तिकड़म से, भाटिया जी ने जो काम किया था, जिसके जरिये से सोसाइटियों को फायदा पहुंच रहा था वह बन्द हो गया । नतीजा यह होगा कि वहां के मार्केट के अन्दर जहां दो महीने के बाद दाम मिल जाते थे अब ६ महीने के बाद, ७ महीने के बाद दाम मिलता है और डूब भी जाता है। मैं दो मिनट और चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है। माननीय संसदीय कार्यवाही मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है वह तो समय बढ़ाने के लिये है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

विवाद पर समय बढ़ाने का समय है ।(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि बुनकरों के पैसे से और बुनकरों के नाम से इटावा जिले में एक मिल कायम की गई जिसका मकसद था सूत वहां से सस्ते दरों पर बुनकरों को दिया जायेगा । हमारे मंत्री जी ने कहा कि हमने प्राविजन किया है कि जो सूत सोसाइटियां खरीदेंगी उनकी फी बेल पर २० रुपये कटौती दी जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि इटावा में जो बुनकरों के नाम पर, बुनकरों के पैसे से मिल बनी है उसमें इनको कितना रिबेट दिया जाता है । क्या यह हकीकत नहीं है कि यह मिल बुनकरों के लिये बनाई गई है लेकिन उससे एक आदमी फायदा उठा रहा है और जैसा कि हमारे वर्मा जी ने कहा कि मुझे पता चला है कि वह सोल एजेंट तिकड़म कर रहा है कि दस आदमी जो गवनमेंट नामिनेट करने वाली है उसमें ८ आदमी उसके नामिनेट हो जांय जिससे वह और आगे फायदा उठाता रहे और नफा कमा सके । इसी तरह से मऊनाथ भंजन में एक स्वदेशी काटन मिल है । यह सोचा गया कि खर्चा बहुत पड़ता है । इसलिये एक मिल बनाई जाय । लेकिन वहां पर बुनकरों को माल नहीं दिया जाता है बल्कि कलकत्ता के एजेंट को माल दिया जाता है । यह बात कहते हुये मैं कटौती के प्रस्ताव की ताईद करता हूं ।

*श्री मदनमोहन मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर विचार रखने का अवसर दिया। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल की स्थिति कई वर्षों से लगातार खराब होती चली जा रही है और वह स्थिति दिन प्रति दिन खराबी की ओर बढ़ती चली जा रही है। इसका नतीजा यह है कि वहां के उद्योगपति अपने उद्योग को समेट कर देश के दूसरे हिस्से में लगा रहे हैं। मैंने पहले भी इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया है कि वहां की सरकार को चाहिये कि उनको आकर्षक शर्तें देकर अपने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये कोशिश की जाय। पहले अपने यहां उद्योग लगवाओ फिर पूंजीवाद और समाजवाद का मामला तय हो जायेगा। हम पहले उनकी रकम लगवायें, मशीन मंगवायें, कारखाने खुलवायें। इसके बाद तय हो जायेगा कि किस का उद्योग है। इसलिये मैं इस झगड़े में न पड़कर प्रार्थना करता हूं कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाये जांय। आप ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को सहायता दें, उनको सुविधा दें और कारखाने लगायें। इस प्रदेश में गाजियाबाद, कानपुर, इलाहाबाद और एक आधा इंडस्ट्रीज गोरखपुर में है।

एक छोटी मोटी मऊ, आजमगढ़ में है। ५-६ जिले केवल यू० पी० में हैं और अरबों रुपया इन्डस्ट्री में लगा हुआ है, ४९-५० जिलों की बराबर उपेक्षा की जा रही है और निरन्तर २५ वर्षों से सौतेला व्यवहार करते हुए सरकारों को हो गये। अब जो इन्दिरा गांधी ने समाजवाद का नारा दिया है अगर उसको साकार रूप नहीं दिया जाता और साकार रूप देने में ईमानदारी नहीं बरती जाती तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो पिछड़े हुए जिले हैं वहां की जनता जिस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में, ताल्लुकेदार, जमींदारों के जमाने में पीसी जाती थी, उसी प्रकार से पिस्ती रही, उसी प्रकार से उसकी उपेक्षा होती रही तो आपकी यह समाजवाद की बात करना बिलकुल बेकार हो जायगा। जब आपने विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाया है तो तमाम चीजों के विकेन्द्रीकरण के बारे में आपको सोचना है। इन उद्योगों की स्थापना में भी विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाना है और जो ४९-५० जिलों की उपेक्षा आप करते आ रहे हैं, वह नीति आपको बदलती होगी।

मैं रायबरेली के बारे में एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जब कभी हम लोग किसी भी बात के लिये यहां पर आवाज उठाते हैं तो हमसे कह दिया जाता है कि यह तो इन्दिरा गांधी का जिला है, वहां तो किसी बात की कोई कमी नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार से कह कर राय बरेली की उपेक्षा की जा रही है और उसी प्रकार से उसका शोषण किया जा रहा है जिस प्रकार से उसका शोषण जमींदारों, ताल्लुकेदारों और अंग्रेजों के जमाने में होता था। बड़े बड़े लोग जनता का शोषण कर रहे हैं। जनता को पददलित किया जा रहा है। आप लोग भी उससे कुछ कम नहीं हैं। आपने भी उनके लिये कुछ नहीं किया है। इन्दिरा गांधी ने जरूर खेती के बारे में कुछ किया है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या प्रधान मंत्री किसी बड़े आदमी से कम हैं?

श्री मदनमोहन मिश्र—

मैं समझता हूं कि मेरी और आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि इन्दिरा गांधी के बारे में कुछ कमेंट्स करें। इसलिये अगर खामोश ही रहें तो अच्छा है।

इसलिये मैं सरकार से मानवता के नाम पर यह प्रार्थना करता हूं कि चूंकि गरीबों का नाम लेकर और समाजवाद का नाम लेकर आपने जनता को सुनहरे स्वप्न दिखाये हैं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बताया कि इन्दिरा गांधी गरीबी को मिटा कर समाजवाद लाना चाहती हैं, जिन गरीबों के नाम पर आप इलेक्शन जीत कर आये हैं, उन गरीबों की ईमानदारी के साथ सहायता कीजिये। अगर हमको इस देश के अन्दर समाजवाद लाना है तो मैं समझता हूं कि आपका वह नारा इन उद्योगों के जरिये से अवश्य ही पूरा हो सकता है ।

मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आप विदेश में घूमे हैं, वहां के समाजवाद को भी आपने देखा है, वहां के औद्योगीकरण को भी आपने देखा है, विदेशों में जाने के लिये उन्होंने भारतवर्ष का रुपया खर्चा किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वहां से आप क्या लेकर लौटे हैं । आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप उद्योगों के जरिये से उत्तर प्रदेश को सम्पन्न बना दें । मुझे आप पर विश्वास है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज तक उद्योगों के मामले में जो परम्परा चलती चली आ रही थी, उससे आप कुछ आगे बढ़ कर देखें, उद्योगों को कुछ असली जामा पहनायें । रायबरेली के संदर्भ में इंदिरा जी का नाम लिया जाता है । तो आज मैं साफ बात आप से बड़े दुःख के साथ कहता हूं और माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकृष्ट करता हूं कि आप बहुत गलतफहमी में पड़े हुए हैं । आज भी रायबरेली के कम से कम १६–१७ हजार परिवार इतने गरीब व बदनसीब हैं जो आधे पेट खाकर सोते हैं । आज भी उस जिले की जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी हुई नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी––

यही आदर्शवाद है आपके समाजवाद का ?

श्री मदनमोहन मिश्र––

यह समाजवाद का आदर्श नहीं है बल्कि जनता और शासन के बीच जो बड़े पेट वाले अधिकारी बैठे हुए हैं उनके पेट में सारा पैसा चला जाता है । इसमें जो दोष है उसकी तरफ आपको देखना है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

इनके समाजवाद की कोई दवा नहीं है?

श्री मदन मोहन मिश्र––

उसकी दवा यही है कि आप इधर आकर मिल जाइये ताकि यू० पी० के उत्थान के लिये हम प्रयास करें । इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप रायबरेली की तरफ ध्यान दें क्योंकि रायबरेली बहुत ही पिट चुका है । आजादी में उसने पूरा योगदान राणा माधव सिंह जी के जमाने में दिया । आजादी के बाद जिस रूप में उसको देखना चाहिये था, नहीं देखा गया । जूते बनाने का लाइसेंस एक साहब ने लिया और उन्होंने रायबरेली के नाम पर लिया और आगरे में जाकर उन्होंने कारखाना खोल दिया । मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करावें। इसी तरह से बहुत से लाइसेंस रायबरेली के नाम पर मांगे गये लेकिन वे कारखाने कानपुर में लग गये या गाजियाबाद में लग गये । और भी बहुत से कारखानों के लिये लाइसेंस रायबरेली के नाम पर लेने की कोशिश की गयी लेकिन ये कारखाने भी आगरा, कभी वाराणसी, कभी मुगलसराय, कभी मेरठ और कभी गाजियाबाद में जाकर खोले गये । तो मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि यह मध्य यू० पी० जो अवध का इलाका है, वह बहुत लुट चुका है, उसका खून बहुत चूसा जा चुका है, अब आप इसके ऊपर दया कीजिये और उद्योगों के नाम पर आंकड़ों की जो जादूगरी आपने दिखलायी है, इस पर मुझे कोई विश्वास नहीं है ।

कुछ दिन पहले जनवरी के महीने में एक सेमिनार आई० टी० आई० पर रायबरेली में हुआ था जिसमें डाइरेक्टर चार्लू भी वहां गये थे । इस वक्त कौन डाइरेक्टर है, मैं नहीं कह

[श्री मदनमोहन मिश्र]

सकता लेकिन वह तो रायबरेली को लूट कर ले गये। सेमिनार की बैठक दो दिन हुई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और मेरी बात अपनी जगह सही साबित हुई जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था। जितना भी उद्योग सेंक्शन किया गया उसके लिये न तो मशीनरी मिली और न उनको रुपया ही दिया गया और न कोई और सामान की सुविधा दी गयी। इस तरह से लाखों रुपया सरकार का बर्बाद किया जाता है। वह सेमिनार इसी 71 की जनवरी में हुआ था और उसमें कुछ फैसले लिये गये। उद्योग मंत्री के नाते म चाहूंगा कि आप इसकी जांच कीजिये और जांच करने के बाद आप उनको दोषी पाते हैं तो मैं चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्य-वाही करें। मेरा क्या सब का यह ख्याल है कि चाहे छोटे उद्योग हों, चाहे लघु माध्यम उद्याग हों, सब में रिश्वत ली जाती है। चपरासी से लेकर डाइरेक्टर तक जो उद्योग विभाग के हैं, जब तक उनकी जेबों में रुपया नहीं जाता तब तक किसी को लोन का पैसा नहीं मिलता है और न अन्य सामान व सुविधायें ही मिलती हैं। इसको आप रोकिये तभी जाकर उद्योग पनप सकेंगे। इसके लिये आपको अपने अधिकारियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हार, गजरे और माला पहना पहना कर, खुशामद कर करके अपना काम निकालने वाले इनसे काम निकाल ले जाते हैं। इनके ऊपर आपको कड़ी नजर करनी पड़ेगी तब जाकर यू० पी० में उद्योग खुल सकेंगे और यहां पर उद्योग पनप सकेंगे। इसी तरह से उद्योगों का विकास यू० पी० में हो सकेगा और उसकी गाड़ी आगे को बढ़ सकेगी। क्योंकि विकास के लिये खेती एक पहिया है और दूसरा पहिया उद्योग ही है। दोनों पहियों से ही विकास की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि विरोध पक्ष भी इसका समर्थन करेगा।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं मंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये अनुदान की मुखालिफत करता हूं और वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूं कि मैं विरोध पक्ष का हूं बल्कि इसलिये विरोध कर रहा हूं कि जो रोज बातें ये लोग कहते हैं, जिस तरह से झूठा समाजवाद का नारा लगाते हैं उसी तरह से झूठे काम का नारा लगाते हैं। गरीबी और बकारी दूर करने के खयाल से ये लोग कतई काम नहीं करते हैं। भले ही विभाग की बुराई की जाय लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है मंत्रि-परिषद् के लोग किसान की प्रगति के लिये या प्रदेश की प्रगति के लिये जो काम होते हैं वे अपन अपने क्षेत्रों में ही करना चाहते हैं और चाहे उनके कर्मचारी हों, चाहे डायरेक्टर हों, वे मजबूरन उनकी बात मानते हैं और इसलिये मानते हैं कि एक, आध काम वे अपनी मर्जी से भी कर लेते हैं। सबसे बड़ा आघात यह होता है कि जब भी पिछड़े हुये इलाकों की तरफ इनकी निगाह नहीं जाती है और न जायेगी। जिन क्षेत्रों की अंग्रेजों के जमाने में तरक्की हुई थी उसी तरफ अब भी इनकी निगाह जाती है।

आज से नहीं शुरू से जबसे यह गवर्नमेंट बनी है यह पहली गवर्नमेंट थी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई भी महानुभाव यह कह दें कि मैंने उस तरफ भी ध्यान दिया है जो पिछड़े हुये इलाके हैं। जैसा अभी हमारे एक भाई ने नाम लिया डाक्टर चार्लू का, मैं उनको जानता हूं, मोहम्मद गुलाम याज दानी डाक्टर भार्गव को जानता हूं उन लोगों से सर्वे करा लें तो पता चलेगा कि बस्ती जिले में कौन कौन सा काम जनता के हित का हो सकता है कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे गरीबी और बेकारी वहां की दूर हो। मैं माननीय कमलापति त्रिपाठी का आभारी हूं कि अबकी बार जो मंत्रि मंडल बनाया है उसमें अबतक जो लोग टी०एन० सिंह को धोखा देकर मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे उनको नही लिया है, उनको ठुकरा दिया है। क्योंकि वे लोग पंडित जी को भी धोखा दे सकते हैं। मैं तो अनुदान का क्या, पंडित जी के सभी अनुदानों का समर्थन करता, और अपने साथियों से समथन करता, जिस तरह से मंत्रिडंडल बनाने में समाजवाद सिद्ध

किया है, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने कमी कर दी है कि उन्होंने यह नहीं ध्यान दिया कि कौन सा जिला पिछड़ा हुआ है वहां के सदस्य को हम केबिनेट का मंत्री बनायें ताकि पालिसी तय होने में वह अपने जिले की बात रख सके। हमारे बस्ती के दो राज्य मंत्री व उप-मंत्री हुए हैं लेकिन वे खाली मोटर ले लें, चपरासी ले लें, सिपाही साथ ले लें मगर अपने जिले का कोई कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम कोशिश में हैं कोई छोटा उद्योग बस्ती में लगे। यदि वे कैबिनेट स्तर के मंत्री होते तो दावे के साथ कह सकते थे कि फलां इंडस्ट्री वहां खोलने जा रहे हैं।

बस्ती जिला सिर्फ कृषि के ऊपर निर्भर है। यदि वहां के गरीबों और किसानों की मदद करनी है तो वहां एक राइस मिल खुलवा दें। वहां धान बहुत पैदा होता है उससे किसान अपने धान का चावल बनवा कर रख सकता है और उचित दाम पाने पर समय से उसे बेच सकता है। आज कल जब धान पैदा होता है तो वह उसे बेच देता है जिससे उसको जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इसके अलावा मेरे जिले में हर प्रकार के फल पैदा होते हैं जैसे केला, आम, अमरूद, टमाटर वगैरह। यदि उन फलों की रक्षा के लिये कोई कारखाना वहां खोला जाय तो छोटे-छोटे किसान इन फलों को पदा करके उसकी आमदनी से अपनी तरक्की कर सकते हैं।

मैं एक निवेदन और करूंगा कि हमारे मन्त्रि परिषद् के लोग एक आडम्बर खड़ा कर रहे हैं कि हम समाजवाद को लायेंगे। यह बिलकुल धोखा है, झूठ है और हवाई प्रचार है और जनता को बहकाने की बात है। अगर ये लोग समाजबाद को लाना चाहते हैं तो पहले पिछड़े हुये इलाके की तरफ ध्यान दें जहां पर उद्योग-धन्धे नहीं हैं वहां पर उद्योग खोलने का प्रयत्न किया जाय। सड़क वहां पर बनाई जाय। देहाती इलाके में यदि सड़क नहीं है तो कैसे वहां पर उद्योग धन्धा चल सकता है। उद्योग-धन्धों के लिए सड़क बनाना बहुत जरूरी है तभी वहां पर कोई कारखाना खोला जा सकता है। श्रीमन्, मेरा बस्ती जिला बहुत पिछड़ा जिला है और गरीब जिला है। वहां पर आबादी भी सबसे ज्यादा है। वहां पर अगर साइकिल का कारखाना खोल दिया जाय तो उससे वहां के किसानों के बच्चों को बहुत लाभ होगा। सब लोग साइकिल लेकर सामान बाहर से ला सकते हैं। लोग रिक्शा बना सकते हैं। उस धन्धे में लोग काफी खप सकते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और खासकर मुख्य मंत्री जी से, वह इस समय यहां पर नहीं है, पर उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि छोटी-छोटी मशीनों के कारखाने जैसे साइकिल का कारखाना पेपर मिल का कारखाना वहां पर खोला जा सकता है। कृषि यन्त्र बनाने का कारखाना भी वहां पर खोला जा सकता है। कृषि यन्त्रों से वहां के किसानों का बहुत लाभ होगा। छोटे मोटे उद्योगधन्धों के लिये लोहारगिरी की बहुत जरूरत होती है। हमारे जिले में लोहार बहुत है। उनको यदि सरकार कुछ अनुदान प्रदान करे तो उनको बहुत लाभ हो सकता है और लोहारगिरी, बढ़ई गिरी के काम में वह तरक्की कर सकते हैं।

मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि हर किस्म के अनुदान के लिये उन पिछड़े लोगों को, उन गरीब हरिजनों को आप सहायता नहीं देते हैं। क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं। साधन न होने से वह कैसे तरक्की कर सकते हैं। उनकी तरक्की के लिये ऐसा उपाय करें जिससे वे लोग आगे बढ़ सकें। उनके पास खेती बारी का साधन भी नहीं है तो उनको इस प्रकार से अनुदान दिया जाय जिससे वे कुछ अपना जीवन निर्वाह कर सकें। यह आपका समाजवाद कैसे सफल होगा यदि उन पिछड़े हुए गरीब हरिजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा। वे तभी तरक्की कर सकते हैं जब उनके पास कुछ साधन हों। जिस तरह से धोखाबाजी करके यह सरकार काम कर रही है उसका जवाब जनता देगी जब यह मैदान में उतरेगी। मेरा आपसे बार-बार निवेदन है कि बाराबंकी का एक फार्म आप ले रहे हैं जिसमें दवाई बनाने का कारखाना खुला हुआ है। वह कारखाने वाले मरेंगे। तो यह क्या किया जा रहा है?

[श्री रामलखन सिंह]

मेरा यह भी निवेदन है कि उद्योगीकरण के लिये सब से पहले एकदम जरूरत है बिजली की। बिजली की तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिजली न होने से बहुत से जिलों के किसान मर गये। समय से वर्षा नहीं हुई। यदि बिजली की कमी न होती तो उससे वह लाभ उठा सकता था और अपने पड़ौसी का भी लाभ पहुंचा देता। यह सब काम धोखेबाजी में किया जा रहा है लेकिन जब वोट का समय आयेगा तो किसान जवाब देगा। यह समाजवाद का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। मंत्री जी से निवेदन है कि आज उन पूर्वी जिलों की तरफ ध्यान देने की कृपा करें जिसकी बहुत आवश्यकता है। उनकी तरफ पहले से या आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। आजकल वहां पर लोग नदियों की बाढ़ से डूब रहे हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है। यहां से आप वहां चलकर देखे कि किसानों की फसल चौपट हो गई है। उनके खेत कट रहे हैं। रास्ते कट गये है। वहां जाने का रास्ता नहीं है। यदि यह सरकार अपनी समाजवाद वाली बात को सिद्ध करना चाहती है तो उस तरफ ध्यान दे नहीं तो झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि इसका नतीजा बुरा होगा। यह कहकर मैं अपने मित्र श्री वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं और मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उन की बात केवल प्रचार के वास्ते है उस को रद्दी की टोकरी में डालना चाहिये। वह अपने को ठीक करे, गरीबों का ख्याल करें वर्ना वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है, आप सब से पहले से श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा समय चाहते थे उनको भी नहीं दिया गया। अब आप बैठें। माननीय वर्मा जी बोलेंगे।

श्री जयराम वर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने मेरे विचारों से अपनी सहमति प्रकट की है लेकिन माननीय श्री सी० पी० एन० सिंह को मेरी बात से कुछ भ्रम हो गया। उस का निवारण मैं करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था होना चाहिये कि जिस से लोग खेती से हटकर उद्योग धन्धों, विशेषकर छोटे और अन्य रोजगारों की तरफ आकृष्ट हो सकें। मेरी मंशा यह नहीं है कि किसानों को खेती से जबरदस्ती भगाया जाय। वह अपनी मर्जी से अन्य धन्धों में जाय ऐसी व्यवस्था हो। खेती की आय उद्योग धन्धों के मुकाबले में कम होती है। ऐसी व्यवस्था अगर हुई तो किसान उधर जायंगे और यह किसान के हितों के खिलाफ न होगा। मैंने कहा था कि खेती के विकास के लिये जितने साधन जरूरी हैं वे सब मोहैया किये जायं जिससे खेती से अधिक से अधिक पैदावार हो सके और हमें किसी अन्य देश पर अन्न के लिये निर्भर न रहना पड़े और देश के सब रहने वाले अन्न के लिये निश्चिन्त हो सकें कि उन को भोजन मिलेगा और उस की कमी न रहेगी। जब ऐसी स्थिति होगी तो खेती पर आज जितने आदमी लगे हैं उतने आदमियों की वहां जरूरत न पड़ेगी।

एक बार इन साधनों को किसान के लिये जुटा देने पर हमारी खेती विकसित हो जायगी तो वहां इतने आदमियों की जरूरत न रहेगी और जो फाजिल आदमी होंगे वे अन्य धंधों में लग सकेंगे। इस आशय से मैं ने यह बात कही थी कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि गांव गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे काफी बड़ी संख्या में स्थापित किये जायं जिस से जो किसान खेती से फाजिल हों वे आसानी से उद्योग धंधों की तरफ जा सकें। उन को वहां आय भी ज्यादा होगी, खेती के मुकाबले में, और वहां जाना पसन्द करेंगे। उन को यह भ्रम था इसलिये मैंने यह सफाई कर दी।

दूसरे मैं चाहता हूं कि छोटे उद्योग धंधे उन सभी चीजों के निर्माण के लिये स्थापित किये जांय जिनका निर्माण छोटे पैमाने पर ही हो सकता है। बड़े उद्योग उन्हीं चीजों के निर्माण के लिये

स्थापित किये जायं जिनका निर्माण बड़े पैमाने पर हो सकता है। जिन चीजों का निर्माण छोटे पैमाने पर हो सकता है उन के निर्माण के लिये बड़े उद्योगों का स्थापित करना देश के हित में न होगा। जो बड़े उद्योग स्थापित किये जायं उन के बारे में मेरी राय यह है कि वे सब पब्लिक सेक्टर में ही हों लेकिन ऐसा तभी हो सकेगा जब सरकार इन पब्लिक सेक्टर के कारखानों को ईमानदारी और दक्षता से चलवाये। अगर ऐसा न होगा तो उन का चलना मुश्किल हो जायगा और वह एक अच्छी मिसाल प्राइवेट सेक्टर के धंधों के सामने नहीं रख सकेंगे। लोगों की उन में श्रद्धा हो जायगी और लोग उनके खिलाफ हो जायंगे। जब स्थिति ऐसी होगी कि विश्वास पब्लिक सेक्टर के धंधों में जयेगा तो वह पनपेंगे। ऐसी व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि यह जो मड़े शहरों मेंआबादी का और उद्योगों का कन्सेनट्रेशन होत ाजा रहाहै वह रुक जायगा और श्रमिकों का भी कन्सेन्ट्रेशन कुछ शहरों में जो होने वाला था, वह रुक जायगा और उद्योग धंधे सारे प्रदेश में गांव-गांव में फैल जायेंगे और ये श्रमिक भी बजाय शहरों में केन्द्रित रहने के गांव-में फैले हुए होंगे। ऐसा होने से जो पूंजीपति मजदूरों की बेकसी का बेजा फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं, वह कम हो जायगा और जो शहरों में बहुत तादाद में लेबर इकट्ठा हो जाने से रोज प्राब्लम्स पैदा हो जाते हैं, इस्ट्राइक्स वगैरह के वे सब कम हो जायंगे। यदि लेबर सारे प्रदेश में फैलेगा, छोटे उद्योग धंधों में वे लगेंगे और बड़े उद्योग धंधे उन्हीं चीजों के निर्माण के लिये होंगे जो छोटे पैमाने पर नहीं बन सकते और वे पब्लिक सेक्टर में होंगे तो प्रदेश के कल्याण का समाजवाद की ओर जिसके लिए सब की इच्छा है और खास तौर से इंडिकेट का बहुत प्रचार है, जिसका यह प्रभाव बैठ गया कि ऐसा होने वाला है, ध्यान खींचना चाहूंगा। उनको अपने नारों की पूर्ति के लिये यह करना जरूरी है। समाजवाद कैसे आयेगा अगर ऐसी व्यवस्था न हुयी।

इसके सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहताहूं और वह यह है कि हमारे प्रदेश में समाज-वाद की स्थापना हो। सभी दल यह चाहते हैं कि समाजवाद की स्थापना हो लेकिन उसकी स्थापना के लिये मैं खास तौर से अपने इडिकेट के साथियों का ध्यान सन् 1962 के भुवनेश्वर के प्रस्ताव की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना की बात सब से पहले की गयी थी, उसमें यह निश्चित रूप से कहा गया था कि समाजवद की स्थापना के लिये जरूरी है कि समाज में नैतिकता हो, समाज में ईमानदारी हो, समाजवाद में न्यायप्रियता हो, समाज में भ्रष्टाचार और बेइमानी न हो। जब ये बातें होंगी तब समाजवाद की स्थापना होगी लेकिन अगर ये न हुयीं तो समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। आज देश में भ्रष्टाचार बेईमानी, अनैतिकता और अकर्मण्यता बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में समाजवाद की स्थापना तो हो ही नहीं सकती है। आज उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। अगर हमें देश में समाजवाद लाना है तो जो बातें मैंने कहीं हैं, उनकी ओर इस सरकार को ध्यान देना है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे प्रदेश का कल्याण करना चाहत हैं तो उन्हें मेरी बातों पर ठंडे दिल से विचार करना होगा और सरकार को निश्चित दिशा में जाना होगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी इस प्रदेश को समाजवादी बनाने की कोशिश करें।

श्री देवकी नन्दन विभव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहता तो मैं यह था कि कुछ विस्तार में जवाब दूं लेकिन मैं संक्षेप में कुछ बातों का जिक्र करूंगा। वर्मा जी हमारे पुराने श्रद्धेय साथी रहे हैं और वर्षों से एक ही बेंच पर बैठे हैं और मैं जानता हूं कि वे चाहे उधर बैठे हों, लेकिन उनका दिल इधर ही है। उन्होंने जो कुछ कहा है .....

श्री जयराम वर्मा--

जो सही बात को नहीं कहते हैं वे सचमुच अपनी पार्टी को नुक्सान पहुंचाते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव--

जितनी भी बातें वर्मा जी ने कहीं हैं, उनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं कही कि जिनसे हम उनसे सहमत न होते या उनके आधार पर हम कार्य न कर रहे होते। अब श्रीमन्, उन्होंने कृषि की बात कही। अब यह तो मैं मानता हूं और हमारा निश्चित विश्वास है कि हमारे उद्योग और कृषि का एक सा समन्वव होना चाहिये। मतलब यह कि उनका क्या अर्थ था। लेकिन व्याख्या किसी के सम्बन्ध में की। हम तो सबसे पहले उद्योग धंधों में कृषि का हित करने वालों को प्रधानता दे रहे हैं। 90 हजार आदमी हमारे उन उद्योगों में लगे हुए हैं जिनका कि कृषि से सम्बन्ध है और साढ़े तीनसौ करोड़ से ज्यादा का माल हम लोग तयार कर रहे हैं। इस प्रदेश में उन उद्योग धंधों में जिनका सम्बन्ध कृषिसे है प्रधानता देते हैं। तो अब बड़े उद्योग धंधों की ओर छोटे उद्योग धंधों की भी बात कही गई। श्रीमन्, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते हैं कि छोटे उद्योग धंधों से ही देश की गरीबी मिट सकती है। लेकिन एक बात जो कही गई जिसको नेगी जी ने कहा और नेगी जी न ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह सही बात है। लेकिन यह भी सही बात है कि हम बड़े उद्योग धंधों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। वर्मा जी ने आकर उसका समर्थन कर दिया कि कुछ चीजों की आवश्यकता है। मेरा ख्याल तो यह है कि हमारी नीति तो स्पष्ट है। कुछ उद्योग धंधे अवश्य हैं जिनको कि आप छोटे आधार पर नहीं कर सकते लेकिन श्रीमन्, मैं तो उन मनुष्यों में हूं कि जो विकेन्द्रित उद्योग धंधों की एडवोकेसी करते हैं। यानी बड़ी बड़ी चीज भी हम छोटे छोटे उद्योग धंधों से करना चाहते हैं। यानी मेरा ख्याल तो यह है कि ट्रैक्टर भी डिसैन्ट्रेलाइज हों। उसके पार्ट्स अलग-अलग करके उससे उत्पादन कर सकते हैं। बस श्रीमन्, मेरा ख्याल तो यह है। वर्मा जी ने जो बात भी कही है व कोई हमारे से जरा भी विरोध में नहीं की है। इसलिये मैं उनसे तो निवदन करूंगा कि वे अपना कट-मोशन वापिस कर लें क्योंकि हम तो उनकी हर बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने कुछ बातें स्पिनिंग मिल की कहीं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री क्षेत्र की भी आवाज यहां गूंज रही थी। माननीय मंत्री जी उस वक्त लिखा-पढ़ी में लगे थे। अगर सुनी हो तो उस पर भी प्रकाश डालियेगा।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल--

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वाराणसी की कलाबत्तू उद्योग के सम्बन्ध में भी बताय।

श्री देवकीनन्दन विभव--

श्रीमन्, मैं उस पर आ रहा हूं। जहां तक छोटे उद्योग धंधों का सवाल है मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि जहां पर १९५६ में उनकी संख्या केवल ५८७ थी उन की संख्या बढ़कर तीस हजार हो गई। तो श्रीमन्, अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते ह। हमारी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज इन्हीं बातों के प्रयत्न में लगी हुई हैं कि हम कैसे छोटे उद्योग धंधों को आगे बढ़ा सकते हैं और समर्थन कर सकते हैं। श्रीमन्, मैं तो एक बात कहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि यहां के छोटे उद्योग धंधों का विकास होना चाहिये.....

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बतला दें कि गांव में कितने उद्योग धंधे हैं और शहरों में कितने उद्योग धंधे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव--

यहां तो वे कहते हैं कि छोटे उद्योग धंधों का विकास होना चाहिये और पीछे से आकर कहते हैं कि फलां उद्योग धंधा हम को दे दीजियेगा और उस से सब निस्तार हो जायेगा। श्रीमन्,

मैं तो पहले ही कहता हूं कि गरीबी जो है वह बड़े उद्योग धंधों से नहीं पैदा हो सकती है। पंजाब ने छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगाये....

श्री इन्द्रमणी—

श्रीमन्, यह अनुदान हम लोगों से पास करा लीजिये । मंत्री जी गरीबी बढ़ाने की प्रक्रिया पर चले गये हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव—

श्रीमन्, कुछ जिक्र बैकवर्ड एरियाज का किया गया । आप जानते हैं कि हमने एक हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया है । पूर्वी अंचल के लिये भी एक निगम बनाया है और बुंदेलखंड के लिये भी एक निगम बनाया है और 36 जिलों को हमने बैकवर्ड घोषित किया है जिनमें विशेष सुविधायें उद्योग-धंधों के लिये ऋण की, रान्मैटीरियल की, मशीन की दी जायेंगी....

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

पूर्वी क्षेत्र में जो पिछड़े जिले हैं उनमें क्या विकास हो रहा है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

कुमायूं का दौरा मैंने किया । वहां टसर के लिये रिसर्च करा रहे हैं । (व्यवधान) हैंडलूम बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग की बात कही गयी । अब मैं यह बात करता हूं कि तो मुझे पूज्य गांधी जी की याद आती है जिनके आदेश पर मैं आज से 50 वर्ष पहले 15 वर्ष की आयु में उनके क्षेत्र में आया ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

खादी बोर्ड के सिलसिले में क्या सोच रहे हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

श्रीमन्, जब मैं यहां आया तो हैन्डलूम बोर्ड बन्द पड़ा था कितने ही महीनों से। मैंने फिर उसका कार्य शुरू कराया ....।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जरा उधर देखिये, आपके स्वागत की तैयारी हो रही है। (हंसी)

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष जी, क्या आप मिनिस्टर साहब को इसमें बन्द कीजियेगा ?

(हंसी)

श्री देवकी नन्दन विभव—

स्पिनिंग मिल का काम भी हम आगे बढा रहे हैं । ग्रामोद्योग की सारी समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं कि कैसे उसे बढ़ाया जाय ।

एक बात और कहना चाहता हूं । चार्लू साहब की बात कही गयी । कोई शिकायत नहीं है । छः साल से वह थे । यह स्वाभाविक है कि इतना समय हो जाने के बाद परिवर्तन होता ही है । यह बात भी गलत है कि आगरे की कोई बात है । वह तो छुट्टी पर थे । वह तो मैंने आकर आदेश दिये थे कि सारे जिलों में अभियान शुरू होना चाहिये और सबसे पहले आगरे में शुरू होना चाहिये....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मंत्री जी यह बता दें....

श्री देवकीनन्दन विभव--

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना कटमोशन वापस ले लें और इन अनुदानों को स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५-उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,२२,८३,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४१ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया. और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च ९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१-लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या ४७-औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ११,०४,२८,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने के कारण सर्वश्री रामनरेश दुबे तथा गुलाब यादव को दण्ड का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों से गम्भीरता और शालीनता की अपेक्षा की जाती है । आज हम एक न्यायालय के रूप में अपने इस सदन के अवमान के प्रश्न को रख रहे हैं । सदन में आज दर्शक दीर्घा से श्री राम नरेश दुबे तथा श्री गुलाब यादव ने पर्चे फेंके जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ । दीर्घा के गार्डों ने उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले लिया । चूंकि यह घटना सदन के सामने हुयी है अतः सदन इस पर स्वयं निर्णय ले सकता है । मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि वे सर्व श्री राम नरेश दुबे व गुलाब यादव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करें ।

(सर्वश्री राम नरेश दुबे व गुलाब यादव को सदन में लाया गया)

श्री उपाध्यक्ष---

आपका क्या नाम है ?

अभियुक्त---

गुलाब यादव---

श्री उपाध्यक्ष---

(दूसरे व्यक्ति से) आपका क्या नाम है ?

अभियुक्त---

राम नरेश दुबे ।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आज आपने दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके ?

अभियुक्त---

जी ।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आपको ज्ञात नहीं है कि इससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी और सदन का अवमान हुआ ?

अभियुक्त---

इस सदन में . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

हां या नहीं में उत्तर दो । इस प्रश्न का उत्तर हां और नहीं में होना चाहिये ।

मैं फिर प्रश्न करता हूं । क्या आपको ज्ञात नहीं है कि इससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी और सदन का अवमान हुआ ?

अभियुक्त---

श्रीमन्, हम नियमावली से अवगत नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको नहीं मालूम था ।

क्या आप इसके लिये खेद प्रकट करते हैं और सदन से क्षमा मांगने के लिये तैयार हैं ?

अभियुक्त---

जी नहीं ।

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी)---

उपाध्यक्ष जी.....

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह मामला सदन के समक्ष है । इनको बाहर ले जाओ ।

(दोनों दोषी व्यक्ति सदन के बाहर ले जाये गये ।)

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

उपाध्यक्ष जी हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने नियम के अन्तर्गत सदन की गरिमा रहने के लिये यह अवसर हमें दिया है । जैसा कि हमारे नियमों में है, चूंकि यह घटना सदन के सम्मुख हुई है, इसलिये अधिक न कहकर मैं थोड़ में प्रस्ताव उपस्थित करती हूं । इस सदन का निश्चित मत है कि सर्वश्री राम नरेश दुबे तथा गुलाब यादव ने इस सदन का अवमान किया है । अतः यह आदेश दिया जाता है कि सर्वश्री राम नरेश दुबे तथा गुलाब यादव को सात दिन का साधारण कारावास का दंड दिया जाये और उन्हें इस अवधि के लिये जिला कारागार, लखनऊ में द्वितीय श्रेणी में रक्खा जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

इसमें मेरा संशोधन है कि भर्त्सना करके छोड़ दिया जाय ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

यह सदन के अवमान का प्रश्न नहीं है । मुझे समय दिया जाय । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां अजनबियों के प्रवेश पर नियमावली के ३०५ से ३०७ तक लिखा हुआ है । ३०६ में लिखा है कि अध्यक्ष सभा के उपवेशन के बीच में किसी समय अजनबियों को सदन के किसी परिसर से हटाने का आदेश दे सकेंगे । ३०७ में है कि सदन के परिसरों के किसी भाग से किसी अजनबी के निष्कासन के लिये अध्यक्ष ऐसा आवश्यक कार्य या ऐसी कार्यवाही जो प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये उनके स्वविवेक में आवश्यक हो, कर सकेंगे । मान्यवर, तो इसमें लिखा है कि आप उनको गिरफ्तार करा लें और आपको यह भी शक्ति है कि उनकी भर्त्सना कर सकते हैं । ११ बजे से अबतक उनको बन्दी रक्खा, अब सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है ।

दूसरी बात यह है कि जब विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है नियम ७१ में उस व्यक्ति को सुनने का अधिकार है । उससे पूछा जाय । अगर उसने कह दिया कि मेरी जानकारी में नहीं था या जानकारी में भूल की है । सीधा सिद्धांत है कि कोई घटना क्राइम नहीं है, भाव क्राइम है । इन दो व्यक्तियों का क्राइम करने का विचार नहीं था, सदन का ध्यान आकर्षित करने का था लेकिन गलत तरीके से किया । दो तरीके हैं या तो मान्यवर,

याचिका प्रस्तुत करतें या माननीय सदस्य के द्वारा कहते । उन्होंने गैर जानकारी में ऐसे पर्चे बांटे जो मंत्रि परिषद् के बारे में हैं और इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं । तो शासन के भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है लेकिन तरीका गलत हुआ । तो मान्यवर, अजनवी के प्रवेश पर उसे ३०७ में पकड़वाया गया और बन्दी रक्खा गया और उसको हम स ा दे सकते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें विशेषाधिकार नहीं होता है । लोक सभा की कार्यवाही मैंने लायब्रेरी में देखी है । राज्य सभा में १९६८ में घटना हुई थी और १५ दिसम्बर, १९६८ को लोक सभा में घटना हुयी थी उस पर्चे में व्यक्ति विशेष के बारे में आक्षेप था लेकिन यहां पर मंत्रि परिषद् के बारे में है । किसी माननीय सदस्य के बारे में नहीं है । मंत्रि परिषद् के बारे में टीका टिप्पणी करने का प्राविधान है । इस व्यक्ति ने मंत्रि परिषद के भ्रष्टाचार के बारे में कहा है इसलिये श्री भूपेश गुप्ता ने राज्य सभा में कहा था कि उसको सुनने का अधिकार है । हम उससे प्रश्न करना चाहते हैं, आप उसको प्रस्तुत करें कि उसकी नियत सदन का अवमान करने की थी या नहीं । नहीं थी तो क्राइम नहीं बनता है, इगनोरेंस हो सकती है, इसलिये मैं विरो ध करता हूं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि आप आशा करते होंगे और माननीय वाजपेयी जी भी आशा करती होंगी कि हम विरोधी दल के सदस्य भी यह जो कार्यवाही हो रही है उसमें अपना रचनात्मक सहयोग दे सकें । श्रीमन्, जो प्रोसीजर यहां पर एडाप्ट किया गया है वह न्याय संगत है यह मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । अध्यक्ष जी ने सुबह कहा था कि हमने उस व्यक्ति को कस्डडी में ले लिया है और उनसे बा करके हम अपना निर्णय वहां पर दे देंगे । जैसा कि माननीय बाजपेयी जी ने कहा कि सदन के सम्मुख घटना हुई इसलिये सदन के सम्मुख विचार किया जाय तो उसी समय उनको बुलाते और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचते । आपने उनको ८ घंटे कैद में रखा । अध्यक्ष जो जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाये कि क्या सजा दें तो आप और समय देते और कल सुबह इसको रखते जिससे कि हम लोग भी इस पर कुछ सोचकर आते । श्रीमन्, जब आपने भी उनसे प्रश्न पूछे तो उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया । आपने तीन प्रश्न पूंछे जिनका उत्तर "हां" या "ना" में हो सकता था । एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कुछ अपना वक्तव्य देने की कोशिश की तो आपने कह दिया कि उत्तर "हां" या "ना" में होगा । श्रीमन्, आप यह भी देखें कि जब किसी के विरुद्ध चार्ज फ्रेम किये जाते हैं तो अन्त में एक सवाल यह भी रहता है कि "क्या और कुछ भी कहना है" । (व्यवधान होने पर) आप सुनिये । आप 150 आदमी बैठे हैं । आपको सजा देनी है तो दे दें । लेकिन अगर आप समझते हैं कि सदन का अवमान है तो हमें भी विचार करने का हक है । श्रीमन्, पहले तो यह कि उस व्यक्ति को सदन में वक्तव्य देने का मौका नहीं दिया गया । आपने जो प्रश्न फ्रेम किये थे उनका "हां" या "न" में उत्तर ना था उनसे यह नहीं पूछा गया कि और भी कुछ तुम्हें कहना है । और कुछ कहने में वह अपना स्पष्टीकरण दे सकते थे या कुछ ऐसी बात कह सकते थे जिनका सदन पर असर पड़ा होता । उनको यह ि बुलाने की केवल नाटकीय प्रक्रिया रही ।

माननीय बाजपेयी ने नेता सदन के रूप में एक प्रस्ताव भी रख दिया कि एक सप्ताह के लिए उन व्यक्तियों को कारावास में रखा जाय । श्रीमन्, अब भी हम लोगों की फीलिंग है और जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कोई आकरेंस, कोई घटना, या कोई इंसीडेंस स्वत: क्राइम नहीं हो सकता । श्रीमन्, एक डाक्टर किसी व्यक्ति का आपरेशन कर रहा हो और वह व्यक्ति मर जाय तो वह क्राइम ब ीं माना जायगा । लेकिन उसी डूरी से जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

डाक्टर आपरेशन करता है कोई दूसरा व्यक्ति जो कि डाक्टर नहीं है आपरेशन करे और वह व्यक्ति मर जाय तो उसका क्रिमिनल इंटेन्शन होता है और उसको फांसी की सजा होती है। लेकिन एक डाक्टर का इंटेन्शन अच्छा होता है और उसके आपरेशन करने की प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह एक इंसीडेन्ट है, अपराध नहीं।

इसी प्रकार से श्रीमन् जब तक सदन में यह तथ्य साबित न हो जाय कि उनका सदन का अवमान करने का इंटेन्शन रहा तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना कठिन है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता और वह कहते कि सदन का अवमान करने का मंशा नहीं था तो यह सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचता कि कुछ मूर्खतावश और कुछ नियमों की जानकारी न होने से उन्होंने ऐसा किया। आपने श्रीमन्, पूछा कि सदन का अवमान करना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते थे। यह चीज ऐसी है कि जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वहां मंत्रि परिषद् या शासन की तरफ से कोई कठिनाई महस हुई हो जिसका प्रदर्शन उन्होंने इस प्रकार किया जिसको कि उनका मूर्खतापूर्ण काम कह सकते हैं, नेगलीजेंस कह सकते हैं, और हजारों चीजें कह सकते हैं। जायसवाल जी ने कहा कि उनको चेतावनी दे दें। इस प्रकार से अमेन्ड करके बाजपेयी जी लायें तो उचित ही होगा और गैलरी से पर्चे फेंकना सदन के काम में गतिरोध पैदा करना है, यह हम मानते हैं और हम लोग स्वः इसे अच्छा नहीं मानते। लेकिन जब तक हम इस निष्कर्ष पर न पहुंच जायें कि डिलीबरेटली उसने ऐसा किया है, उसका इन्टेन्शन सदन का अ मान करने का था, तब तक एक सप्ताह की सजा का प्रस्ताव का आना मैं उचित नहीं समझता।

मैं समझता हूं कि यह सदन की अवमान की दृष्टि से नहीं रखा गया है, बल्कि उनके मन में भावना यह रही है कि चूंकि मंत्रि परिषद् के खिलाफ नारे लगाये गये, एक मंत्री के खिलाफ पर्चे बांटे गये, अतः क्रोध में, सदन के एक सदस्य के नाते नहीं, बल्कि शासक दल के सदस्य के नाते, अनडेमोक्रेटिक तरीके से, यह प्रस्ताव यहां रखा गया है। शासक दल के सदस्य के हाथ में जिस तरह से एक राड होता है दंड देने के लिए, वह राड इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, जब कि मान्यवर, वह राड आपके हाथ में होना चाहिये था। किन्तु चूंकि मिनिस्टर ने स्वयं उसको अपने हाथ में लिया, इसलिये यह जो एक सप्ताह की सजा का जो प्रस्ताव रखा गया है मैं इसका विरोध करता हूं और अगर वे इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेते तो हम लोग इस कार्यवाही में सहयोग नहीं देंगे। मैं इसका विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं आपके आसन से दी गयी एक रूलिंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस प्रस्ताव में मेरा यह संशोधन है कि इसको विशेषाधिकार समिति को सिपुर्द कर दिया जाय। इसके समर्थन में मैं आपकी एक रूलिंग संख्या ६८, पृ० ११२ (खं० १२० पृ० ८०) की ओर दिलाना चाहता हूं। यह है--सदन में घटित किसी विशेषाधिकार संबंधी घटना के संबंध में सदन स्वयं विचार कर सकता है, तथापि विशेषाधिकार समिति में उस पर विचार होना श्रेयस्कर है। यह घटना ५ मार्च, १९५३ की है। इस रूलिंग का कुछ हिस्सा मैं पढ़ता हूं--

"....यदि इस पर विचार तत्काल किया जाय तो देखना यह है कि कहीं ऐसी प्रथा न कायम हो जाय जो बाद में अनुचित मालूम हो और कहीं यह भी भावना न उत्पन्न हो कि आवेश में आकर सदन में कोई निर्णय हो गया है।" विशेषाधिकार कमेटी इसलिये बनी है कि अवहेलना हुई या नहीं, इस विषय पर कमेटी के नियमों का अध्ययन कर शांत वातावरण में विचार विनमय हो सके, जहां सदन के इस तरह के सदस्य मौजूद रहेंगे और जो यह तय करेंगे और कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उस पर विचार कर के निर्णय देने का सदन को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्ण अधिकार होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने संकल्प को पेश करने का आग्रह न करे।"

मान्यवर, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस रूलिंग को देखते हुये आप इसको विशेषाधिकार समिति में भेज दें।

मान्यवर...

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको भाषण की अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठें। अभी आपने यह राय दी, और आपके दल के नेता ने एक दूसरी राय रखी। तो आपके दल में ही दो राय हैं।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय रूप नाथ सिंह यादव जी ने जो कहा इसमें मान्यवर, दो राय नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि शान्तिपूर्ण वातावरण में विचार हो।

(व्यवधान)

*श्री जगन प्रसाद रावत (जिला आगरा)—

मुझे दुःख है कि एक ऐसे प्रस्ताव पर जिसमें किसी दल या किसी पार्टी का सवाल नहीं है, इस तरह से विचार नहीं होना चाहिये। इस विषय पर ऐसा वातावरण बनता जा रहा है जिससे कि ऐसा मालूम होता है कि इसमें दलों की बात आ गयी है। सदन के अवमान का प्रश्न और सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने का प्रश्न सारे माननीय सदस्यों का एक सा प्रश्न है। और चाहे शासन की नीति, शासन की कार्यवाही के सम्बन्ध में आलोचना हो—कड़ी से कड़ी आलोचना हो, वे तो ठीक हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में अगर इस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो उससे किस प्रकार से सदन की कार्यवाही चल सकेगी। और इसका क्या सदन की कार्यवाही पर असर पड़ेगा, यह सोचने की बात है। मेरे साथी जो दूसरी तरफ बैठे हुए उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस मामले में पार्टी और दल का प्रश्न वे सामने न लाएं।

एक बात यह कही गई कि जो पर्चे फेंके गये, उन पर्चों पर केवल मंत्रिमंडल के किसी सदस्य की आलोचना थी। मैं कहता हूं कि यदि यह भी न होता, तो वे केवल कोरे पर्चे होते जो फेंके जाते, जिन पर कुछ न लिखा जाता या ऐसा पर्चा फेंका जाता जिसमें आप की तारीफ होती या ऊपर से फूल ही फेंके जाते तो क्या यह शख्स सदन के अवमान का दोषी न होता? यह प्रश्न नहीं है कि पर्चे में क्या था या क्या नहीं था, बल्कि प्रश्न यह है कि ऊपर से पर्चे फेंके गये, जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। क्या उसमें था, क्या नहीं था, क्या उसकी निंदा थी? इसका इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्णानन्द राय जी ने एक डाक्टर की मिसाल दी कि छुरी से आपरेशन भी होता है और किसी का मर्डर भी होता है। डाक्टर की छुरी से आपरेशन में यदि कोई मर जाता है तो हत्या नहीं समझी जाती क्योंकि उसका उद्देश्य ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि डाक्टर अगर किसी का आपरेशन करता है तो मरीज से या उसके घर वालों से पूछकर करता है, यों नहीं की सड़क पर चलने वालों को जबरदस्ती छुरे से चीर देता है। तो यहां पर आपरेशन करने के लिये इस सदा के माननीय सदस्य मौजूद ही हैं। आप आपरेशन करते हैं और दवा भी देते हैं, आपको इसका अधिकार है, लेकिन दीर्घा में बैठे लोगों को केवल यह अधिकार है कि वे शांति से सुनें। उन्हें न हर्षध्वनि करने का अधिकार है, न टीका करने का अधिकार है, उन्हें तो केवल सुनने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन प्रसाद रावत]

का अधिकार है और जो नहीं सुनना चाहते हैं उनको बाहर जाने का अधिकार है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको पार्टी का प्रश्न न बनाकर दोषी के प्रति सख्त कार्यवाही की जाए, इस पर आप सब अपनी सहमति दें। इस प्रकार की घटना न होने पावें कि आज मेरे खिलाफ पर्चे फेंके गये, कल आपके खिलाफ पर्चे फेंके जाने लगें। आज तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कल जब आपके खिलाफ पर्चे फेंके जायंगे तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इसको पार्टी प्रश्न न बना कर, इस पर ऐसी कठोर कार्यवाही की जाए जिससे ऐसे कार्यों की आगे पुनरावृत्ति न हो।

*श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मेरा निवेदन यह है कि एक बार आप लोग अपनी स्मृति पर जोर देकर उचित कार्यवाही करें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार इसी प्रकार की पर्चे फेंकने की घटना हुई थी सुचेता कृपालानी के समय में, उस समय ६ महीने की सजा दे दी गई थी। माननीय केशव सिंह को सजा दी गई थी इस सदन द्वारा और उस पर हाई कोर्ट में अपील हुई थी और सरकार और न्याय विभाग में एक झगड़ा फंस गया था। मजबूर होकर इस सदन को वह मामला वापस लेना पड़ा था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे संविधान को देख कर इस मामले पर निर्णय लिया जाय। नहीं तो जहां यह सजा होगी, उसकी अपील होगी और वह छूट जायंगे---तो अब हम सबका उससे अपमान होगा।

अभी तो यह अपमान सदन के भीतर ही है, फिर इसके बाहर भी हमारा सबका अपमान होगा। इसलिए मैं डाक्टर बाजपेई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह संशोधन करना चाहता हूं कि उसने गैर जानकारी में ऐसा कार्य किया है, अतः उसकी केवल भर्त्सना करके उसे छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर सजा होगी---जैसा कि आज यह सदन कोर्ट में परणत हो गया है तो किसी दृष्टि से ठीक नहीं होगा। चूंकि यह आज कोर्ट बन गया है, इस कारण न्याय को दृष्टि से विचार करने के लिए आप को सब को पूरा मौका देना चाहिए। नहीं तो अपील होगी, वह छूट जायंगे, तो पूरे सदन का अपमान बाहर भी होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सोच समझ कर निर्णय किया जाए वरना आवेश में, पार्टी-पोलिटिक्स में लिया गया निर्णय हमारे लिए घातक होगा। हम आपस में भी कोई मतभेद न रखें। इन कारणों से मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। यह मैं जानता हूं कि इससे सदन का अपमान हुआ है--लेकिन केवल उनकी भर्त्सना करके उन्हें छोड़ दिया जाए, यह मेरा सुझाव है और यही उचित है। अन्य जो मामला जूडिशियरी में जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने हम सब को स्मरण दिलाया कि गम्भीर अवसर है जिस पर हम कुछ चीजों पर विचार करना है। मैं अनुगृहीत हूं, जायसवाल जी का और बांके लाल जी का भी, हमारे भाई कृष्णानन्द राय ने भी जिक्र किया एक बात में प्रायः सभी सहमत हैं कि इस सदन का अवमान हुआ है। इन व्यक्तियों ने जिनको उपस्थित किया गया है उन्होंने सदन के नियमों को भंग करके सदन का अवमान किया है। हमारे मित्र जायसवाल जी ने कहा---हमारी ओर से प्रस्ताव हुआ सात दिन के दंड का, हमारे मित्र जायसवाल जी ने कहा कि केवल भर्त्सना करके छोड़ दिया जाय। इसका मतलब यह हुआ कुछ अपराध हुआ। यह सब को स्वीकार है। अपराध नहीं हुआ ऐसा किसी को स्वीकार नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं माननीय कृष्णानन्द राय भी इससे सहमत हैं कि अपराध तो हुआ। अब केवल प्रश्न दण्ड का है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी--

मैंने कहा कि अपराध नहीं हुआ। मैंने दलील दी थी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं अपने मित्र से कैसे कहूं, अपराध हुआ या नहीं, अगर वह दोबारा विचार करेंगे तो इस निर्णय पर पहुंचेंगे अपराध तो हुआ है। एक परचा फेंका गया उसमें कुछ भी लिखा हो। मान लें केवल सोचने के लिए जो कुछ लिखा है वह सच लिखा है--मैं कहता हूं कि गलत लिखा है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, दो पर्चे फेंके गये।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके नेता, तीन साथी बोल चुके हैं।

श्री इन्द्रमणि (जिला-टिहरी गढ़वाल)--

आपने हाउस को कोर्ट बना दिया है। इसमें नेता का सवाल नहीं है। हर सदस्य बोलेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जितने भी पर्चे फेंके गये मान लें कि उसमें बातें सही लिखी हैं, हमारी ओर से कहना है कि बातें गलत थीं, लेकिन मान लें कि सही हैं तो भी सदन क्या स्वीकार करेगा कि इस तरह से परचा फेंका जाय। कृष्णानन्द राय जी ने जोर दिया कि वह कुछ कहना चाहते थे, कहने नहीं दिया जाय। शायद कहना चाहते हों कि बात ठीक है, शायद कहना चाहते हों कि जानबूझकर फेंका है क्योंकि बात ठीक थी तो और भी गम्भीर अपराध होगा। आखिर इस सदन की कुछ मर्यादा है। मैं सदन का नियम ३०५ की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं--

"सदन के उपवेशनों के समय, सदन के परिसर के उन भागों में, जो कवल सदस्यों के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं हैं, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विनियमित किया जायगा।"

इस सदन के अध्यक्ष महोदय जो नियम विनियमित करते हैं यहां उसके अनुसार उनका प्रवेश और बैठना विनियमित किया जायगा। इस सदन में यह पहला मौका नहीं है, यही नहीं लोक सभा में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। मैं अत्यन्त सम्मानपूर्वक सदन से कहता हूं कि यह सदन कृपा कर के इस पर विचार कर ले। दण्ड का जहां तक प्रश्न है हमारी ओर से जो प्रस्ताव हुआ है हमारे मित्र यदि यही कहें कि इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन किया जाय, सुधार किया जाय तो सदन उस पर विचार कर लेगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कृपा करके इसकी गम्भीरता पर विचार कर लें। मान्यवर, मुझे दुःख है कि इस अपराध का गाम्भीर्य और भी गढ़ गया जब कि उन व्यक्तियों ने किसी प्रकार की क्षमा याचना करने से इन्कार कर दिया। यदि हमारे मित्र यह समझते हों मैं समझता हूं कि उसमें किसी की इच्छा नहीं है लेकिन माननीय जायसवाल जी ने जैसे एक बात कह दी है यदि उनका औदार्यपूर्ण व्यवहार है तो मिसप्लेस्ड है। तो कहां तक उचित होगा। यदि वह किसी भी प्रकार की क्षमायाचना करते तो यह सदन जरूर उस पर विचार करता लेकिन जब कोई व्यक्ति अपराध करे और अपराध इस सदन के समक्ष करे और वह क्षमा याचना भी न करे तो यह सदन उस पर क्या विचार करेगा? मैं थोड़े से केसेज जो अब तक इस सम्बन्ध में हुए हैं उनको इस सदन के समक्ष रखता हूं।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

लोक सभा में ९ अप्रैल, १९६९ को कुछ व्यक्तियों ने इस प्रकार से विजिटर्स गैलरी से सदन में पर्चे फेंके। उनको प्रारम्भ में सोमवार के ११ बजे तक सजा दी गयी और उनको तीहार जेल में भी भेज दिया गया लेकिन फिर सदन में प्रस्ताव आया और उदारतापूर्वक सदन ने वह सजा १० तारीख तक कर दी। इसी प्रकार दूसरा केस है मध्य प्रदेश का। वहां विधान सभा में कुछ नारे लगाये गये। कुछ पेम्फलेट्स फेंके गये और उनको तीन दिन का कारावास का दंड दिया गया। उनको सेंट्रल जेल, भोपाल में भेज दिया गया लेकिन बाद में उनके दंड में भी कुछ संशोधन किया गया। तीसरा केस है १५ नवम्बर, १९६८ का। लोकसभा में पर्चे फेंके गये और उनको 18 नवम्बर तक का दण्ड दिया गया। यह दंड उनको तीहार जेल में भुगतना पड़ा। इसी प्रकार लोक सभा में १३ दिसम्बर, १९६९ को गैलरीज से पर्चे फेंके गये और इसमें उन लोगों को २० दिसम्बर तक की सजा दी गई और मैं समझता हूं कि यह सजा भी उनको भगतनी पड़ी तीहार जेल में। मैं इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि पर्चा सही है या गलत है और उसमें क्या चीज लिखी गयी है। यह इस सदन के सम्मानित सदस्यों के अवमान का सवाल है।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

जब संविद की सरकार थी और आप विपक्ष में थे तब भी इसी प्रकार के पर्चे फेंके गये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस तरह से बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामवचन यादव—

संविद की सरकार के समय में जब पर्चे फेंके गये थे तो आचार्य जी जब विपक्ष में बैठे हुए थे तो उन्होंने सजा का विरोध किया था और यही कहा था कि अपराधी को तम्बीह दे दी जाय। आज वह सरकार में हैं तो सजा की बात करते हैं। अपनी उसी राय पर क्यों कायम नहीं रहते जो संविद के समय में उन्होंने दी थी?

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से आप भाषण नहीं दे सकते। आप अपना आसन ग्रहण करें। यह तरीका नहीं है। आप अपने नेता से राय कर लें। इस पर इस तरह से कोई बहस नहीं हो सकती। अगर आप समझते हैं कि अवमान नहीं हुआ है जसा कि दीप नारायण मणि ने कहा वह अलग बात है। दीप नारायण मणि जी ने कहा कि सरकार के लिये पर्चों में लिखा हुआ हो और उनको फेंका जाय तो अवमान नहीं होता लेकिन अगर दीप नारायण मणि जी के खिलाफ कहा जाय तो अवमान हो जायगा। यह असंगति है उनकी। मैं उनको आश्वस्त कर दूं कि सदन के लिये एक नियम होगा। उस पर कोई राय दे रहा हो और वह आपकी राय से भिन्न हो तो उसको कृपया सुनिये। इस मामले में क्या करना है यह हम सबको तय करना है और मेरा दिमाग खुला हुआ है सुनने के लिये कि इस संबंध में क्या कार्यवाहियां हुई हैं। टोकाटाकी से इस तरह से कोई फायदा नहीं होने वाला।

श्री इन्द्रमणि—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं भी कुछ जानकारी चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वतः अनादर करते हैं चेयर का। आपको सोचना होगा अगर अनवरत आप टोकते रहेंगे और कहना नहीं मानेंगे तो कौन दोषी होगा? लोकमत और लोक सम्मति का प्रतीक है

यह सदन लेकिन अगर आपको चुनने वाला आदमी कोई इस तरह की कार्यवाही करता है तो हमको उसे दूसरी दृष्टि से सोचना पड़ेगा। मेरी राय यह नहीं है कि किसी के अवमान और अपमान के बारे में हम छुई मुई हों। यदि सदन का अवमान हुआ है तो सम्पूर्ण सदन को उस पर विरोध होना चाहिए किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा है कि यह सदन के अवमान का प्रश्न नहीं बनता है और इसमें कार्यवाही न हो। जो संकल्प यहां पर लाया गया है उस पर आप बहस करें और उसे स्वीकार करें या न करें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रमणि—

मेरा माननीय सदस्य की बात पर ही व्यवस्था का प्रश्न है और जानकारी उनसे चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई जानकारी नहीं होगी। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो भी दृष्टिकोण आपका हो उसकी विपरीत दिशा को भी सुनने के लिये आपको सक्षम होना चाहिए। मैं तो उसमें बहस करना चाहता हूं ताकि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय हो जाय। मैं तो इस विषय को भी खुल्ला छोड़ देता हूं कि आया यह प्रश्न अवमान का है अथवा नहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जो प्रश्न इस वक्त सामने है उसके सम्बन्ध में सभी सदस्यगण का बहुत अधिकार है। हम लोग कभी भी किसी भी प्रश्न को उठा सकते हैं चाहे वह किसी मन्त्री से सम्बन्धित हो अथवा किसी माननीय सदस्य से सम्बद्ध हो। मेरे मित्र ने कदाचित यह कहा कि संविद सरकार के समय में भी कुछ परचे फेंके गये थे। मैं भी कहता हूं कि अवश्य फेंके गये थे और उसके पहले भी फेंके गये थे तो क्या इसका मतलब यह है कि इस प्रथा को सदा-सदा के लिए स्वीकार किया जाय? क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यहां पर निरन्तर नारेबाजी होती रहे? चाहे उन परचों में किसी के भी सम्बन्ध में लिखा हो। आज मेरे सम्बन्ध में लिखा है, कल किसी दूसरे के सम्बन्ध में हो सकता है। अगर हम अपने को यहीं तक सीमित कर दें कि किस व्यक्ति ने परचे फेंके ऊपर बैठने से हमारी उनके प्रति सहानुभूति हो और दूसरा व्यक्ति परचे फेंके तो किसी दूसरे व्यक्ति की उस पर सहानुभूति हो। मैं नम्रता से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस सदन की गरिमा और हम सभी के आत्मसम्मान और आत्मगौरव के विरुद्ध होगा और इस सदन के आने वाले इतिहास के विरुद्ध होगा यदि हम इस पर अच्छी तरह से विचार नहीं करते हैं। जो दन्ड का प्रस्ताव यहां पर लाया गया है उसके सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार कर लें और उसको स्वीकार कर लें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह विषय सचमुच बड़ा गम्भीर है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस प्रश्न को पक्ष और विपक्ष का नहीं बनाना चाहिए यह प्रश्न सदन की प्रतिष्ठा से सम्बन्ध रखता है। यह घटना जो यहां पर घटी है उसके सम्बन्ध में हमें सोच-विचार कर निश्चय कर लेना चाहिए ताकि आगे के लिए एक परम्परा के रूप में बन जाय। मान्यवर, परचे फेंके गये, इसके दो अंश हैं। एक तो कि यह परचे फेंके गये और सदन की कार्यवाही में इससे बाधा पहुंची। दूसरा यह है कि उसमें एक मन्त्री के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें जो कुछ लिखा है वह किसी मन्त्री के विरुद्ध है इस विषय पर इस समय बहस नहीं हो रही है। प्रश्न यह है कि इससे सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची है। मैं सभी माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

सदस्यों से कहूंगा चाहे वे इधर के हों अथवा उधर के हों सभी लोग इससे प्रभावित हैं। किन्तु आपने इस प्रश्न को यहां पर रखने की अनुज्ञा नहीं दी है।

दूसरा प्रश्न जो है कि इससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी है अतः ये लोग अपराध के भागी हो जाते हैं। क्यों कि इसमें दो मत नहीं हैं कि इन्होंने अपराध किया है। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता जैसे कि माननीय आचार्य जी ने कहा। अच्छी तरह से इस विषय पर अध्ययन न कर सकने की वजह से मेरे मन में केवल एक यही बात इस समय खटकी जैसे कि एक वकील होने के नाते हो सकती है जब किसी अपराधी पर कोई चार्ज लगाया जाता है तो उससे पूछा जाता है। उस पम्फलेट के सम्बन्ध में उनसे नहीं पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ? लेकिन चूंकि मैं जानता नहीं इसलिए उस पर राय व्यक्त करने से असमर्थ हूं। प्रश्न होगा कि अपराध हो गया, इसको सब मानते हैं तो क्या किया जाय ? पहले भी यह हुआ है और आज भी हुआ। जब हम मानते हैं कि कितना ही गम्भीर आरोप क्यों न लगाया गया हो जब हम दण्ड देने जा रहे हैं तो जो उस पर्चे में लिखा है वह चीज दिमाग में नहीं लानी चाहिए। यदि कहीं लायेंगे, बाहर लायेंगे तो उसका जो दन्ड होता है आप या दूसरे उसके मालिक होंगे। अपराध हुआ, यह सबको स्वीकार है, पर क्या सजा दी जाय इस पर अगर विवाद हुआ तो पर्चे में जो लिखा है उसकी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम केवल फेंकने के विषय पर दन्ड देना चाहते हैं।

मैं समझता हूं कि जो दन्ड प्रस्तावित किया है बहिन जी ने वह बहुत अधिक है इस प्रश्न के लिए। हम मानते हैं कि अगर भविष्य के लिए ऐसा करना चाहते हैं कि जो बाहर से फेंकेगा उसको हम अधिक से अधिक दन्ड देंगे, लेकिन उसके लिए आप नियम में परिवर्तन कीजिये ताकि इस प्रकार की आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए जब कि हम पर्चे के विषय को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ७ रोज का कारावास रखने को कहें यह ठीक नहीं होगा। हमारे माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार करें। ऐसी चीजें तो आती हैं, हमको बरदाश्त करना पड़ेगा, उसके लिए उपाय सोचना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा इस सदन की प्रतिष्ठा के लिए। मैं पुनः दोहराता हूं कि हम पहले नियम बनायें कि इस चीज के लिए इतने से कम सजा नहीं देंगे, क्योंकि हम इन्टेंशन किसी का रीड नहीं कर सकते। जो परिस्थितियां आती हैं उनसे ही निष्कर्ष निकाल कर किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि इस सदन की गरिमा और महिमा के नाते और सबकी प्रतिष्ठा के नाते अपराध तो माना जाय लेकिन जो सजा की है इसे कम कर दिया जाय और वही किया जाय जैसा कि इन्होंने कहा है।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)——

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो इस सदन के गौरव और गरिमा हर कीमत पर बनाये रखने के हामी हैं। जो भी इस सदन का अवमान करता है उसको यदि इससे भी कड़ी सजा दी जाय तो मैं उसका विरोध नहीं करता। क्योंकि ऐसी घटनायें अनेक बार पहले भी हो चुकी हैं। हमने उदारता दिखला कर देख लिया। उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। परन्तु मुझे आपत्ति है उस प्रक्रिया पर जो यहां अपनाई गई। आपने अभियुक्तों से केवल "हां" और "ना" में उत्तर देने को कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा इजलास ऐसा है जो अभियुक्त से कहेगा कि केवल "हां" और "ना" में उत्तर दो। आज हम उत्तर प्रदेश विधान सभा की हैसियत से यहां नहीं बैठे हैं, बल्कि एक जुडीशियल बाडी के रूप में बैठे हुए हैं। मैं प्रत्येक सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि वह अपने मन से पूछे कि क्या उन अभियुक्तों को अपनी सफाई करने का अवसर दिया गया अथवा नहीं ? मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से कहता हूं कि मुझ से अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको पूरा अवसर अपनी सफाई पेश करने का नहीं दिया गया। सफाई किस बात को दें ?

मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं कि महात्मा गांधी की हत्या की गई। हजारों लोगों ने देखा, फिर भी उन अभियुक्तों को पेश किया गया पुलिस के सामने। पूरी प्रक्रिया बरती गई। उनको अवसर दिया गया कि वे अपना बयान दें और जो भी सफाई देना चाहें वह दें। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो इस बात का भी हिमायती हूं कि यदि प्रक्रिया ठीक हो तो उनको ७ दिन के बजाय १४ दिन की सजा दें, मैं सहर्ष उसका समर्थन करूंगा। लेकिन आपने जो प्रक्रिया अपनाई है, जैसा कि एक सदस्य ने कहा, इस प्रक्रिया के विरोध में यदि अपील हो कि नेचुरल जस्टिस नहीं किया गया, अभियुक्त को अपनी सफाई का अवसर नहीं दिया गया और इसी सदन के सदस्यों को वहां तलब किया जाय तो मैं मानता हूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि हां, उसको पूरा अवसर नहीं दिया गया सफाई देने का। अगर आप एक प्रश्न और पूछ लेते कि क्या तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है और वह कह देते कि कुछ नहीं कहना है तो प्रक्रिया सन्तोषजनक होती और सजा देना ठीक होता। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए आगे चल कर उलझन न पड़े और गलत परम्परा न पड़े और नैचुरल जस्टिस में हर एक अभियुक्त को अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिये। इसलिए मैं इसी सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय जिससे ठंडे आवरण में वहां पर निर्णय लिया जा सके मैं इसको कड़ी सजा नहीं मानता हूं।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)--

श्रीमन्, यहां पर दो मुलजिम खड़े किये गये और वे मुलजिम की हैसियत में खड़े किये गये। लेकिन माननीय मन्त्री जी की तरफ से प्रस्ताव आया कि उनको सात दिन की सजा दी जाय। अगर यही नियमों में लिखा हुआ है तो ठीक है कि इस तरह का नियम है। लेकिन मैं समझता हूं कि नियम ऐसा नहीं होगा और न होना चाहिए। दूसरे आपने कहा कि उनको मौका मिलना चाहिये था जवाब देने का, तुमको सफाई देनी है या नहीं यह पूछा जाना चाहिये था। अगर किसी मुलजिम को फांसी की सजा होती है तो उसे भी मौका मिलता है। हर एक मुलजिम को जिसको सजा देनी है उसे मौका मिलना चाहिये कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है या नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री जयराम वर्मा का नाम पुकारने पर)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मुझे कहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको क्या कहना है ? मैंने उनको बुला लिया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मुझे केवल दो मिनट चाहिये।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि ऊपर से सदन के अन्दर पर्चे फेंके जाना सदन के काम में अवरोध पैदा करना है। इससे सदन का अवमान हुआ है। सदन की गरिमा जरूरी रखी जानी चाहिये। सदन की गरिमा रखने में कोई दल विशेष का प्रश्न नहीं है। सब के लिए एक तरह का प्रश्न है। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके

[श्री अयराम वर्मा]

बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है जिस तरह से उनसे बात पूछी गई। लेकिन दिल में यह बात जरूर लगती है कि उन्होंने कह दिया कि उनको जानकारी नहीं है कि उनके इस कार्य से सदन का अवमान हुआ या नहीं। लेकिन हो सकता है कि उनके दिल में कोई बात सफाई की रही है। प्रक्रिया के बारे में मैं कहता कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि उनको मौका मिलना चाहिये या नहीं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही उसमें कुछ खटकता है।

जब आपने अन्तिम प्रश्न किया कि क्या उनको दुख है इस काम के लिए और वे इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। उनको जानकारी है या नहीं कि इससे सदन का अवमान हुआ या नहीं। लेकिन इतना वह कह सकते थे कि यदि नियम के अनुसार सदन का अवमान हुआ है तो इसके लिए वह दुःख प्रकट करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। इस तरह की बात कहीं जानी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। इस सदन में सजा देने के बारे में जो प्रस्ताव आया है, मैं समझता हूं कि जिस तरह की कार्यवाही अब तक होती रही है, उसको देखते हुए यह सजा मुझे जरा कुछ ज्यादा मालूम होती है और मुझे इसमें कुछ नरमी की आवश्यकता मालूम होती है। हम यह समझते हैं कि इसमें सदन का अवमान हुआ है, वे अवमान के दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन क्या यह ठीक नहीं होगा कि उनको सदन के उठने तक की सजा दे दी जाय। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। सजा तो उनको हो ही गई। सदन का जो अवमान हुआ उसके लिये उनको सजा हो गई।

*श्री रियासत हुसैन---

उपाध्यक्ष जी, दीप नारायण मणि जी ने नियम ३०७ का हवाला दिया और यह कहा कि सदन का अवमान नहीं हुआ और उन्होंने यह भी कहा कि माननीय अध्यक्ष को यह पावर है कि वह किसी भी अजनबी को प्रिसिन्क्टस आफ दि हाउस से निकाल सकते हैं। यह ठीक है कि ३०७ में किसी अजनबी को निकालने का अधिकार अध्यक्ष को है लेकिन किसी को अपराधी मान कर उसको सजा देने की बात कहना, यह उसके ऐक्शन की बात है। अजनबी ने पर्चे फेंकने का काम किया। उससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। इसलिये ३०७ का जो हवाला दिया गया है वह इससे निरस्त हो जाता है।

दूसरी बात यह कही गई है कि सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। नियम ७१ में यह लिखा हुआ कि अगर जुर्म सदन के सामने नहीं किया गया है तो मुल्जिम को बुला कर उसको सफाई देने का मौका दिया जायगा। लेकिन यह सब कार्यवाही तो सदन के सामने ही हुई है। इसमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं मालूम होती। इसमें तो सारी बात ही सदन के सामने हुई है इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि उनको सफाई का मौका मिलना चाहिये। इसीलिए यह सदन का कोर्ट इस बात के लिए सक्षम है कि वह इस रिजोल्यूशन को पास करे।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि नियम ३०५, ३०६, ३०७ में यह कहां लिखा है कि उनको सजा दी जा सकती है।

श्री रियासत हुसैन---

नियम ७१ में जो सफाई देने की बात है वह उस वक्त के लिए है जबकि जुर्म सदन के सामने न हुआ हो। लेकिन इस केस में वह सवाल ही पदा नहीं होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरा सवाल न्याय के बारे में उठाया गया है। सदन का अवमान हुआ है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि नियम उनको नहीं मालूम। लेकिन जब उनसे कहा गया कि क्या अपने काम के लिए वे सदन से क्षमा मांगते हैं लेकिन उसके उत्तर में उन्होंने साफ मना कर दिया। सदन से उन्होंने क्षमा याचना नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कुछ उन्होंने किया जानबूझ कर किया। वे जानते थे कि इससे सदन का अवमान होगा। इन सारी बातों को सामने रखते हुए, सदन की गरिमा को देखते हुए, और इस प्रकार की परम्परा को आगे से रोकने के लिए, यह जरूरी है कि जो प्रस्ताव नेता सदन ने किया है उसको पास कर दिया जाय ताकि आगे इस तरह की कोई घटना न घटने पाये।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मान्यवर, इस प्रकार का अवसर इस माननीय सदन के इतिहास में बहुत कम आया करता है। यह भी सभी माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं कि इस समय हम जिस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं उसके अधिकार कभी-कभी मिलते हैं। यह भी बात सही है जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सदन के कार्य में बाधा पड़ी। यह भी सही है कि सदन सक्षम है, हम उनको कोई लम्बी सजा भी दे सकते हैं। मैं उनसे असहमत नहीं हूं किन्तु जो हमारे नियम हैं उन नियमों का भी हवाला दिया गया है कि हमारे नियमों में यह लिखा हुआ है। जैसा कि श्री रियासत हुसैन साहब ने कहा और नियम ७१ का हवाला दिया, मैं और बातों में न जाकर नियम ६८ के अन्तिम पैरा (४) की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें है "(४) इस नियम में उपबद्ध प्रक्रिया उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी, जो सदस्य न हों, यथोचित परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होगी। उसका पहला है (१) यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निस्तारणार्थ लाया जाना निश्चित हो जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायगी और उनको स्पष्टीकरण तथा निर्दोषिता सिद्धि के सम्बन्द्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा तत्सम्बन्धी लेख्य या लेख्यों के निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा। चौथे में करीब-करीब वही प्रक्रिया अपनाई गई है इसके सम्बन्ध में। लेकिन कितनी गम्भीरता से हम कर सकेंगे वह इसी से निपटारा होगा। नियम ७३ में दंड की व्यवस्था की गई है। ७३--दंड---यदि विशेषाधिकार समिति की यह राय हो कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है, तो समिति सिफारिश कर सकेगी और सदन को निम्नलिखित दन्ड देने की शक्ति होगी :---

> (१) भर्त्सना, (२) शास्ति, (३) सदस्य का निलम्बन (४) जुर्माना, (५) सदस्य का निष्कासन (६) कारावास जिसकी अवधि सदन के प्रसाद पर निर्भर है, परन्तु सत्रावसान या विघटन के उपरान्त आगे नहीं बढ़ सकती, और (७) कोई अन्य दन्ड जिसे सदन अनुच्छेद १९४ के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित और ठीक समझे।"

इसी तरह से नियम ७४--में है---"निराधार शिकायत---ऐसी अवस्था में जब कि सदन को यह पता चले कि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान का आरोप निराधार है तो वह आदेश दे सकेगा कि शिकायत करने वाला उस पक्ष को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, बाद---व्यय के रूप में ऐसी धनराशि दे जो ५०० रुपये से अधिक न होगी"।

इन सब को पढ़ने का सार यह है कि यहां पर हम कोई चीज जल्दी में न पारित कर दें बल्कि हमें बहुत गम्भीरता के साथ, धैर्य पूर्वक इस मामले को करना है। हमें मालूम हो कि एक चीज निराधार है तब भी हमारे सदन की जो विशेषाधिकार समिति है उसमें इसको भेजने का प्राविधान है और यह जानते हुए भी कि यह चीज गलत है जो यहां हुई है, और इसके लिये दण्ड का भी प्राविधान है फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानून का यह फंडामेंटल उसूल है, नेचरल जस्टिस है कि कोई दोषी व्यक्ति छूट जाय, वह ठीक है, लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न होनी चाहिये। सारे देश की विधान सभाओं ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो यहां पर बयानात हुए, जैसा कि माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा कि इसके साथ ही केवल एक चीज को देखा जाना चाहिए कि क्या अभियुक्तों ने दीदा दानिश्ता सदन के अवमान की दृष्टि से यह काम किया या नहीं किया? उनका इरादा क्या था? मैं कहता हूं कि अगर माननीय सदस्यों को जरा चोट भी पहुंचे तो मैं आपके माध्यम से बड़ी नम्रता से उनसे कहना चाहता हूं कि सदन के सामने सारी स्थिति है।

माननीय सदन की यह देखना है कि अभियुक्तों का उद्देश्य सदन का अवमान करने का था या नहीं था। मैं कहता हूं कि उनका उद्देश्य सदन का अवमान करने का नहीं था। जो कुछ उन्होंने किया वह गलत है या सही है इसमें मैं नहीं जाना चाहता लेकिन उस पर्चे में एक माननीय मंत्री के विरुद्ध कुछ बातें थीं और उस पर्चे को उन्होंने ऊपर से फेंका। मैं कहता हूं कि पर्ची फेंकने के दोषी वे जरूर हैं लेकिन उस निर्णय पर पहुंचने से पहले जैसा कि माननीय दीप नारायण मगिजी ने कहा कि उनका इरादा यह नहीं था कि वे सदन का अवमान करें, मैं सभी माननीय सदस्यों को इस राय का समझता हूं कि दीदा दानिश्ता उन का कोई इरादा इस सदन के अवमान करने का नहीं रहा था। इसके साथ ही मैं निहायत अदब के साथ एक बात और कह देना चाहता हूं कि आपकी प्रोसीडिंग्स में यह दर्ज होगा और जहां तक मुझे याद है बायीं तरफ से इसी सदन में एक बार पर्चा फेंका गया था और वह चीज जब सदन के सामने आई तो उस समय सदन ने उदारता बरती थी तो उसी तरह से इसमें उदारता क्यों नहीं बरती जा सकती। एक के लिए एक माप दन्ड और दूसरे के लिए दूसरा माप दंड, ऐसा क्यों?

उस समय जब सदन में इन्दिरा गांधी की जय के नारे लगे थे तो भी इस सदन में उस पर कोई नोटिस नहीं ली। आपकी नजर में भी यह चीज होगी। उस समय इस तरह कोई वितंडावाद भी नहीं हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ही तरह का बेरोमीटर सब के लिये होना चाहिये। दो तरह का मापदंड नहीं होना चाहिये। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे वयोवृद्ध माननीय जयराम बर्मा जी ने जो सुझाव दिया है कि उनको पर्चा फेंकने के जुर्म में सदन के उठने तक की सजा दे दी जाय, इसको आप स्वीकार कर लें। क्योंकि दोनों अभियुक्त आपकी कस्टडी में हैं, आपकी हवालात में हैं और आज के दिन की ही उनको सजा हो जाय तो वह बहुत काफी है। आपकी हवालात में हैं और दिन भर की उनका सजा बहुत काफी है और सम्मानित सदन को बहुत गम्भीरतापूर्वक यह करना चाहिये क्योंकि हम न्याय पीठ पर बैठे हैं। आप इस सजा को काफी मान लें और माननीय जयराम बर्मा जी ने जो सुझाव दिया कि जो सजा वे भुगत चुके हैं उतनी ही काफी समझी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राज मंगल पांडेय, असल में जो आप बहस करते हैं वह यह ध्यान में रखते हुए करें कि क्या वाकई अवमान हुआ या नहीं। यदि हुआ तो क्या हम दंड दे सकते हैं या नहीं। और भाषण की आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन, मैं आप का ध्यान नियम ७० की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। माननीया बाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह हमारे नियमों के अनुकूल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

एक प्रस्ताव आया है, अब यह सोचना है....

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। इस तरह से हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

ये वकील हैं तिल का ताड़ बनाते हैं। जब वह जुर्म कबूल करते हैं तो सफाई देने का क्या सवाल है?

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

आखिर कब तक यह सदन चलेगा?

श्री उपाध्यक्ष---

समय की बात नहीं है। जब तक यह प्रश्न समाप्त न हो जाय हम बैठेंगे। आपको काम हो तो आप चले जाइये।

*श्री कृष्णानन्द राय---

मैं आपका ध्यान नियम ७० की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर केवल इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है :---

"मूल प्रस्ताव---जब सदन इस प्रस्ताव से---

(१) कि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान, जो सदन के प्रत्यक्ष ही किया गया हो, के प्रश्न पर विचार किया जाये, या

(२) कि नियम ६७ के अन्तर्गत विषय पर तत्काल विचार किये जायें, तीसरे का इससे सम्बन्ध नहीं है। तो इस तरह का प्रस्ताव आयेगा और ऐसी सहमति हो जाय तो कोई सदस्य मूल प्रस्ताव कर सकेंगे जिसमें यथास्थिति विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान अथवा प्रतिवेदन को अभिपुष्ट करते हुये सुझाव होगा कि सदन की उस पर क्या कार्यवाही करनी चाहिये तथा कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे।"

लेकिन, माननीया बाजपेयी जी ने तो इस सारे प्रोसीजर का उल्लंघन कर के यह प्रस्ताव कर दिया। आप ने तीन सवाल पूछ लिये और उन तीनों सवालों के ऊपर सोचने का जरा सा अवसर भी नहीं मिला सदन को कि माननीया बाजपेयी जी ने एक प्रस्ताव कर दिया कि एक सप्ताह के लिये कारावास दे दिया जाय। अगर हम लोग इस प्रकार से जल्दी काम करेंगे तो यह हमारे नियमों के तो प्रतिकल होगा ही नेचुरल जस्टिस के भी प्रतिकूल होगा। इससे हम अपने सदन की गरिमा नहीं बढ़ायेंगे। इसलिये हमारा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय बाजपेयी जी से कहें कि एक सप्ताह का जो प्रस्ताव किया है उस को वापस करें और नियम ७० के अन्तर्गत प्रस्ताव दें कि सदन इस पर विचार करे और सदन जब सहमत हो जाय तो सदन की एक आम राय से निलम्बन वगैरह का प्रस्ताव लायें। यह प्रस्ताव तो बिल्कुल अनियमित है। इस को तो वापस करा दें आप।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्री कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रस्ताव उठाया है उसके संबंध में केवल इतना ही कहूंगी कि न तो हम किसी जल्दी में कोई कार्य कर रहे हैं और प्रातः आज जो घटना हुई उस के लिये अध्यक्ष महोदय ने पूरा दिन लिया जब मार्शल की रिपोर्ट आ गई। सुबह ही हमारे करने पर कि सदन के सामने घटना हुई है और उस पर तुरन्त कार्यवाही और बहस होना चाहिये क्योंकि अवमानना हुई है और धारा ६३ के अनुसार कार्यवाही हो सकती है वह होना चाहिये लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अभी मैं इजाजत नहीं देता हूं। पूरा दिन बीतने के बाद जब पूरी जानकारी अच्छी तरह से आ गई और मार्शल की रिपोर्ट आ गई कि पर्चे फेके गये हैं। उसके बाद आप ने जो अब आरम्भ में कहा कि इस से सदन का निश्चित रूप से अवमान हुआ है और आप इस विषय में सन्तुष्ट हो चुके हैं क्योंकि घटना तो सदन के सामने की ही थी और उसके लिये जितना समय आप ले सकते थे उतना समय लेने के बाद आप ने कहा कि सदन का अवमान हुआ है और आप अब आश्वस्त हो चुके हैं। उसके बाद यह प्रस्ताव आता है जो नियमानुकूल है। माननीय कृष्णानन्द जी ने धारा ७० का उल्लेख किया है वह तब लागू होता है जब कि विशेषाधिकार समिति के सामने अवहेलना का प्रश्न आता है और उसके बाद यह चीज सदन में आती। इसलिये मैं समझती हूं कि मेरा यह प्रस्ताव उचित है और वह नियमों के भी अनुकूल है और जि सको मैंने आप की आज्ञा से सदन के सामने उपस्थित किया है इसलिये इस पर मौका दिया जाय और सदन इस पर निर्णय ले।

(श्री राज मंगल पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीराम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

आप कभी इधर ध्यान नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष—

वह हम सब तरफ ध्यान देते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या आपने यह तय कर लिया है कि हम इसमें भाग न लें ?

श्री उपाध्यक्ष—

हम ने तो यह तय किया है कि आप सब भाग लें।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष जी, यदि आप इस सदन की प्रक्रिया नियमावली को देखने का कष्ट करें तो साफ जाहिर होगा कि कामन ला में और यहां के नियमों में फर्क है। आप अपने नियम ६३ व ७१ को देखें तो नियम ६३ में साफ कहा गया है कि "सदन बिना किसी शिकायत के प्रस्ताव कर सकता है...(व्यवधान) और विशेषाधिकार भंग या अवमान सदन के सामने हुआ हो.....

अनेक सदस्य—यह पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

उन को कहीं से पुरानी प्रति मिल गई है।

श्री राज मंगल पांडेय—

यह नियमावली से मैं पढ़ रहा हूं।

(हंसी)

अब आप जरा नियम ७१ भी देख लें। इस में लिखा है कि ("उस दशा को छोड़कर जबकि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष किया गया हो, सदन दन्ड आदेश देने के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये गये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषिता-सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर देगा।"

यह जाहिर करता है कि स्पष्टीकरण देने का प्रश्न उस वक्त पैदा नहीं होता जबकि अवमान सदन के सामने, उसके समक्ष हुआ हो। यह कहा गया कि प्रक्रिया नियमावली जो है....

श्री उपाध्यक्ष---

आप नियम ७१ का परन्तुक भी पढ़ें।

श्री राजमंगल पांडेय---

वह है, परन्तु यदि यह विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जा चुका है। यह इस पर एप्लाई नहीं करता। नियम ७१ की जो क्वालिफाइंग क्लाज है, वह इस पर एप्लाई नहीं करता है।

अब, श्रीमन्, जो प्रक्रिया यहां पर बरती गयी है, वह मुनासिब हो या न हो, जैसा कि माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा। श्रीमन्, इस पर दिन भर का वक्त दिया गया और अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात की कोशिश की कि जिन्होंने गल्ती की है, सदन का अवमान किया है, अगर अपना दोष मान लें तो अधिक से अधिक रियायत कर दी जायगी। ये व्यक्ति यहां पर उपस्थित किये गये लेकिन श्रीमन्, के यह कहने पर कि "तुम क्षमा मांगते हो"। उस बर भी उन्होंने यह कहा था कि "मैं क्षमा नहीं मांगता हूं"। उनका जो एटीट्यूड था वह, श्रीमन्, बड़ा ही डेफायन्ट था। उन्होंने हमारी प्रक्रिया के विरुद्ध स्पष्ट रूप से काय किया है। उन्होंने जानबूझकर किया है और वे सदन के अवमान की अवहेलना अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। तो ऐसे इन्सान के साथ क्यों हम दर्दी हो सकती है। माननीय शास्त्री जी ने यह कहा कि चूंकि इसके पहले ही यहां पर इंदिरा जी के नारे लगे थे तो मेरा निवेदन है कि उस समय उन लोगों ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था और जब कोई प्रश्न नहीं उठता था तो उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है।

श्रीमन्, आपको मालम है कि सदन का अवमान करना जुर्म है। अगर यह जुर्म है तो क्या वे क्षमा मांगते हैं। किसी ने भी इन सवालात के बारे में नहीं कहा कि कौन से सवालात हो सकते थे प्रक्रिया के कौन्सीक्वेन्स में। वे जानबूझ कर कह रहे थे कि हम माफी नहीं मांगते हैं तो यह निश्चित बात है कि उनका एटीट्यूड बड़ा ही डैफायन्ट रहा और उसके साथ कोई रियायत बरतने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह बिल्कुल उचित है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि आप नियम ७१ को देखें। उसमें दोषारोपित व्यक्ति के लिए यह दिया गया है कि "उस दशा को छोड़ कर जबकि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष किया गया हो, सदन दंड आदेश देने के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये गये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषिता सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर देगा।" यानी नियम के हिसाब से आप को किसी चीज को, जैसे माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने और अन्य सदस्यों ने कहा, इससे यह बात कट जाती है। इसके बारे में अगर किसी का दृष्टिकोण हो तो वह स्पष्ट करने की कृपा करें, तो अच्छा होगा।

श्री राम बिलास पाण्डेय---

श्रीमन्, पूरा सदन यह मान चुका है कि दर्शक दीर्घा से जिन्होंने पर्चे गिराये हैं, उन्होंने बहुत गलत काम किया है। अभी-अभी जब उनको सदन में बुलाया गया और माननीय उपाध्यक्ष न गहा कि इसके लिये थोड़ा समय चाहते हैं, विचार करने के बाद करेंगे। माननीय वर्मा जी

[श्री राम बिलास पाण्डेय—]

ने उसी वक्त कहा कि उसका ट्रायल हो जाय और जो सजा देनी हो दी जाय, वह सजा उसी वक्त नहीं हुयी। उसके बाद सदन के सामने लाये गये और जो आपने प्रश्न किया कि आपने पर्चा गिराये हैं तो उन्होंने कहा "हां"। आपने यह कहा कि यह गलत काम है और इससे सदन का अवमान होता है तो उन्होंने कहा कि, मान्यवर, मुझे नियमावली का ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानता में ऐसा कर गया (नहीं नहीं की आवाजें, यह नहीं कहा गया) माननीय उपाध्यक्ष जी इसके साक्षी हैं। उसने स्पष्ट कहा कि, मान्यवर, मुझे ज्ञान नहीं रहा कि मैं नियमों के खिलाफ जा रहा हुं।

(व्यवधान)

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, न आपने पूछा और न उन्होंने कहा।

श्री राम बिलास पाण्डेय—

इसके बाद आपने कहा कि जवाब दो कि आप माफी मांगते हैं या नहीं? मान्यवर, मुमकिन था कि वह सदन के सामने माफी भी मांग लेते लेकिन इतनी तेजी से कार्यवाही चल रही थी कि उनके ऊपर रुआब गालिब हो गया। हां ना में जवाब दो। उसने नहीं किया। एक चीज की तरफ ध्यान में दिलाना चाहता हूं। भानु बाबू जी ने ठीक ही कहा कि शान्ति के मसीहा गांधी जी को मारने वाला रंगें हाथों पकड़ा गया। जिस पर विश्व की मानवता रो पड़ी थी। लेकिन उसके कातिल को भी मशविरे के लिये अपनी हिफाजत के लिये, पैरवी के लिये मौका दिया गया, उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद नाथूराम को फांसी दी गई। अभी कृष्णानत्द जी ने कहा कि माननीय बाजपेयी जी को नियमों के मुताबिक प्रस्ताव करना चाहिये था। सही है कि उसने जुर्म किया था लेकिन प्रोसीडिंग्स कायदे में चलनी चाहिये थी। माननीय बाजपेयी जी को प्रस्ताव करना चाहिये था। आपने प्रश्न किया। प्रश्न करने के बाद प्रस्ताव आता। सदन उस पर बहस करता। उसके बाद बाजपेयी जी निश्चित करतीं कि सजा दी जाती है। मैं समझता हूं कि जल्दबाजी में कार्यवाही हो रही है।

सदन का अपमान हुआ है। उसको हम जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि पिछली घटनाओं की तरह हम कोई ऐसा काम कर जाय जिससे सदन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने मुंह की खानी पड़े। इसके लिये नियमावली को अच्छी तरह देखने के बाद बाजपेयी जी अगर उचित समझें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक हफ्ते की सजा या एक घंटे की सजा बराबर की सजा है। कटघरे में उस को खड़ा किया गया है। वह कटघरे में खड़े रहें हाउस उठने तक के लिये। मान्यवर, वर्मा जी ने कहा कि उस को सजा दी जाय, यह कोई अनुचित बात नहीं है। लेकिन एक हफ्ते की सजा नहीं। मगर बाजपेयी जी ने यह कहा कि इसी से सदन की मर्यादा की रक्षा हो सकती है। आगे के लिये आप सख्त से सख्त नियम बना दें कि ऐसा करने वाले को छः महीने की सख्त कैद की सजा दी जायेगी उससे ऊपर बैठे हुए या आने वाले लोग शिक्षा ले सकते हैं। इसलिये इसमें नम्र होना चाहिये।.....

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, सभी सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों इस बात को कबूल किये हैं कि हाउस का अवमान हुआ है और नियमावली में भी साफ है कि जब हाउस के सामने अपमान हुआ और उस पर भी आये दिन इस हाउस में ऐसी घटनायें घट रही हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री त्रिवेणी जी कहते हैं कि सब ने कबूल कर लिया है....

श्री त्रिवेणी राय—

इन्होंने एडमिट किया है कि हाउस का अपमान हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने लिये कह सकते हैं कि अवमान हुआ है। सदन के लिय कैसे कह सकते हैं ?

श्री त्रिवेणी राय—

माननीय त्रिपाठी जी ने कहा है कि सदन का अवमान हुआ है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे गम्भीर प्रश्न के बारे में भी हम दृष्टिकोण दें इस पर विचार कर लें। यहां पर यह कहा गया कि अवमान दो कारणों से नहीं हुआ। माननीय त्रिपाठी जी ने एक कारण यह बताया कि यह स्पष्ट होना चाहिये था कि जो अपमान करने वाले हैं उनकी नीयत अपमान करने की थी और दूसरा कारण बताया कि चूंकि उनको सफाई देने का मौका नहीं मिला है लिहाजा तमाम प्रोसीडिंग्ज जो हम चला रहे हैं वह अनियमित हैं...

एक सदस्य—

प्रस्ताव भी अनियमित है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

तो मेरा निवेदन यह है कि तमाम मित्रों के भाषण हुए, इस बात को सब ने स्वीकार किया कि सदन के अन्दर एक बहुत गम्भीर घटना हुई है। इस घटना को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सदन का अवमान हुआ है। इस सदन के सम्मुख जब वह व्यक्ति पेश किये गये थे तो आप ने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या आप ने गैलरी से परचे फेंके तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो जहां तक उस ऐक्ट का प्रश्न है, जो गैलरी से परचे फेंकने की बात है उसको वह स्वीकार करते हैं। अब सदन को यह देखना है कि जो उन्होंने कार्य किया आया उससे सदन का अवमान होता है या नहीं। हमने देखा कि परचे सदन में फेंके गए। सदन के अन्दर जो प्रोसीडिंग्स चल रही थीं वह इन्टरप्ट हुई और अफैक्ट हुई और यहां तक हुआ कि सदन को एक बार आपको स्थगित भी करना पड़ा। तो जहां तक सदन की प्रोसीडिंग्स की बात है, उसमें आब्सट्रक्शन होने की बात है, उस ऐक्ट के जरिए से वह तो है और मैं समझता हू कि सदन के अवमान का प्रश्न इससे पूरा हो जाता है।

अब रही नीयत की बात। नीयत के बारे में कहीं भी कोई थर्मामीटर नहीं होता। किसी व्यक्ति के आचरण से, उसके कडक्ट से और उस आचरण के बाद जो सब्सीक्वेन्ट कडक्ट होता है उससे उसकी नियत देखी जाएगी। हमने क्या देखा ? छपे हुये पर्चे लेकर वह गैलरी में पहुंचे। पर्चे गैलरी से यहां फेके गये। नारे लगाये गये। तो उनका जो मकसद था, जो नीयत थी वह इस हाउस की प्रोसीडिंग्स को किसी तरह से आब्स्ट्रक्ट करने की थी ताकि उनकी तरफ ध्यान जाय। अब सब्सीक्वेन्ट कडक्ट क्या है ? उनको मालूम है अच्छी तरह से कि सुबह से माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से वे हिरासत में ले लिये गए हैं। उनको यह भी मालूम है कि उनको सदन के सामने पेश किया गया है केवल इसलिए कि उन्होंने सदन का अवमान किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने उनसे प्रश्न किये और उन प्रश्नों के उत्तर मे इस सदन के सामने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

जिसकी कि उत्तर प्रदेश में इतनी गरिमा है, वे क्षमा याचना तक करने के लिए तैयार नहीं हुए । तो मेरा निवेदन है कि जहां तक सदन के अवमान का प्रश्न है, उन अभियुक्तों की नीयत सदन का अवमान करने की थी और उन्होंने जो अपना एक्ट अपना एक्ट एडमिट किया है उससे सदन का अवमान होता है ।

अब जहां तक उनको अपने बचाव का मौका देन का प्रश्न है, मान्यवर नियम ६८ के बाद जो नियम ७१ रखा गया है यह एक्सेपशन के तौर पर रखा गया है । नियम ७१ में आप देखें शब्द ये हैं--

"उस दशा को छोड़कर जबकि.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आप दोहरा रहे हैं । मैं पढ़ चुका हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रीमन्, इसी सदन की एक व्यवस्था है...(व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस संबंध में एक व्यवस्था इसी सदन की है । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब इस सदन के २५ माननीय सदस्यों को हाउस से बाहर कर दिया गया था उस समय सदन के सामने यही प्रश्न रखा गया था । हम लोगों को जिनको कि इस हाउस से निलम्बित कर दिया गया था और बाहर कर दिया गया था, हमको भी मौका नहीं दिया गया था अपना पक्ष बताने का और उस समय भी माननीय अध्यक्ष ने नियम ७१ का हवाला देते हुए कहा था कि नियम के अन्तर्गत व्यवस्था नहीं है । इसको माननीय अध्यक्ष ने उस समय कहा था । अब जहां तक दण्ड का प्रश्न है इसमें कोई बात नहीं है, दण्ड देन के लिये सदन सक्षम है, परन्तु इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यही सदन आरोप लगाने वाला है और यही सदन सजा देने वाला है ।

(व्यवधान)

जब हम आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने में हम कोई अन्याय नहीं करते हैं । जहां तक दण्ड का प्रश्न है उस पर बड़े ठण्डे दिमाग से सोचना चाहिये । हम ही आरोप लगाने वाले हैं । कहीं ऐसा न हो कि प्रजुडिस होकर आवश्यकता से अधिक दण्ड किसी को दे जाएं । एक संशोधन माननीय जायसवाल जी का है और एक प्रस्ताव माननीय बाजपेयी जी का है। कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिये । मैं बाजपेयी जी से अपील करूंगा कि माननीय सदन के तमाम माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाल लें ताकि एक राय से दण्ड वाले प्रस्ताव को पास कर सकें ।

श्री शिवकुमार पांडेय---

मेरा प्रस्ताव है कि बहस सस्पेन्ड की जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपने प्रस्ताव किया है कि बहस रोक दी जाय ।

श्री शिव कुमार पांडेय---

11 बजे से हम लोग बैठे हैं---लंच भी बीच म नहीं होता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो क्या मैं स्थगित कर दूं कि आज बहस नहीं होगी ? आप सरकारी पक्ष के होकर यह बात कहते हैं ।

(श्री शिव कुमार पांडेय के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें, कोई बात कहनी हो तो कहें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, इस माननीय सदन की प्रतिष्ठा सदन के अन्दर व सदन के बाहर इस प्रदेश की सामान्य जनता में बनी रहे इसलिये इसको सदन का अवमान अपराध माना गया है । कानून की स्थिति देखें, मान्यवर । अवमान की हालत में सदन तुरन्त कार्यवाही करता है, बगैर देर के कार्यवाही होनी चाहिये । यह स्थिति है । लेकिन यहां पर जो बार-बार नियम 71 का हवाला देते रहे उनको मेरी बिरदराना सलाह है कि फुर्सत के वक्त नियमों को गौर से और बार-बार पढ़ लिया करें । मान लीजिये किसी आदमी ने जुर्मकिया तो खाली इतना ही उसकी सजा के लिये काफी नहीं है । जुर्म अगर होता है तो सजा कानूनी हो और कानून और विधि के मुताबिक हो । यह भी देखा जाय कि उसे कितनी सजा दी जानी है । इसी सिलसिले में मानीय भानु प्रताप सिह ने आपत्ति पेश की थी और मैं समझता हूं उनकी आपत्ति में बहुत बल है । अगर नियमों को ठीक से देखा जाय तो यहां पर दो तरह की प्रक्रियाएं हैं---एक तो साधारण प्रक्रिया है जिसमें ऐसे मामले आते हैं जिनको सदन भी समझता है और आपका भी मत होता है कि उनको अनुसंधान के लिये, जांच के लिये व प्रतिवेदन के लिये भेजा जाय, तो वे विशेषाधिकार समिति में आते हैं और उनके लिये एक प्रक्रिया चलती है । लेकिन अगर सदन यह तय करता है और आपकी भी सहमति होती है कि तुरन्त कार्यवाही की जाय तो एक बिल्कुल दूसरी प्रक्रिया चलेगी, जिस पर नियम ७१ लागू नहीं होगा । नियम ७१ को अगर आप पढ़ें तो उससे ही स्थिति का पता चल जायगा कि इन नियमों में कहीं न कहीं उपबन्ध ऐसे हैं जिनका हवाला नियम ७१ में दिया है । नियम ७१ में लिखा है---

"उस दशा को छोड़कर जब कि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष किया गया हो, सदन दण्ड-आदेश के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषिता-सिद्धि में अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर देगा ।"

तो यह तो सीधा-सीधा है । अगर सदन के सामने यह नहीं है और अन्यत्र किसी और ढंग से अवमान किया गया है तब फिर यह प्रक्रिया चलेगी । सजा देने के पहले हम मु लिजम को, जिसने जुर्म किया है, अपराध किया है, मौका देंगे ताकि वह अपनी सफाई दे सके और अपनी निर्दोषता साबित कर सके । लेकिन अगर सदन के सामने ही हुआ है तो आप नियम

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

६८ का अवलोकन करें। ६८(१) में देखेंगे कि यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निस्तारणार्थ लाया जाना निश्चित हो जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायेगी और उनको स्पष्टीकरण तथा निर्दोषिता सिद्धि के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा तत्संबंधी लेख्य या लेख्यों के निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा।

....(व्यवधान)....

श्री राजित राम पांडेय---

जब ऐसी प्रक्रिया हुई थी तो हम और यह निकाले गये थे। (व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

यह तो सदस्यों के लिये है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कभी-कभी समय का राग अच्छा लगता है लेकिन असमय का राग अच्छा नहीं लगता है। माननीय गंगवार ने यह आपत्ति की कि यह तो केवल सदस्यों के लिये है। ऐसा नहीं है। यह प्रक्रिया सदस्य होगा तब भी होगी और अगर गैर सदस्य है तो भी यह लागू होगी। इस संबंध में नियम ६८(४) देखें, नियमों में है कि जो सदस्य नहीं है, उनके संबंध में भी यथोचित परिवर्तनों सहित प्रक्रिया प्रवृत्ति होगी। तो जो ऐतराज कर रहे हैं वह बात खण्ड ४ से साफ हो जाती है। सदस्य हो या गैर सदस्य हो सभी पर लागू होती है। अगर आप इसको लागू करते हैं तो किसी आदमी को सजा देने के पहले उस ो अपनी सफाई का मौका देंगे और खाली एक बार नहीं बल्कि व्यवस्था की गई है और मैं पांडेय जी का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं कि एक बार नहीं, दो बार उसको मौका देंगे। खण्ड ३ देखें, किन्तु सदन उन्हें कार्यवाही सुनने की अनुमति दे सकेगा और अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये या क्षमा याचना के लिये उन्हें पुनः बुला सकेगा।

मान्यवर यह है कि एक बार पहले विचार होना है और एक बार जब यह तय कर लिया जाय कि सजा देना है, तो फिर उस मुल्जिम को बुलाकर पूछेंगे, अगर क्षमा मांग लेगा तो माफ कर देंगे। यहां पर कहा गया है कि उस आदमी ने क्षमा मांगने से इंकार कर दिया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि यदि हम जुर्म स्वीकार कर लें तो अदालत सजा दे देती है लेकिन कोई आदमी जुर्म से माफी नहीं मांगता है तो इसका मतलब है कि वह तहकीकात का सामना करना चाहता है। इसका मतलब है कि ट्रायल प्रोसीड करे। मेरी राय है कि आचार्य जी मेरी राय से सहमत होंगे कि वह तहकीकात चाहता है, ट्रायल चाहता है। तो यह हुआ है कि नियम ७१ का हवाला दिया गया। तो मैं माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं कि मुल्जिम को मौका सफाई या अपने को निर्दोष सिद्ध करने का नहीं मिलना चाहियें। यह इंसाफ के साधारण सिद्धान्त के विपरीत है। हमारे अपने नियमों के भी अनुकूल नहीं है इसलिये उसको पूरा-पूरा मौका मिलना चाहिये। सजा विधि के अनुकूल होना चाहिये। उसको छोड़ देंगे तो यह शंका रहेगी जो बांके लाल जी ने किया था। पहले भी पहुंच चुके हैं और आगे भीं पहुंच सकते हैं इसलिये उचित सजा देना चाहिये।

मान्यवर, अब रह गया सजा का सवाल। सुबह से जब से यह मामला पेश हुआ है तो जितना उतावलापन उधर है उससे कम चिन्ता इधर के लोगों को भी नहीं है। जुर्म हुआ है, माननीय सदन की प्रतिष्ठा रहनी चाहिये और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मान्यवर, सुबह हम लोगों को भी बुलाया गया था और आप भी थे। उस समय भी हम लोगों की चिन्ता कम नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो कह रहे हैं प्राकृतिक न्याय (नेचुरल जस्टिस) मिलना चाहिये। उनको बुलायें और वह तर्क दें कि अमुक व्यक्ति मेरे द्वारा चुन कर इस सदन में आये हैं। मैं उन्हें चुनने वाला हूं और मुझमें शक्ति है। वह व्यवहार ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैंने अपना कर्त्तव्य समझा यह करने के लिये। इस तरह के तर्क और फिर कुतर्क भी वह करने लगें। इसलिये अब तक की कार्यवाही, जो परम्परा थी, उसके हिसाब से चली। अब उनको बुलावें और वे कहें कि लोक मति और लोक सम्मति पर चुन कर आये हैं। लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिये मुझे यह कहने का हक है। प्रजातंत्र को सीमित करके विधान सभा और आपकी जो गरिमा है उसको आप स्वयं चाहते हैं कि यह फैल कर संपूर्ण जनता में ओतप्रोत हो जाय और संश्लिष्ट हो जाय तो यह भी एक दृष्टिकोण है। (श्री बांके लाल के खड़े होने पर) मैं बोल रहा हूं, आप सुनें। आपके ही विचारार्थ मैं यह रख रहा हूं। हर दृष्टि से आप सोचें। अवमान हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी यहां थे। उन्होंने इस प्रश्न को माननीय सदस्यों से बात करके यहां के लिये निर्दिष्ट किया। जो विधि है उसी विधि का पालन किया गया। नियम ७१ में जरूरी नहीं है कि उनको बुलाकर उससे सफाई ली जाय। क्योंकि सफाई लेने का अभिप्राय वह भी है जिसकी ओर संकेत किया गया। तर्क से विचार से, प्रचार से वह कहें कि मैं मतदाता हूं, मैंने चुना है और मेरे कहने का और जनता का जो मैनडेट है उसको यह सदन पूरा नहीं कर रहा है। तो इस पर सोचना पड़ेगा। नियमों के अन्दर सुविधाएं, शक्ति और विशेषाधिकार (अमेनिटीज, पावर और प्रिवेलेजेज) आपको प्रदत्त हैं। उनका इस्तेमाल नहीं चाहते हैं तो प्रिवलेज स्पीच आपकी नहीं होगी और दूसरी पेचीदगी के सवाल आयेंगे। मेरा भी दिमाग साफ नहीं है। हमारे जो पूर्ववर्ती स्पीकर महोदय थे उनकी रूलिंग हुई थी उसको पढ़कर सुनाता हूं और फिर जो कार्यवाही होगी वह चलेगी। १८ जुलाई, १९६६ को स्व० माननीय मदन मोहन वर्मा जी के समक्ष भी ऐसा मामला आया था। उन्होंने आदेश दिया था कि सी० आई० डी० इस घटना की पूरी जांच करके कल १० बजे तक रिपोर्ट देने का यत्न करे। हो सकता है कि और कोई व्यक्ति भी इस कृत्य में साजिश किये हों। कल सी० आई० डी० की रिपोर्ट पर मार्शल रिपोर्ट करें। इस बीच दोषी पुलिस के हिरासत में रहेगा। मैं समझता हूं कि इस कार्यवाही से आप सहमत हों तो कल के लिये इसे रखें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

उपाध्यक्ष जी, आप कोई व्यवस्था दें उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहती हूं और वह यह कि माननीय अध्यक्ष जी की राय से यहां पर यह संकल्प उपस्थित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी ने इसको स्वीकार किया कि सदन का अवमान हुआ है। उन दोनों आदमियों को बुलाया गया। उनसे आपने ३ प्रश्न पूछे। उसमें उन्होंने जुर्म को स्वीकार किया। सारे सदन ने उस जुर्म को देखा। जो सकल्प हमने रखा है उस पर यह सदन कोर्ट की तरह विचार कर रहा है। आप अब सदन का बहुमत जान लें। मैं आग्रह करूगी कि आप संकल्प पर सदन का मत ले लें, उसको कल के लिये स्थगित न करें। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगी कि आप सदन की गरिमा की रक्षा के लिये हमारे इस संकल्प को सदन की अनुमति के लिये रखने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

एक मिनट मुझे भी श्रीमन्, सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो विचारने के लिये आपके समक्ष कुछ बातें रखी। कुछ माननीय सदस्यों ने पिछले अध्यक्षों की रूलिंग को यहां रखा। मैंने अभी कोई अपनी व्यवस्था नहीं दी है। सारा प्रश्न सदन के समक्ष विचार के लिये उपस्थित है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं सजा के बारे में निवेदन कर रहा था कि आपने बीच में अपने कुछ विचार रखे। मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि मुलजिम को कानून ने यह हक दिया है कि उसको अपने को निर्दोष साबित करने के लिये पूरा-पूरा मौका दिया जाय। वह चाहे जो कुछ कहे, वह इकरार भी कर सकता है, वह इनकार भी कर सकता है, मगर उसको कहने का अवसर दिया जाना चाहिये। इनकार के बावजूद वह अपने पक्ष में कुछ ऐसे तथ्य उपस्थित कर सकता है जिससे कि उसकी सजा घट सकती हो। यह समझ कर केवल कि वह कोई अवांछित बात कह देगा, या ऐसी बात कह देगा जो किसी को बुरी लगे, और इसलिये उसको अपनी सफाई देने का अधिकार ही न दिया जाय, यह मुनासिब नहीं होगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग जज की हैसियत से इस पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं आपका ध्यान नियम ७६ की ओर दिलाऊंगा जिसके अन्तर्गत वाद-विवाद संक्षिप्त हो सकता है। साथ ही आप नियम ७७ भी देख लें। (व्यवधान)

श्री अनन्त राम जायसवाल--

श्रीमन्, मैं असंगत नहीं बोल रहा हूं, बहुत ही संक्षेप में कह रहा हूं। मैं फिर माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न किसी दल का प्रश्न नहीं है और न दलगत दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिये। जुर्म हुआ है तो सजा अवश्य मिलनी चाहिये, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक जीच मैं याद दिलाना चाहता हूं और वह यह कि दया का स्थान दण्ड से ज्यादा है। फिर एक बार यदि कोई क्षमा याचना कर दे तो उससे उसका सारा दोष धुल जाता है। हमने यह कभी नहीं कहा कि आप बगैर सजा के छोड़ दीजिये। अगर गंभीरता के साथ मान्यवर, आप इस पर विचार करेंगे तो शायद इसी नतीजे पर पहुचेंगे कि भर्त्सना करके इस मामले को खत्म कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी राय--

यह हर सदस्य को ऐसा कह दिया करते हैं, मालूम पड़ता है कि जैसे इनके पास ज्यादा समझ आ गई है। अस्पताल में पड़े रहे जब तक मिनिस्टर रहे और जब अस्पताल से आए तो मालूम पड़ता है वहां से सारी समझ साथ लेकर आए हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। राजित राम जी हमारे साथ बठा करते थे। एक दफा मैंने उनसे कहा कि मैंने अध्यक्ष जी से इजाजत ले ली है, आप पांच मिनट रोज किसी वक्त बोल लिया करो। उन्होंने कहा कि मैं जान गया आपने किस तरह, क्या कहकर आज्ञा ली होगी। मैंने कहा कोई खास बात नहीं अध्यक्ष जी प्रसन्न थे, मैंने और उन्होंने दिन में ५ मिनट बोलने की तुम्हें इजाजत दे दी है। फिर भी उन्होंने कहा, नहीं, मैं जान गया क्या कह कर आपने अध्यक्ष जी से इजाजत ली होगी। मैंने पूछा क्या कहा होगा मैंने ? तब यह बोले --आपने कहा होगा कि यह बड़ा मूर्ख है, इसको बोल लेने दिया कीजिये। तो मैं यड़े अदब के साथ यह निवेदन.....

(व्यवधान)

श्री राजित राम पांडेय--

देहात में एक कहावत है--"जे छिनरा ते डोली संगे' यही बात इन पर लागू होती है। यही सब करने और कराने वाले हैं। सदन का अवमान करते हैं और इस तरह से कहते हैं कि माफ कर दो।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, अब तो आपको ऐतराज नहीं होगा, पांडेय जी ने कह दिया और प्रदर्शन भी कर दिया है। इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहये और उन्हें केवल भर्त्सना करके छोड़ देना चाहिये। इससे सदन और आपका बड़ा सम्मान बना रहेगा, सदन की प्रतिष्ठा इससे गिरेगी नहीं वरन्, बढ़ेगी। (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी राय---

मैं अनन्तराम जी से यह कहना चाहता हूं...

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई---

अभी तक सदन के सामने जो बहस हुई, उसमें केवल दो संशोधन आए। एक, केवल भर्त्सना कर दी जाय, और दूसरा केवल सदन उठने तक की सजा दी जाय। ये दोनों ही संशोधन हमें मंजूर नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर आप सदन का मत ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

आप इस पर मत लें, इसके पूर्व मुझे एक निवेदन करना है। श्रीमन्, मैंने बहुत प्रयास किया अपने को समझाने का कि इस प्रश्न पर जो पूरे सदन का प्रश्न है, उसके साथ सहयोग कर सकूं, लेकिन हम लोगों की भावना रह गई--नियमों के अन्तर्गत यह कार्यवाही नहीं की गई है। हम लोगों की यह भावना भी रह गई कि उनको पूरी तरह से स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिया गया है। यह भावना भी रह गई कि जो सजा का बाजपेयी जी का प्रस्ताव था, उस पर वह जिद्द किए हुए बैठी हुई हैं---कोई भी नियम से चलने या ढिलाई करने को तैयार नहीं है। इसलिये मैं विवश हूं और इस प्रस्ताव के साथ एसोशिएट नहीं कर सकता हूं और सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कृष्णा नन्द राय अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसीलिये हम लोग भी सदन का त्याग करते हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

अच्छा, अब हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री अनन्त राम जायसवाल तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष, जरा आप कहने से पहले मेरी एक दो बातें सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, जायसवाल जी होते तो गंभीरतापूर्वक विचार किये होते। मैं कहता हूं, मेरा संशोधन यह है कि कल तक के लिये सजा कर दी जाय, दो दिन के लिये।

जी, मान्यवर, तो मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जनसंघ दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

एक प्रस्ताव आया है माधव प्रसाद जी का। उसको मानना है या नहीं यह बात साफ हो जाय ? (शोर)

श्री लक्ष्मण स्वरूप--

त्रिपाठी जो का प्रस्ताव था, उसको बाजपेयी जी स्वीकार कर रही है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण करवा दीजिये ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

कोई भी संशोधन वाक आउट के आधार पर नहीं माना जा सकता। इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर स्थिर हूं। मैं समझती हूं कि सदन का मत लिया जाय।

श्री लक्ष्मण स्वरूप--

चूंकि माधव बाबू का संशोधन स्वीकार नहीं किया, इसलिये भारतीय क्रान्ति दल भी सदन का परित्याग करता है ।

(भारतीय क्रान्तिदल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि सर्वश्री राम नरेश दुबे तथा गुलाब यादव ने इस सदन का अवमान किया है । अतः यह आदेश दिया जाता है कि उक्त सर्वश्री राम नमेश दुबे तथा गुलाब यादव को सात दिन का साधारण कारावास का दण्ड तिया जाय और उन्हें उक्त अवधि के लिये जिला कारागार, लखनऊ, में तृतीय श्रेणी में रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब कल ११ बजे फिर बैठेंगे । अब उठ रहे हैं ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ३४ मिनट पर अगले दिन को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१८ अगस्त, १९७१ ।

नत्थी 'क'

(तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

वर्ष १९७०–७१ में सिंचाई प्रखण्ड, बलिया, में सुरहा ताल पंप नहर प्रणाली के मेन तथा प्रत्येक माइनर से जितने-जितने एकड़ की सिंचाई हुई तथा प्रत्येक की क्षमता एवं उनमें से प्रत्येक से हुई फसलवार सिंचाई के आंकड़े निम्नलिखित है:—

क्रम-सं0	नाम नहर	क्षमता अर्थात् प्रस्तावित सींच (एकड़ में)		1970-71 (1378फसली) में वास्तविक सींच (एकड़ों में)	
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
1	सुरहा ताल नहर मेन	594	1,367	313	1,543
2	कैथोली माइनर	350	810	124	577
3	देवढ़ी माइनर	262	595	104	690
4	खरौनी माइनर	518	1,201	185	1,179
5	केबरा माइनर	580	1,570	296	1,496
6	चांदपुर माइनर	66	154	..	11
7	सहतवार माइनर	432	1,000	216	1,317
	योग ..	2,902	6,697	1,238	6,813

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे ४२६ पर)

पंप नहरों का नाम	निर्माण कार्य आरंभ करने का वर्ष	व्यय जब से योजना शुरू हुई				व्यय वर्ष 1970-71 तक	तैयार योजना से 1970-71 में फसलवार सिंचित भूमि			अन्य विवरण
		1967-68	1968-69	1969-70	1970-71		खरीफ	रबी	योग	
1-सागरपाली	1967-68	6,998	78,514	1,859	3,312	90,683	3	22	25	
2-रामपुरचिटतदेव		34,628	42,113	11,145	10,155	98,041	56	144	200	
3-बघेची (दुआ बेहरा)	1968-69	..	49,526	37,707	80,604	1,67,837	..	..	..	वर्ष 1971-72 से सिंचाई हो रही है।
4-सोहाव	1967-68	40,910	76,567	13,509	34,473	1,65,459	15	321	336	
5-सुरापाली	1967-68	9,001	48,048	17,776	25,019	99,844	39	197	236	
6-रामपुरहल्दी	1967-68	81,880	1,89,403	63,159	49,694	3,84,136	71.	211	282	
7-पलियाखास	1969-70	678	..	1,35,573	62,707	1,98,958	37	406	443	
8-कोरन्टाडीह	1969-70		..	1,93,907	2,92,348	4,86,255	..	..	..	योजना पूर्ण हो रही है।
9-तुतिया (चैनपुर गुलौरा)	1970-70	..	..	..	75,273	75,273		..	..	योजना पूर्ण हो रही है।
योग		1,74,095	4,84,171	4,74,635	6,33,585	17,66,486	221	1,301	1,522	

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० १८८ एल०ए०--१९७२--८४५।